ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष : 5 | अंक : 02 | जनवरी 2023 / Issue 02 | मूल्य : ₹ 55

dhyeyaias.com

भारत में मजबूत डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता

अर्थव्यवस्था के लिए तकनीकी सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता

भारत में राज्यों के मध्य बढ़ता सीमा-विवाद: प्रकृति और विवाद के पहलू

प्रचंड के नए नेतृत्व वाला नेपाल और भारत-नेपाल संबंधों पर प्रभाव

भारत विरोधी सोशल मीडिया नेटवर्क पर केंद्र सरकार की डिजिटल स्ट्राइक: उद्देश्य और आयाम

जल, जमीन तथा जलवायु संरक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता: हालिया अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के निष्कर्ष

सामाजिक आर्थिक तंत्र को प्रभावित करता भ्रष्टाचार: चुनौतियां और समाधान की राहें

प्रीलिम्स स्पेशल 2023: राजव्यवस्था

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, **प्रत्येक 15 दिन** में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्रायः सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंततः वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन **आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा** को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर **विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न** आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही **केस स्टडी खंड** के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम **PMI (Pre + Mains + Interview)** की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन **प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख** को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-

+91 6393005298

perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English Current Affairs Monthly News Paper

ध्येयIAS most trusted since 2003

परफेक्ट 7

इस अंक में...

प्रबंध संपादक : विजय सिंह
: बाघेन्द्र सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : अमन कुमार
प्रकाशन प्रबंधन : डॉ.एस.एम. खालिद
संपादकीय सहयोग : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
: ऋषिका, नितिन
: ऋतु, प्रत्यूषा
: नीरज, अदनान
: सल्तनत, लोकेश
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षा सहयोग : शशांक शेखर त्रिपाठी
आवरण सज्जा एवं विकास : अरूण मिश्र
: पुनीष जैन
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : मो. वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू
: चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

समसामयिकी लेख 5-20

1. भारत में मजबूत डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता
2. अर्थव्यवस्था के लिए तकनीकी सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता
3. भारत में राज्यों के मध्य बढ़ता सीमा-विवादः प्रकृति और विवाद के पहलू
4. भारत विरोधी सोशल मीडिया नेटवर्क पर केंद्र सरकार की डिजिटल स्ट्राइकः उद्देश्य और आयाम
5. जल, जमीन तथा जलवायु संरक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकताः हालिया अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के निष्कर्ष
6. प्रचंड के नए नेतृत्व वाला नेपाल और भारत-नेपाल संबंधों पर प्रभाव
7. सामाजिक आर्थिक तंत्र को प्रभावित करता भ्रष्टाचारः चुनौतियां और समाधान की राहें

राष्ट्रीय 21-25
अंतर्राष्ट्रीय 26-29
पर्यावरण 30-33
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 34-37
आर्थिकी 38-42
विविध 43-46
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 47-49
समसामयिक घटनाएं एक नजर में ... 50
ब्रेन-बूस्टर 51-57

प्रीलिम्स स्पेशल 2023

- राजव्यवस्था 58-73
- प्रीलिम्स आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 74-79

समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 80-81
व्यक्तित्व 82

आगामी अंक में

- भारत में हेट स्पीच का प्रभाव और उसके विनियमन की जरूरत
- भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 100 अरब के पारः कारण और समाधान की राहें
- बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत तथा न्यायपालिका व कार्यपालिका में विवाद
- भारत की आपदा प्रबंधन रणनीति पर प्रश्नचिह्न है जोशीमठ का भू धँसाव
- भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और नीतिगत उपायों की आवश्यकता
- भारत में मनी लांड्रिंग से निपटने के लिए बढ़ती सक्रियताः चुनौती और समाधान
- राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति की शुरुआत से भारत को होने वाले फायदे

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

प्रौद्योगिकी मुद्दे

भारत में मजबूत डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता

परिचय:

पिछले कुछ वर्षों सें, भारतीय सशस्त्र बलों का महत्त्वपूर्ण ढ़ंग से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। हमारे हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्मों में सुधार हुआ है जो इस बात का संकेत है कि हम खतरे को कितना गंभीर मानते हैं? यह उन समस्याओं के कारण है जो हमारे पड़ोसियों (चीन और पाकिस्तान) द्वारा ऐतिहासिक रूप से हमारी सीमाओं पर उत्पन्न की जाती रही हैं। वैश्विक भू-राजनीति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, भारत को निर्विवाद रूप से एक मजबूत रक्षा प्रणाली की आवश्यकता है। वर्ष 2022 का समापन भारत द्वारा अग्नि-5 परमाणु -सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल के रात्रि परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने और आईएनएस मोरमुगाओ को भारतीय नौसेना में शामिल करने के साथ हुआ।

भारत में एक मजबूत रक्षा प्रणाली की आवश्यकता:

1. हिंद महासागर की भू-राजनीति:

- हिंद महासागर में, भारत सबसे बड़ा तटीय देश है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है। इन दो बातों ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के आधिपत्य की स्थिति को मजबूत किया है।
- भारत हमेशा शांति बनाए रखने, हिंद महासागर में अवांछित घुसपैठ को रोकने के तरीके खोजने और अन्य देशों से खनिज संसाधनों के निष्कर्षण का बचाव करने को लेकर चिंतित है।
- चीन की बढ़ती नौसैनिक आकांक्षाओं और नौसैनिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप भारत को सैन्य कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।
- पाकिस्तान और चीन जैसे परमाणु-शक्ति संपन्न राष्ट्रों के द्वारा आक्रामक कार्यवाही के माध्यम से, भारत को एक मजबूत परमाणु रक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भारत को द्वितीयक हमले की क्षमताओं से युक्त परमाणु हथियार बनाने की जरूरत है।
- पश्चिमी एशिया में तेल और गैस संसाधनों पर अपनी बढ़ती निर्भरता के कारण भारत को इस क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में अवश्य भाग लेना चाहिए।

2. चीन के साथ बार-बार विवाद:

- 2020-2022 में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध देखा गया:
  1. पैंगोंग त्सो झील।
  2. चुशूल सेक्टर।
  3. सिक्किम।
  4. पूर्वी लद्दाख।
  5. अरुणाचल प्रदेश राज्य के तवांग सेक्टर में हालिया झड़प।

हिंद महासागर क्षेत्र में:

- शियान 1 जहाज को 2019 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के करीब देखा गया था।
- चीन ने अगस्त, 2020 में हिंद महासागर में युआन वांग-5 नामक जासूसी जहाज को भेजा था।
- चीन की 'मोतियों की माला' नीति।

3. सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद:

- 3,323 किलोमीटर लंबी भारत-पाकिस्तान सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर राज्यों से होकर गुजरती है। सीमाओं तक सीधी पहुंच और तकनीकी प्रगति के परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा का फोकस बदल गया है जो सूचना तथा धन के त्वरित पारगमन की अनुमति देता है।
- पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों की सीमाओं को पहचानने में विफलता और धार्मिक या जातीय पहचान के आधार पर वैधता स्थापित करने में उनकी प्रभावशीलता के कारण, सीमा पार आतंकवाद बढ़ रहा है।
- पाकिस्तान के असहयोगात्मक रवैये के परिणामस्वरूप भारत के लिए सीमा सुरक्षा और प्रशासन अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है।

4. समुद्री सुरक्षा:

- समुद्री डकैती, अवैध अप्रवासन और हथियारों की तस्करी जैसे मुद्दों के कारण वैश्विक समाज, समुद्री सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देता है जिनमें आतंकवाद तथा पर्यावरणीय आपदाओं के खतरे भी शामिल हैं।
- हिंद महासागर में 7500 किलोमीटर से अधिक लम्बी समुद्री सीमा के चलते भारत के लिए समुद्री सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्त्वपूर्ण घटक है।
- तकनीकी प्रगति के कारण समुद्री क्षेत्र में भौतिक खतरे अब उतने प्रचलित नहीं हैं जितने पहले थे।
- भारत का अधिकांश आयात और निर्यात हिंद महासागर के जलमार्ग से होकर संपन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप, इक्कीसवीं सदी में भारत के लिए संचार की समुद्री लेन (एसएलओसी) की रक्षा करना महत्त्वपूर्ण हो गया है।

भारतीय रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदम:

1. एफ-इंसास प्रणाली:

यह भविष्य के इन्फैंट्री सोल्जर को सिस्टम के रूप में सैनिक की परिचालन क्षमता में सुधार के लक्ष्य के साथ पैदल सेना के आधुनिकीकरण की एक पहल है। इस प्रयास के एक हिस्से के रूप में, सैनिकों को अत्याधुनिक उपकरण प्राप्त हो रहे हैं जो हल्के, सभी इलाकों में रहने वाले, मौसमरोधी, किफायती और कम रखरखाव वाले हैं, जैसे:

- » असॉल्ट राइफल टाइप एके-203।
- » कई मोड के साथ हैंड ग्रेनेड।
- » बैलिस्टिक चश्मे और हेलमेट।

- वे विशेष रूप से भारतीय संगठनों द्वारा बनाए गए थे, जैसे कि डीआरडीओ (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) और युद्ध सामग्री उद्योगों का पारिस्थितिकी तंत्र।

2. निपुन माइन्स:

- डीआरडीओ निपुन माइन्स को 'साफ्ट टारगेट ब्लास्ट म्यूनिशन' के

रूप में संदर्भित करता है, जो स्वदेशी स्तर पर बनाई और निर्मित की गई है।

- एंटी-टैंक माइन्स के विपरीत, जो बड़े वाहनों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले हैं, कर्मियों के खिलाफ एंटी-पर्सनल माइन्स का इस्तेमाल लोगों के खिलाफ किया जाता है।
- रूस के पीएफएम-1 और पीएफएम-1एस को 'बटरफ्लाई माइंस' या 'ग्रीन पैरेट' के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही संवेदनशील एंटी-पर्सनल लैंडमाइन बटरफ्लाई माइन है।
- स्ट्रगलर्स और शत्रुतापूर्ण सैनिकों के खिलाफ बचाव करते समय, इन माइन्स को रक्षा की प्रारंभिक पंक्ति के रूप में काम करना चाहिए।
- आकार में छोटे होने के कारण, वे बड़ी मात्रा में उपयोग किए जा सकते हैं।

3. लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट (Landing Craft Assault):

- लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट (एलसीए) को पैंगोंग त्सो झील में वर्तमान में उपयोग की जाने वाली अल्पविकसित नावों की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है।
- पूर्वी लद्दाख में इसकी बेहतर लॉन्चिंग, गति और क्षमता उपयोगी है।
- भारतीय नौसेना के पास पहले से ही इसी तरह के जहाज सेवा में हैं।

4. अग्नि-5 मिसाइल का परीक्षण:

- इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईजीएमडीपी) के हिस्से के रूप में चतुराई से निर्मित उन्नत, सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 के रूप में जानी जाती है।
- यह 'दागो और भूल जाओ' मिसाइल है जिसे रोकने के लिए एक इंटरसेप्टर मिसाइल की आवश्यकता होती है।
- यह मिसाइल भारत की आत्मरक्षा प्रणालियों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेद सकती है।

5. आईएनएस मोरमुगाओ:

- यह स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल विध्वंसक मॉडल पी15बी है।
- यह भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा बनाए गए 'विशाखापत्तनम' वर्ग के चार विध्वंसक में से दूसरा है।
- इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया था जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है।
- समकालीन अवलोकन रडार के अलावा यह हथियार रक्षा प्रणालियों को लक्ष्य की जानकारी देता है। यह सतह से सतह और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है।
- वित्त वर्ष 2020-21 में घरेलू विक्रेताओं के लिए पूंजीगत बजट आवंटन 58% या 52,000 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया था।

6. एमएसएमई और स्टार्टअप्स:

- सीएबी में इस वृद्धि से घरेलू खरीद में सुधार होगा, जिसका एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स सहित विभिन्न प्रकार के उद्योगों पर गुणक प्रभाव पड़ेगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई एक पहल, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (डीआईएससी) के चौथे संस्करण में 1200 से अधिक एमएसएमई ने भाग लिया।

7. आत्मनिर्भर भारत और मेक-इन-इंडिया:

- यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।
- हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और तोपें सरकार की नकारात्मक सूची में हैं।
- इसके अतिरिक्त, सृजन साइट को दो गतिविधियों का समर्थन करने के लिए उपलब्ध कराया गया है।

8. अन्य प्रयास: सरकार ने रक्षा उद्योग को उदार बनाने के कई प्रयास किए हैं, जिसमें डी-लाइसेंसिंग, डीरेगुलेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन और एफडीआई को बढ़ावा देना शामिल है। पिछले तीन वर्षों में स्वीकृत की गई 191 परियोजनाओं में से 118 भारतीय व्यवसायों के पास गई हैं।

- **रक्षा अर्थव्यवस्था में निवेश:** यदि भारत अपने रक्षा उद्योग का आधुनिकीकरण करता है और रक्षा आयात की मात्रा को कम करता है, तो वह अपने सकल घरेलू उत्पाद को 2% से 3% तक बढ़ा सकता है जिससे हजारों नई नौकरियां सृजित हो सकती हैं।
  - यह आर्थिक रूप से लाभप्रद और 'विन विन सिचुवेशन है जिससे सकल घरेलू उत्पाद बढ़ता है। इस पहल से भारत न केवल इस क्षेत्र में और अधिक स्वतंत्र हो जाएगा बल्कि, एक शुद्ध निर्यातक भी बन सकता है।
- **बंदरगाहों का आधुनिकीकरण:** जहाजों के निर्माण के लिए ही नहीं, बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण सभी बोर्डों के लिए आवश्यक है।
  - बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने का ऐसा ही एक प्रस्ताव सागरमाला परियोजना है।
- **संपूर्ण समुद्री प्रणाली का एकीकरण:** पड़ोसी देशों को नौसैनिक सहायता प्रदान करना समुद्री प्रतिक्रिया का एक पहलू है।
  - समुद्री व्यापारी, मत्स्य पालन और वाणिज्य क्षमता भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  - एक समन्वयक संगठन जो इन सभी क्षेत्रों को एकीकृत करने में मदद करता है, उच्चतम स्तर पर भी आवश्यक है।
- **नीली अर्थव्यवस्था का उपयोग:** भारत को अपने राष्ट्रीय हितों के लिए और अपने पड़ोसी देशों (जिन्होंने अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए भारत में विश्वास बनाये रखा है) के हितों के लिए नीली अर्थव्यवस्था का दोहन करने हेतु, समुद्री औद्योगिक बुनियादी ढांचे का विस्तार करना चाहिए।

निष्कर्ष:

रक्षा उद्योग में निजी क्षेत्र को फलने-फूलने का अवसर देना और उन्हें आश्वस्त करना कि क्षेत्र में उनके प्रयास या निवेश व्यर्थ नहीं होंगे, समय की जरूरत है। रक्षा उत्पादन में एक निश्चित हथियार प्रणाली हेतु उच्च निवेश लागत की आवश्यकता होती है और यदि निजी क्षेत्र उस लागत को वहन करने में सक्षम हैं, तो निजी क्षेत्र को जोखिम उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, पीएसयू क्षेत्र को पर्याप्त समर्थन देने के साथ-साथ पेश की गई सरकारी नीतियों में स्पष्टता की आवश्यकता है, विशेष रूप से निजी क्षेत्र के लिए, ताकि वे भविष्य हेतु आवश्यक रक्षा हथियारों के उत्पादन में मेक इन इण्डिया को बढ़ावा दे सकें।

आर्थिक मुद्दे

अर्थव्यवस्था के लिए तकनीकी सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकता

सन्दर्भः

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 'स्टेट ऑफ द इकोनॉमी अपडेट' में भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं को 2023 के लिए अच्छा बताया है। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक भू-राजनीतिक संकट के कारण तेल की कीमतों में वृद्धि से प्रभावित हुई है। साथ ही, देश में बढ़ते डिजिटलीकरण के चलते अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने पर राज्य प्रायोजित साइबर हमलों से बचाने के लिए एक मजबूत तकनीकी सुरक्षा की आवश्यकता है।

ऊर्जा सुरक्षाः

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ऊर्जा सुरक्षा को वहनीय मूल्य पर ऊर्जा की निर्बाध उपलब्धता के रूप में परिभाषित करती है।

ऊर्जा सुरक्षा की आवश्यकताः

- ऊर्जा सुरक्षा के लिए तेल, कोयला, एलएनजी आदि जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के आयात पर भारत की अत्यधिक निर्भरता है जिसकी भविष्य में मांग बढ़ने की संभावना है। आईईए के अनुसार 2040 में भारत की तेल की मांग बढ़कर 8.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो जाएगी जिसमें से अधिकांश भाग आयात के द्वारा पूरा किया जाएगा।
- **बढ़ती मांग-** बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के साथ ऊर्जा की मांग बढेगी।

TWh	2012	2022	2030	2047
Industry	336	494	700	1366
Residential	175	480	842	1840
Commercial	66	142	238	771
Agriculture	136	242	336	501
Others	29	71	121	233
Total	742	1433	2,239	4712

*भारतीय ऊर्जा प्रणाली में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा मिश्रण पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार TWH (2030) की स्थिति

- **बाहरी झटकों से सुरक्षा-** कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव की प्रकृति वैश्विक झटकों से प्रभावित होगी। उदाहरण के लिए, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद जुलाई 2022 में कच्चे तेल की कीमतें 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुंची, जिससे भारत में मुद्रास्फीति बढ़ गई।
- **ऊर्जा सुरक्षा के अन्य लाभ-** ऊर्जा सुरक्षा एक बहु-विषयक क्षेत्र है जो अध्ययन के लगभग हर क्षेत्र के साथ जुड़ा है। इसमें अंतर्निहित आयाम जैसे स्थिरता, ऊर्जा दक्षता, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की कटौती, ऊर्जा सेवाओं की पहुंच आदि शामिल हैं। यह ऊर्जा सुरक्षा को विकासात्मक प्रक्रियाओं के अन्य पहलुओं से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने भी 2040 तक 'ऊर्जा आत्मनिर्भरता' का आह्वान किया है, जो 'ऊर्जा सुरक्षा' से संबंधित है।

ऊर्जा सुरक्षा के लिए आवश्यक कदमः

- **जीवाश्म ईंधन तक पहुंच को प्राथमिकता देना-** हरित ऊर्जा के संक्रमण में देरी के कारण, ऊर्जा की तात्कालिक कमी को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन की घरेलू खोज के प्रयासों को तीव्र करना।
- **परमाणु ऊर्जा-** थोरियम को यूरेनियम में बदलने पर जोर देना जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए हो। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा थोरियम भंडार है जिसे प्रतिक्रियाओं की एक शृंखला के बाद इसके प्रयोग करने योग्य 'फिशाइल' रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।
- सामरिक पेट्रोलियम भंडार का कम से कम 30 दिनों की खपत को कवर करने में सक्षम होना।
- अक्षय ऊर्जा को बढ़ाने और इसकी आपूर्ति को सुचारू करने के लिए ट्रांसमिशन ग्रिड तथा बैटरी स्टोरेज सिस्टम का उन्नयन करना।
- गैर-जीवाश्म ईंधन पर ध्यान केन्द्रित करना।
- **सौर ऊर्जा-** एक अध्ययन के अनुसार, लगभग 5,000 ट्रिलियन किलो वाट आवर प्रति वर्ष ऊर्जा भारत के भूमि क्षेत्र में उत्पादित हो सकती है। भारत के अधिकांश भाग 4-7 किलोवाट आवर प्रति वर्ग मीटर प्रति दिन प्राप्त करते हैं। भारत अपनी उच्च सौर ऊर्जा क्षमता का प्रभावी ढंग से दोहन करके, ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त कर सकता है।
- **ग्रीन हाइड्रोजन-** हाइड्रोजन ईंधन के बड़े पैमाने पर उपयोग से भारत की भू-राजनीतिक ताकत और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में सहायता मिल सकती है।
- **भू-तापीय ऊर्जा-** हाल ही में, भारत के राज्य संचालित अन्वेषक ओएनजीसी ने पुगा घाटी में भू-तापीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भाग लिया है। भारत में लगभग 340 भू-तापीय परियोजनाएं संचालित हैं जिनमें 10,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है।

ऊर्जा सुरक्षा को खतरा:

- कई ऊर्जा उत्पादक देशों में राजनीतिक अस्थिरता।
- **विनियामक बाधाएं**- यह पर्यावरण और विनियामक मंजूरी प्रक्रिया में देरी करती है जिससे प्रोजेक्ट की लागत अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए-भूमि अधिग्रहण में देरी।
- **तकनीकी बाधाएं**- तकनीकी परिपक्वता और लागत-प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां अभी भी विकसित हो रही हैं।

इस दिशा में सरकार की नीतियां:

- सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सोलर पार्क योजना और पीएम कुसुम योजना।
- **पीएलआई योजना**- सरकार ने अक्षय ऊर्जा के लिए कच्चे माल के उत्पादन में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना शुरू की है।
- **इथेनॉल सम्मिश्रण**- भारत सरकार द्वारा पेट्रोल में 20 प्रतिशत इथेनॉल सम्मिश्रण (जिसे ई-20 भी कहा जाता है) के लक्ष्य को 2030 से 2025 किया जाना।
- ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, उन्नत ऊर्जा दक्षता राष्ट्रीय मिशन प्रारम्भ करना।
- **राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन**- हाइड्रोजन आधारित गतिशीलता की मूल्य शृंखला के सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए।
- नीति आयोग का रोडमैप।
- **फेम योजना**- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने के लिए।
- **विभिन्न राज्य सरकारों की पहल**- उदाहरण के लिए यूपी सरकार की नई सौर नीति जो अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता उत्पन्न करने के लिए सौर पार्कों और छत पर आवासीय तथा गैर-आवासीय इकाईयों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

आगे की राह:

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण करने से पश्चिमी देशों ने तेल की कीमतों पर 60 डॉलर प्रति बैरल की उच्च मूल्य सीमा आरोपित कर रूस के विरुद्ध कार्यवाही की, रूस ने तेल की कीमतों पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों को तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर प्रतिकार किया, इस घटना से एक नये तेल संकट के उत्पन्न होने की संभावना है। इस संकट से भारत को बचाने के लिए अभी से रणनीति तैयार करने की आवश्यकता है।
- भारत ने ग्लासगो शिखर सम्मेलन में 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य (नेट जीरो कार्बन इमिशन) निर्धारित किया है। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित किये बिना इस लक्ष्य को हासिल करना असंभव होगा। ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के बाद ही भारत 'रणनीतिक रूप से स्वायत्त' देश कहलाने की स्थिति में होगा और 'ऊर्जा आत्मानिर्भरता' की दिशा में आगे बढ़ सकेगा।

तकनीकी सुरक्षा:

21वीं सदी तकनीकी क्रांति का युग है। यहां देशों की साइबर रक्षा करना उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना देशों की सीमाओं की सुरक्षा। लगभग सभी व्यवसाय और सूचना तक पहुंच जब ऑनलाइन हो गई है, तो ऐसे में साइबर सुरक्षा किसी भी देश के लिए पहली शर्त है।

भारत में तकनीकी सुरक्षा परिदृश्य:

- ऑनलाइन सुरक्षा फर्म सिमेंटेक कॉर्प की एक रिपोर्ट के अनुसार, साइबर अपराध से प्रभावित होने वाले शीर्ष पांच देशों में भारत भी शामिल है।
- **साइबर अपराधों की बढ़ती दर**- भारत के अभूतपूर्व कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच भारत में साइबर अपराध (कुछ अनुमानों के अनुसार 500% तक) के मामलों में तीव्र वृद्धि देखी गयी है।
- भारत एक ऐसा देश है जो साइबर हमलों से गंभीर रूप से ग्रस्त है और गूगल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत पर 2022 की पहली तिमाही में 18 मिलियन साइबर हमले हुए हैं।
- सीईआरटी-इन (सर्ट-इन) की अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट बताती है कि 2022 में रैंसमवेयर की घटनाओं में वृद्धि हुई है। 2022 की पहली छमाही के दौरान 51% की वृद्धि हुई।
- हालिया रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि भारतीय स्वास्थ्य सुविधाओं पर साइबर हमले बढ़ रहे हैं और हाल ही में एम्स दिल्ली पर हुए साइबर हमले ने साइबर हमलों के प्रति भारत की भेद्यता को उजागर किया है।
- **साइबर अपराधों की अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति**- उदाहरण के लिए भारत में किए गए साइबर अपराधों का 75% बाहरी लोगों द्वारा किये गये थे। अमेरिका स्थित कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया था कि 'कम से कम सात भारतीय राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी)' और एक भारतीय सहायक कंपनी के विरुद्ध साइबर हमले के सबूत मिले हैं जिन्हें चीन से जुड़े एक समूह द्वारा लक्षित किया गया था जिसका कोडनेम टीएजी -38 है।
- देश में सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग जैसे हमले बढ़ना।

भारत के लिए तकनीकी सुरक्षा क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- **बढ़ते इंटरनेट उपयोगकर्ता**- भारत में 2019 में लगभग 560 मिलियन से बढ़कर 2022 में 700 मिलियन तक निजी डेटा का उत्पादन होना।
- **क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा**- यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्त, रक्षा, ऊर्जा, दूरसंचार, अंतरिक्ष, परिवहन आदि जैसी 'क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर' प्रणालियां किसी भी स्थिति में बाधित न हों।
- **ई-गवर्नेंस**- सरकारी सेवाएं और योजनाएं ऑनलाइन चल रही हैं। उदाहरण के लिए- ई-ऑफिस के लिए एक प्रभावी साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।
- **क्लाउड भेद्यता**- भले ही बढ़ती संख्या में व्यवसाय क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाते हैं, फिर भी डेटा सुरक्षा चिंताएं बढ़ी हैं।
- **आतंकवाद**- साइबरस्पेस आतंकवादी समूहों (ISIS, अल कायदा आदि), संगठित अपराध कार्टेल, राज्य/गैर-राज्य अभिकर्ताओं, वामपंथी उग्रवादी संगठनों का विलय और सहयोग करने की अनुमति देता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो जाता है।

भारत में तकनीकी सुरक्षा के लिए चुनौतियां:

- साइबर सुरक्षा के बारे में सीमित समझ, साइबर अपराधों की प्रकृति को बढ़ाता है।
- **कोई राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना न होना-** साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए प्रत्येक नागरिक या सशस्त्र बल को सजग होकर विशेषज्ञों वाली एजेंसी की सहायता लेनी होगी।
- असंगठित साइबर सुरक्षा अवसंरचना और समन्वय के लिए नोडल निकाय की अनुपस्थिति, साइबर सुरक्षा के समक्ष गंभीर संकट है क्योंकि हितधारकों के मध्य आपस में समन्वय का अभाव है।
- **निवारण का अभाव-** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 साइबर अपराधों को पर्याप्त रूप से नहीं रोकता है। अधिकांश साइबर अपराध जमानती श्रेणी के हैं, जिनमें कठोर दंडात्मक कार्यवाही नहीं होती।
- कानूनी प्रणाली में खामियां, बोझिल प्रक्रिया और जागरूकता की कमी के कारण भी साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग कम हो रही है।
- **डिजिटल निरक्षरता और जागरूकता की कमी-** भारत की 80% से अधिक जनसंख्या में, डिजिटल साक्षरता लगभग न के बराबर है।
- **आयातित प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता-** यह सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही, साइबर सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आयातित उपकरणों का कोई मजबूत प्रमाणन तंत्र नहीं है।
- देश में साइबर सुरक्षा के प्रति निराशावादी मानसिकता है क्योंकि कंपनियां साइबर सुरक्षा को अपने रणनीतिक एजेंडे के रूप में नहीं, बल्कि अपनी लागत में वृद्धि के रूप में मानती हैं। लोग अपने स्वयं के डेटा और डेटा की गोपनीयता को समुचित महत्त्व नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए साइबर सुरक्षा से समझौता करने की प्रक्रिया में तेजी से ऐप्स का डाउनलोड होना। इसके अतिरिक्त सरकार की साइबर सुरक्षा रणनीतियों का उद्देश्य केवल रक्षात्मक है न कि आक्रामक क्षमता।
- डेटा गोपनीयता कानूनों की अनुपस्थिति।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अभाव-** भारत ने साइबर-अपराधों की सीमा-पार प्रकृति और देश के बाहर सर्वरों में अधिकांश डेटा संग्रहीत होने के बावजूद साइबर-अपराध संबंधी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

तकनीकी सुरक्षा की दिशा में भारत द्वारा उठाए गए कदम:

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा प्रदान किया गया कानूनी ढांचा-।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति, 2013-** इसके तहत भारत की महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा हेतु उपयुक्त स्वदेशी सुरक्षा प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए एक 24X7 राष्ट्रीय महत्त्व पूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC) है।
- **राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO)-** यह एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है, जो प्रौद्योगिकी क्षमताओं का विकास करती है और साइबर स्पेस की रणनीतिक निगरानी करती है।
- **राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC)-** यह महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित की गयी है।
- **बहु-एजेंसी राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी)-** साइबर-सुरक्षा और ई-निगरानी एजेंसी को रीयल-टाइम साइबर खतरों का पता लगाने के लिए इंटरनेट ट्रैफिक और संचार मेटाडेटा (सरकारी और निजी सेवा प्रदाताओं के) को स्कैन करने के लिए अनिवार्य किया गया है।
- **सर्ट-इन या कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (भारत)-** सर्ट को साइबर प्रतिक्रिया के लिए समर्पित निकायों के रूप में नियुक्त किया गया है।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक-** 2014 में पीएमओ द्वारा, साइबर सुरक्षा मुद्दों पर अंतर-मंत्रालयी समन्वय के लिए इसकी स्थापना की गयी है।
- **साइबर और सूचना सुरक्षा (सीआईएस) प्रभाग-** यह साइबर धोखाधड़ी, हैकिंग और महत्त्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों का मुकाबला करने सहित ऑनलाइन अपराधों की निगरानी के लिए गृह मंत्रालय का प्रभाग है। ऑनलाइन अपराधियों पर नजर रखने के लिए सीआईएस डिवीजन के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) और साइबर योद्धा पुलिस बल की स्थापना करना।
- **पीएमजीडीआईएसचए-** डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए कवर किया जाना।
- आरबीआई ने हाल ही में विभिन्न डिजिटल भुगतान सेवाओं के भारतीय उपयोगकर्ताओं से संबंधित सभी संवेदनशील डेटा के स्थानीयकरण के लिए एक समय सीमा जारी की है।

निष्कर्ष:

1980 दशक के उत्तरार्ध में इंटरनेट के उद्भव ने मानव गतिविधि के पांचवें डोमेन के रूप में साइबरस्पेस के विकास को जन्म दिया। आज साइबर सुरक्षा भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यकता है कि नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की घोषणा करके साइबर सुरक्षा के संबंध में नीतिगत पक्षाघात को समाप्त करना और फोरेंसिक, सटीक आरोपण और सहयोग सहित कई मोर्चों पर क्षमता बढ़ाना। सीईआरटी-इन, एनसीआईआईपीसी और सेक्टोरल सीईआरटी की क्षमता वृद्धि और बजटीय आवंटन में वृद्धि करना। सर्वर और संबंधित सुरक्षा उपायों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का उचित प्रशिक्षण और मूल्यांकन। किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने से पहले एथिकल हैकर्स और विशेषज्ञों को शामिल करना। सभी हितधारकों को उल्लंघनों और खतरों के बारे में सूचित कर पारदर्शिता बढाना। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सरकारी विशेषज्ञों के समूह (जीसीई) की बैठकों और यूरोपीय संघ समेत 37 देशों के अमेरिकी नेतृत्व वाले काउंटर रैनसमवेयर पहल (सीआरआई) जैसे निकाय। उपरोक्त स्तरों पर कार्य करने से भारत को साइबर सुरक्षा हेतु मजबूत व स्थाई देश बनाया जा सकता है।

गवर्नेंस

भारत में राज्यों के मध्य बढ़ता सीमा-विवाद: प्रकृति और विवाद के पहलू

सन्दर्भ:

हाल ही में महाराष्ट्र तथा कर्नाटक की विधानसभा ने आपसी सीमा-विवाद को हल करने हेतु कानूनी लड़ाई के समर्थन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है।

परिचय:

भारत में स्वतंत्रता के उपरांत ही राज्यों के मध्य विभाजन में विवाद की स्थिति बनी रही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 तथा समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के बाद भी राज्यों के मध्य आपसी विवाद समाप्त नहीं हो रहा है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 10 से अधिक राज्यों में सीमा-विवाद चल रहे हैं। यह स्थिति न केवल विवादित क्षेत्रों में तनाव को जन्म देती है, बल्कि क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को बाधित करती है। वर्तमान समय में कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मध्य सीमा-विवाद अपने चरम पर है जिसके लिए दोनों प्रदेशों के विधानसभाओं तथा सरकारों ने कानूनी लड़ाई के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है।

महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मध्य सीमा-विवाद:

- महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मध्य सीमा-विवाद मुख्य रूप से बेलगांव, कारवार तथा निपानी जिलों को लेकर हैं। वर्ष 1956 में फजल अली आयोग के निष्कर्षों पर आधारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम में बेलगांव को पूर्ववर्ती मैसूर राज्य का भाग बनाया गया था जो अब कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने राज्य विभाजन के आधार पर भाषा को एकमात्र आधार नहीं माना परंतु अपने संकेतकों में भाषा को एक स्थान दिया था। इसी आधार पर महाराष्ट्र द्वारा यह दावा किया गया कि बेलगांव के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां मराठी प्रमुख भाषा है। अत: उन क्षेत्रों को महाराष्ट्र का भाग होना चाहिए।
- दोनों राज्यों के मध्य बढ़ते विवाद को देखकर अक्टूबर, 1966 में केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा केरल में सीमा विवादों को हल करने के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन के नेतृत्व में महाजन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने कर्नाटक के पक्ष में निर्णय दिया तथा यह कहा कि बेलगांव कर्नाटक का भाग होना चाहिए परंतु महाराष्ट्र सरकार ने इस निर्णय को मानने से इंकार कर दिया। अंतत: 2004 में उच्चतम न्यायालय में इस संदर्भ में वाद दाखिल किया।
- तब से लेकर अब तक समय-समय पर महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में इस क्षेत्र को लेकर विवाद होते रहे हैं। हाल ही में इस मामले को सुलझाने के उद्देश्य से केंद्रीय गृहमंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करके प्रत्येक पक्ष के तीन मंत्रियों वाली 6 सदस्य टीम बनाने के लिए कहा है।

भारत में राज्यों के मध्य हो रहे सीमा-विवाद के प्रमुख कारण:

वर्तमान समय में न सिर्फ महाराष्ट्र-कर्नाटक वरन असम-अरुणाचल प्रदेश, असम-मिजोरम, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लद्दाख-हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों के मध्य सीमा-विवाद चल रहा है जिसके मुख्य कारण हैं-

- **क्षेत्रवाद:** क्षेत्रवाद का तात्पर्य वहां के लोगों के मध्य फैली हुई विस्तृत एकात्मता की भावना से है जो भूगोल, धर्म, राजनीति, भाषा अथवा आर्थिक विकास जैसे कई आधारों पर निर्भर होती है। भारत में अभी भी क्षेत्रीय भावनाएं बहुत प्रबल हैं जिसके कारण प्राय: सीमा-विवाद होते रहते हैं।
- **भाषाई विविधता:** भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन स्वतंत्रता

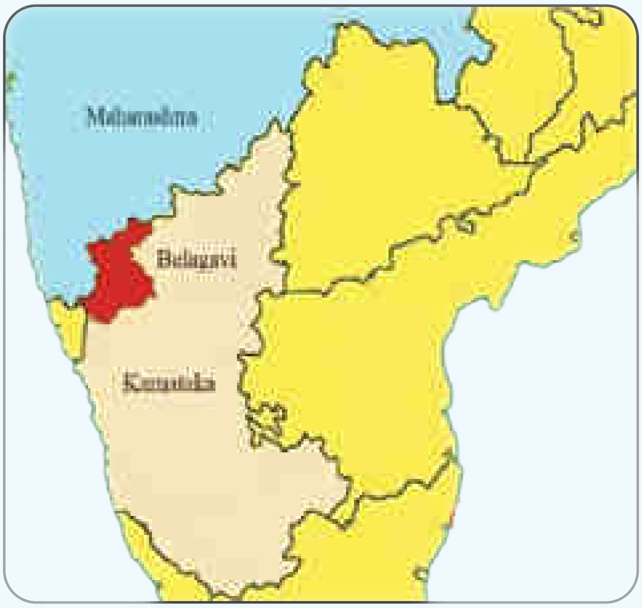

के उपरांत से ही भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। यद्यपि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 'एक भाषा एक राज्य' के सिद्धांत को नकार दिया परंतु भाषा को विभाजन का एक प्रमुख संकेतक माना। यह स्थिति भी राज्यों के बीच सीमा-विवाद का एक कारण बनती है। वर्तमान समय में महाराष्ट्र-कर्नाटक के मध्य सीमा-विवाद मुख्य रूप से बेलगांव में मराठी बोलने वाले क्षेत्रों को लेकर के हैं।
- **राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा:** भारत में कई क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो राजनीतिक लाभ उठाने के लिए क्षेत्रवाद के मुद्दों को उठाती रहती हैं। यह स्थिति भी राज्यों के मध्य सीमा-विवाद का कारण बनती है।
- **नृजातीय विविधता:** पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों के मध्य सीमा विवाद का प्रमुख कारण नृजातीय संघर्ष रहा है। नागालैंड के द्वारा ग्रेटर नागालिम की मांग, असम मेघालय विवाद इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

- **आर्थिक हित तथा ऐतिहासिक महत्त्वः** कई बार राज्यों के मध्य आर्थिक हित तथा सांस्कृतिक महत्त्व विवाद का कारण बनते हैं। उदाहरण स्वरूप तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में विभाजन के बाद हैदराबाद को लेकर के विवाद हुआ था। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक दोनों बेलगांव को इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि यह एक मात्र स्थान है जहां कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। वहीं लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश के मध्य विवाद सरचू क्षेत्र के लिए है जो लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित है। ध्यातव्य है कि उत्तराखंड, झारखण्ड तथा छत्तीसगढ़ के विभाजन के पीछे आर्थिक कारण उत्तरदायी रहे हैं।

सीमा-विवादों से उत्पन्न प्रभावः

यद्यपि भारत के संविधान में केंद्र को मजबूत करते हुए राज्यों के क्षेत्रीय अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है परंतु राज्य भारत के संघीय ढांचे में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अतः राज्यों के मध्य होने वाले सीमा-विवाद व्यापक रूप से प्रभाव डालते हैं जो निम्नवत हैं:

- सीमा-विवाद न सिर्फ राज्यों के मध्य तनाव को जन्म देते हैं बल्कि उस क्षेत्र विशेष में अराजकता की स्थिति को उत्पन्न करते हैं। महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मध्य इस विवाद में लोगों के मध्य कई हिंसक झड़पें भी हो चुकी हैं।
- यह संविधान में वर्णित बंधुत्व तथा एकता के सिद्धांतों को कमजोर करते हैं तथा कई बार राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को भी बाधित करते हैं।
- राज्यों के मध्य सीमा-विवाद क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं।
- इनके अतिरिक्त यह सार्वजनिक संपत्तियों की हानि, राज्यों की जनता के प्रति आपसी भावनात्मक दूरी तथा आर्थिक क्षति का कारक बनते हैं।

राज्यों के मध्य सीमा विवादों का निस्तारणः

- **संसद द्वाराः** भारतीय संविधान का अनुच्छेद-3 राज्य के सीमा निर्धारण तथा राज्यों के निर्माण के लिए संसद को सशक्त करता है। यह क्षेत्रीय अस्तित्व को गारंटी नहीं देता। अतः संसद राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए कानून ला सकती है। उदाहरण स्वरूप बिहार-उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम, 1968 तथा हरियाणा-उत्तर प्रदेश (सीमाओं का परिवर्तन) अधिनियम, 1979 पारित करके संसद ने इन राज्यों के मध्य सीमा-विवाद का निस्तारण किया था।
- **न्यायिक निस्तारणः** संविधान का अनुच्छेद-131 यह स्पष्ट करता है कि भारत सरकार तथा किसी राज्य या दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी भी प्रकार के विवाद का निस्तारण करना सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार होगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्र अधिकार का प्रयोग करके राज्यों के मध्य सीमा-विवाद का निस्तारण कर सकती है।
- **अंतरराज्यीय परिषदः** संविधान का अनुच्छेद-263 राष्ट्रपति को राज्यों के मध्य विवाद समाधान के लिए अंतर राज्य परिषद गठित करने की शक्ति देता है। यह परिषद राज्यों के मध्य आपसी समन्वय को बढ़ाती है जिसके द्वारा भी राज्यों के आपसी विवादों का निस्तारण किया जा सकता है।
- **आपसी समन्वय के द्वाराः** केंद्र सरकार की मध्यस्थता में दोनों पक्ष या सभी पक्ष अपने विवादों के निस्तारण हेतु समझौता कर सकते हैं। केंद्र सरकार की मध्यस्थता में असम तथा मेघालय के मध्य 12 विवादित बिंदुओं पर विवाद शांत करने के लिए बातचीत की जा रही है। असम तथा अरुणांचल ने आपसी विवादों के निस्तारण हेतु नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है।
- **जनमत संग्रह के द्वाराः** लोकतंत्र में जन आकांक्षाएं सर्वोपरि होती हैं। अतः यह आवश्यक है कि विवादित क्षेत्र की जनता से जनमत संग्रह करके यह निर्णय लिया जाए कि वे किस राज्य का अंग बनना चाहते हैं।

अन्य तथ्यः

भारत में विभिन्न राज्यों के मध्य चल रहे सीमा-विवादः

- उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के मध्य कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर विवाद।
- असम तथा मिजोरम के मध्य कछार, हैलाकंद, करीमगंज जिलों की सीमा को लेकर विवाद।
- असम तथा नागालैंड के मध्य गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर जिलों के लिए विवाद।
- हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में पंचकूला परवाणु क्षेत्र को लेकर विवाद।
- असम तथा मेघालय के 12 विवादित स्थानों को लेकर विवाद।
- असम तथा अरुणाचल में 123 गांव को लेकर के विवाद। 50 से अधिक गांव पर विवाद सुलझ चुका है। इसके संदर्भ में दोनों राज्यों ने नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है।
- हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख के मध्य सरचू क्षेत्र को लेकर विवाद।
- केरल तथा तमिलनाडु के मध्य विवाद।
- महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के मध्य बेलगांव क्षेत्र को लेकर विवाद।

निष्कर्षः

भारत के संघवाद के ढांचे में राज्य महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये केंद्र के द्वारा शक्तियों का विभाजन करते हैं तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर कानून बनाने की शक्ति रखते हैं। संविधान क्षेत्रीय अस्तित्व को गारंटी नहीं देता परंतु राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा आपसी बंधुत्व को बढ़ाने के लिए राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। हम यह कह सकते हैं कि राज्यों के मध्य उत्पन्न हो रहे सीमा विवाद अत्यंत गंभीर प्रकृति के हैं जिनका निस्तारण होना आवश्यक है। इस संदर्भ में केंद्र, राज्य तथा जन समूहों को एक व्यापक सोच के तहत इन विवादों का हल करना होगा। इससे राज्यों के मध्य न सिर्फ विकास, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इसके माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर लाभ होगा।

आंतरिक सुरक्षा

भारत विरोधी सोशल मीडिया नेटवर्क पर केंद्र सरकार की डिजिटल स्ट्राइक: उद्देश्य और आयाम

भारत वर्तमान समय में जिस तेज गति से एक मजबूत उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है, उससे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रगति के कई मानदंड स्थापित कर रहा है। उसके साथ ही हाल के वर्षों में कई भारत विरोधी तत्व भी सक्रिय हुए हैं जिसमें सोशल मीडिया नेटवर्क्स की भूमिका भी देखी गई है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे फोरमों के जरिये सरकार विरोधी दुष्प्रचार, भ्रामक सूचनाओं, पूर्वाग्रहों के प्रसार की कोशिश की गई है जिसके जरिये यह साबित करने की कोशिश की गई है कि भारत में रूल ऑफ लॉ ठीक से काम नहीं कर रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अत्याचार किये जा रहे हैं, देश में साम्प्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है, सरकार की पॉलिसीज और प्रोग्राम्स सफल नहीं हो रहे हैं। ऐसे ही कई यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक एकाउंट्स राष्ट्र विरोधी सूचनाओं के प्रसार में सक्रिय हैं जिनके खिलाफ डिजिटल स्ट्राइक करने का निर्णय केंद्र सरकार ने किया है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि देश के खिलाफ मुहिम चलाने वाले, समाज में भ्रम व भय फैलाने के लिए जिम्मेदार 104 यूट्यूब चैनलों के साथ ही ट्विटर के 5 एकाउंट्स तथा 6 वेबसाइटों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की गई है। केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-69(A) के तहत फेक न्यूज फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडलों और चैनलों को ब्लॉक किया गया है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि ये यूट्यूब चैनल भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, सरकारी योजनाओं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM), कृषि ऋण माफी आदि के बारे में झूठे और सनसनीखेज दावे फैलाते हैं, जैसे-सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि भविष्य के चुनाव मतपत्रों द्वारा आयोजित किए जाएंगे, सरकार ऐसे लोगों को पैसा दे रही है जिनके पास बैंक खाते, आधार कार्ड और पैन कार्ड हैं, ईवीएम पर प्रतिबंध लगाना आदि। यूट्यूब चैनलों को टीवी चैनलों के लोगों के साथ नकली व सनसनीखेज थंबनेल और उनके समाचार एंकरों की छवियों का उपयोग करते हुए देखा गया है ताकि दर्शकों को यह विश्वास हो सके कि समाचार विश्वसनीय था। ये चैनल अपने वीडियो पर विज्ञापन दिखाकर यूट्यूब पर गलत सूचनाओं से कमाई कर रहे थे।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का धारा-69(A) केंद्र सरकार को ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने और साइबर अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह प्राथमिक कानून है जो भारत में साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के ममलों से निपटता है। भारत सरकार ने आईटी अधिनियम की इस धारा का हवाला देते हुए 59 चीनी ऐप्स पर भी प्रतिबंध लगाया था।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-69(A) का महत्त्व:

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-69(A) केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त या संग्रहीत किसी भी जानकारी को इंटरसेप्ट करने, उन्हें मॉनिटर करने या डिक्रिप्ट करने के लिये निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। केंद्र और राज्य सरकारें जिन आधारों पर इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं, वे हैं:

- भारत की संप्रभुता या अखंडता के हित में भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा।
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध।
- सार्वजनिक आदेश या इनसे संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध हेतु उकसाने से रोकने के लिये।
- किसी भी अपराध की जाँच के लिये।

इंटरनेट वेबसाइटों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया:

- केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों में कई राष्ट्र विरोधी संदिग्ध वेबसाइटों के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा-69(A) के तहत कार्यवाही की है। धारा-69(A) उपरोक्त वर्णित कारणों और आधारों के लिये केंद्र सरकार को किसी भी एजेंसी या मध्यस्थों से किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, पारेषित, प्राप्त या भंडारित की गई किसी भी जानकारी की जनता तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिये कहने में सक्षम बनाती है। उल्लेखनीय है कि 'मध्यस्थों' शब्द में सर्च इंजन, ऑनलाइन भुगतान और नीलामी साइटों, ऑनलाइन मार्केटप्लेस तथा साइबर कैफे के अलावा दूरसंचार सेवा, नेटवर्क सेवा, इंटरनेट सेवा तथा वेब होस्टिंग के प्रदाता भी शामिल हैं।

वर्ष 2021 में 747 वेबसाइट और 94 चैनलों के खिलाफ हुई कार्यवाही:

- 21 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने भारतीय संसद को अवगत कराया था कि देश विरोधी कंटेंट दिखाने पर साल 2021-22 में लगभग 94 यूट्यूब, 2 चैनल और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया गया था। इसके साथ ही 747 वेबसाइटों को भी बंद किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री ने यह भी उल्लेख किया था कि 17 जुलाई को 78 यूट्यूब न्यूज चैनल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था। इन पर आईटी एक्ट 2000 की धारा-69(A) के उल्लंघन के आरोप में यह कार्यवाही की गई थी। साथ ही मंत्रालय ने 5 अप्रैल को भी 22 यूट्यूब चैनल, 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट ब्लॉक किया था। जानकारी के मुताबिक इन यूट्यूब चैनल्स के पास कुल 260 करोड़ व्यूअर थे। इन पर भी देश विरोधी कंटेट दिखाए जा रहे थे। वहीं 25 अप्रैल को 16 यूट्यूब चैनल बैन किए गए थे, इन चैनल्स में 10 भारतीय जबकि 6 पाकिस्तान बेस्ड चैनल थे। इन चैनल को आईटी रूल्स 2021 के तहत ब्लॉक किया गया। इन सभी चैनलों और अकाउंट्स का इस्तेमाल संवेदनशील, भारत की सुरक्षा, विदेश नीति, पब्लिक ऑर्डर से जुड़े मामलों में फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा था।

स्वस्थ सूचना तंत्र को क्षति पहुँचाने वाले कारकों के खिलाफ

अन्य कार्यवाही:

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसी वर्ष आईटी नियम 2021 के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में 8 यूट्यूब चैनल ब्लाक किये थे जिनके 85 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे। इन 8 चैनलों में एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भी था। इस मामले में केंद्र सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि ये चैनल केंद्र द्वारा धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने, धार्मिक त्यौहारों के उत्सव पर प्रतिबंध लगाने, भारत में धार्मिक युद्ध की घोषणा जैसे झूठे दावे कर रहे थे। बयान में आगे कहा गया कि इस तरह की सामग्री में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने जैसा पाया गया।
- केंद्र सरकार के मुताबिक ऐसे भी यूट्यूब चैनल पाए गए हैं जिन पर भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर को लेकर फेक न्यूज फैलाने का भी आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के दृष्टिकोण से ऐसी सामग्री को पूरी तरह से गलत तथा संवेदनशील माना गया है। सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के अभिगम को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी कार्यवाही की जा रही है।
- अभी तक इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी एक्ट की धारा-79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते किसी भी तरह की जवाबदेही से छूट मिली हुई थी जिसका मतलब यह था कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर कोई आपत्तिजनक जानकारी भी आती थी, तब भी यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसकी जिम्मेदारी लेने से बच सकते थे जिनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती थी। लेकिन अब जारी किए गए आधिकारिक दिशा-निर्देशों से साफ है कि अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो उनका इंटरमीडियरी स्टेटस छिन सकता है और वे भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्यवाही के दायरे में आ सकती हैं।
- केंद्र सरकार डिजिटल स्ट्राइक के जरिए दुष्प्रचार तंत्र को तोड़ने के लिए सक्रिय है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा धूमिल होती है, भारत विरोधी इकाईयों को आपसी गठजोड़ करने का अवसर मिलता है।
- केंद्र सरकार के गुड गवर्नेन्स संबंधी प्रयासों को भी इससे क्षति पंहुचती है। एक बेहतर निष्पक्ष इन्फॉर्मेशन बेस्ड सोसाइटी और इकोनॉमी देश की प्रगति के लिए अपरिहार्य है। इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक के तर्ज पर डिजिटल स्ट्राइक जैसे उपाय देश में संतुलित सूचना तंत्र के विकास का एक जरिया हैं। निश्चित रूप से ऐसे चैनलों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही की जानी जरूरी है जो भारत में दहशत फैलाने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के लिए झूठी जानकारी फैला रहे हैं।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003
GORAKHPUR
NEW BATCH - FACE TO FACE
GENERAL STUDIES
Hindi & English Medium
GOVERNANCE
by Ritesh Upadhyay
27 JANUARY
9 AM & 5:30 PM
2nd Floor Narayan Tower, Gandhi Gali,Golghar, Gorakhpur, UP
Call: 7080847474, 0551-2200385

पर्यावरणीय मुद्दे जल, जमीन तथा जलवायु संरक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता: हालिया अंतर्राष्ट्रीय बैठकों के निष्कर्ष

यूएन वाटर, यूएनएफसीसीसी कोप-27, यूएनसीसीडी और कोप-15 जैसे वैश्विक संगठनों की हालिया बैठकों में जल, जमीन तथा जलवायु संरक्षण के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यूएन वॉटर की हालिया ग्लास (ग्लोबल एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वॉटर) रिपोर्ट में कहा गया है कि समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा और संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किये बिना दुनिया को शांत, स्थिर और समृद्ध बना पाना भी बेहद कठिन हो जाएगा। ग्लास रिपोर्ट को जारी करते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूएन वाटर के द्वारा 120 से अधिक देशों में वाश प्रणाली यानी वॉटर सैनिटेशन एंड हाइजीन की स्थिति का विवरण दिया गया है। इसमें बताया गया है कि एक तिहाई से भी कम देशों में इतने पर्याप्त मानव संसाधन हैं कि उनसे अनिवार्य वॉटर सैनिटेशन एंड हाइजीन (वाश टास्क) दायित्वों का निर्वहन हो सकता है। यूनाइटेड नेशंस का भी अनुमान है कि वर्ष 2050 तक 4 बिलियन लोग जल की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित होंगे जिसके चलते जल को साझे करने को लेकर कई संघर्षों को बढ़ावा मिलेगा। यूएन का मानना है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में 31 देश जल की कमी के संकट का सामना कर रहे हैं और 2025 तक 48 देशों को गंभीर जल संकट का सामना करना होगा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने राष्ट्रों से 'वन वॉटर एप्रोच' अपनाने की अपील की है। वन वॉटर एप्रोच सभी जल के मूल्य और महत्त्व को मान्यता देता है। जल के स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर किसी भी प्रकार के जल संसाधन के साथ संरक्षण के स्तर पर भेदभाव न करने की बात वन वॉटर एप्रोच की मूल बात है। वन वॉटर एप्रोच सभी जल स्त्रोतों को एकीकृत, समावेशी और धारणीय ढंग से प्रबंधन करने पर बल देता है। इसमें जल संरक्षण के लिए विभिन्न समुदायों, बिजनेस लीडर्स, नीति निर्माताओं, एकेडेमिक्स से जुड़े लोग और अन्य साझेदारों को एकीकृत स्तर पर काम करने का आवाहन किया गया है।

जल संरक्षण की दिशा में वैश्विक स्तर पर जल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र हर साल विश्व जल दिवस का भी आयोजन करता है जिसका मुख्य उद्देश्य अब 'सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 6 की उपलब्धि का समर्थन कर 2030 तक सभी के लिए पानी और स्वच्छता उपलब्ध करना है।' सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 अरब लोगों तक जल जागरूकता बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से दुनिया भर के देशों को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ काम करना जरूरी है। इसी दृष्टिकोण के साथ 'भूजल: अदृश्य को दृश्यमान बनाना' या गायब होते भूजल को पुन: बहाल करना विश्व जल दिवस 2022 का मुख्य विषय रखा गया। यह 2022 के भूजल की स्थिति को ध्यान में रखा गया है। भूजल एक अदृश्य संसाधन है जिसका प्रभाव हर जगह दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से जल क्षेत्र में सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2013 और सतत विकास के लिए जल पर कार्यवाही के लिए वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय दशक, 2018 से 2028 तक, ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि पानी और स्वच्छता के उपाय गरीबी में कमी, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

भूमि संरक्षण की वैश्विक चुनौती:

- यूएनसीसीडी के कोप-15 में सूखे और मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए वैश्विक वचनबद्धता को अंगीकार किया गया। इस बैठक में 38 महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो भूमि निम्नीकरण, भूमि क्षरण से निपटने, प्रव्रजन (माइग्रेशन), लैंगिक मुद्दे और विविध संकटों से निपटने में लैंड की भूमिका से संबंधित थे। इस बैठक में सदस्य देशों में सहमति बनी थी कि वो एक इंटरगवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑन ड्रॉट फॉर 2022-2024 को गठित करेंगे जिससे एक बेहतर सूखा प्रबंधन तंत्र को विकसित किया जा सके। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़े कहते हैं कि हमारी पृथ्वी ग्रह की 40 प्रतिशत तक भूमि का निम्नीकरण (Degradation) हो चुका है। यह प्रत्यक्ष रूप से आधी मानवता को प्रभावित करेगा जो ग्लोबल जीडीपी के लगभग 50 प्रतिशत (अथवा लगभग 44 ट्रिलियन डॉलर) के समक्ष एक खतरा होगा। इसलिए वैश्विक नेताओं ने इस बात का निश्चय किया है कि 2030 तक 1 बिलियन हेक्टेयर लैंड का रेस्टोरेशन करने के प्रयासों को गति दी जाये। लैंड रेस्टोरेशन से जुड़ी वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए इससे जुड़े आंकड़ों के संग्रहण और निगरानी तंत्र में सुधार करने की आवश्यकता भी अब कुछ राष्ट्रों द्वारा समझी जा रही है। इसी कड़ी में 'ड्रॉट इन नंबर्स 2022' भी यूएनसीसीडी के नेतृत्व में जारी किया जा चुका है जिससे सूखे से निपटने के लिए देशों को अपनी तैयारियां करने में मार्गदर्शन मिल सके। यूएनसीसीडी के कोप-15 में ड्रॉट प्रीपेयर्डनेस और ड्रॉट रिजीलियेन्स को लेकर ब्लूप्रिंट बनाने के लिए ही ड्रॉट इन नंबर्स 2022 जारी किया गया है।
- आबिदजान कॉल इस मामले में एक वैश्विक फ्रेमवर्क देता है जिसमें यूएनसीसीडी के कोप-15 के लीडर्स से लैंड रेस्टोरेशन में लैंगिक समानता अथवा महिलाओं की भूमिकाओं को उचित मान्यता देने का आवाहन करते हुए आबिदजान उद्घोषणा जारी की गई है। यूएनसीसीडी के कोप-15 में लैंड, लाइफ एंड लीगेसी उद्घोषणा भी जारी की गई है जिसमें संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निपटान अभिसमय (यूएनसीसीडी) के फ्लैगशिप रिपोर्ट 'ग्लोबल लैंड आउटलुक 2' के निष्कर्षों को अमल में लाने से जुड़ी प्रतिक्रिया दी गई है।
- गौरतलब है कि 9 से 20 मई 2022 तक आबिदजान, कोटे डी आइवरी में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD) के पार्टियों के सम्मेलन (COP-15) का पंद्रहवां सत्र, सरकारों, निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के साथ आयोजित किया गया था। वहीं भारत ने 2 से 13 सितंबर 2019 तक नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दलों के सम्मेलन के चौदहवें सत्र की मेजबानी की थी।

- आइवरी कोस्ट के आबिदजान के 15वें सत्र में 'संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन' (यूएनसीसीडी) पार्टियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत के पर्यावरण मंत्री ने कहा था कि 'भूमि की देखभाल करने से हमें ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में मदद मिल सकती है। उन्होंने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने पर जोर दिया था। इस बैठक में भारत का कहना था कि विकसित देशों को कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी लाने का बीड़ा उठाना चाहिए।
- गौरतलब है कि मरुस्थलीकरण व सूखे से निपटने के लिए मनाए जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय दिवस पर इस टिकाऊ उत्पादन और खपत की अहमियत पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। इसके लिए फूड, फीड, फाइबर (Food- Feed- Fibre) नारा दिया गया है जिसका उद्देश्य लोगों को भोजन की बर्बादी रोकने, स्थानीय बाजारों में खरीददारी करने और हमेशा नए कपड़े खरीदने के बजाय कपड़ों की अदला-बदली करने के लिए प्रेरित करना है। भूमि मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए वैश्विक सन्धि पर यूएन कार्यालय (UNCCD) के कार्यकारी सचिव इब्राहिम चियाउ ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण इच्छानुसार यात्रा करने सहित कुछ आजादियों पर अस्थाई रूप से अंकुश लगा है लेकिन लोगों के पास चुनने की आजादी अब भी है।
- हाल ही में यूएन प्रमुख ने भूमि क्षरण की रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए हुए सहेल क्षेत्र में महान हरित दीवार (Great Green Wall) का जिक्र किया जिसे अफ्रीकी संघ ने वर्ष 2007 में शुरू किया था। इस पहल के जरिये सेनेगल से जिबूती तक वृक्षारोपण किया जा रहा है ताकि भूमि को पुनर्बहाल किया जाए, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिले और लोगों की जिन्दगी व आजीविकाओं में रूपान्तरकारी बदलाव लाए जा सकें।
- मरुस्थलीकरण या सूखे क्षेत्रों में भूमि का क्षरण, मुख्यत: मानव गतिविधियों और जलवायु में बदलावों के कारण होता है। इससे आम तौर पर तीन अरब से ज्यादा लोग नियमित रूप से प्रभावित होते हैं। ऐसे इलाके अत्यधिक दोहन और अनुपयुक्त इस्तेमाल के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं।
- मरुस्थलीकरण व सूखा से निपटने के लिए मनाए जाने वाले विश्व दिवस के अवसर पर इस वर्ष टिकाऊ उत्पादन और खपत की अहमियत पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। दरअसल, विश्व में हर वर्ष 12 मिलियन हेक्टयर उत्पादक भूमि मरुस्थलीकरण और सूखे के कारण बंजर हो जाती है। हर साल लगभग 20 मिलियन टन के बराबर अनाज के उत्पादन में कमी आ रही है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का पाँचवां भाग अर्थात् 20 प्रतिशत हिस्सा मरुस्थल है।

भारत में मरुस्थलीकरण की समस्या:

- दुनिया के कई देशों के साथ भारत भी ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन और साथ ही मानव जनित मरुस्थलीकरण की समस्या का सामना कर रहा है। भारत में भू-क्षरण का दायरा 96.40 मिलियन हेक्टेयर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.30 प्रतिशत है। भारत में 70 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र शुष्क भूमि के रूप में है, जिसमें से 30 प्रतिशत भूमि भू-क्षरण की प्रक्रिया में तथा 25 प्रतिशत भूमि मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में है। भारत के प्रमुख पर्यावरणीय गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2003-05 और 2011-13 के बीच भारत में 18.7 लाख हेक्टेयर भूमि का मरुस्थलीकरण हुआ है।
- गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, जम्मू-कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के भू-क्षेत्र मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

जलवायु परिवर्तन से निपटने की सामूहिक सोच का विस्तार:

- जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिस्र में 6 से 18 नवंबर तक कोप-27 का आयोजन हुआ था।
- 27वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सभी देशों के प्रतिनिधि 'नुकसान और क्षति' कोष (Loss and Damage Fund) स्थापित करने पर सहमत हुए। शर्म-अल-शेख अनुकूलन एजेंडा के तहत वर्ष 2030 तक सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील समुदायों में रहने वाले 4 अरब लोगों के लिये लचीलापन बढ़ाने हेतु 30 अनुकूलन परिणामों की रुपरेखा तैयार करने की भी बात की गई है। कार्बन क्रेडिट उत्पादन के विकास हेतु एवं अफ्रीका में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु अफ्रीकी कार्बन बाजार पहल (ACMI) शुरू की गयी है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सक्रिय होता भारत:

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में साल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य की घोषणा की थी। एक वर्ष के भीतर भारत ने प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कम कार्बन संक्रमण (low carbon transition) वाले मार्गों को इंगित करते हुए अपनी लंबी अवधि की कम उत्सर्जन वाली विकास रणनीति प्रस्तुत की। 2030 के जलवायु लक्ष्यों में महत्त्वाकांक्षा की वृद्धि संबंधी आह्वान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने अगस्त 2022 में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अपडेट भी किया। साथ ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा, ई-मोबिलिटी, इथेनॉल मिश्रित ईंधन और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में नए दूरगामी कदम उठाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) जैसे कार्यवाही और समाधानोन्मुख गठबंधनों के माध्यम से मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये दोनों ही गठबंधन भारत द्वारा प्रारंभ और वित्त पोषित किए गए हैं।
- यह विश्व कल्याण हेतु सामूहिक कार्यवाही के भारत के लोकाचार का प्रमाण है। 1.4 बिलियन लोगों का घर भारत, विश्व भर के संचयी उत्सर्जन में अब तक अपना योगदान 4 प्रतिशत से कम होने और हमारा वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग एक तिहाई होने की वास्तविकता के बावजूद इस दिशा में विकट प्रयास कर रहा है। सुरक्षित ग्रह के भारत के विजन के केंद्र में एक ही मंत्र है- लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोप-26 में प्रस्तुत किया था। भारतीय प्रधानमंत्री ने 20 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव महामहिम एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ को लॉन्च किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय

प्रचंड के नए नेतृत्व वाला नेपाल और भारत-नेपाल संबंधों पर प्रभाव

नेपाल की राजनीति लंबे समय से कई उतार चढ़ावों का सामना करती रही है। उसके पीछे नेपाल की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना जिम्मेदार रही हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक नेपाल की दलीय राजनीति की आंतरिक गुटबाजी रही है। इसका प्रभाव न सिर्फ नेपाल के विकास पर पड़ा है, बल्कि भारत-नेपाल संबंधों पर भी इसका प्रभाव पड़ता रहा है। नेपाल में सत्ता परिवर्तन के प्रश्न को भी इस आधार पर आंका जाता रहा है कि नेपाल का नया नेतृत्व भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देगा या चीनी प्रभाव में भारत के हितों को प्रभावित करेगा। हाल ही में नेपाल के संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को जीत मिली है। उन्होंने 275 नेपाली सदस्यों वाली संसद में से 268 सांसदों का समर्थन प्राप्त किया क्योंकि बहुमत परीक्षण के समय 270 सदस्य उपस्थित थे। केवल दो सांसदों ने ही प्रचंड के खिलाफ वोट किया। नेपाल में नए नेतृत्व के आते ही प्रचंड के नेतृत्व वाली सत्ताधारी गठबंधन सरकार ने भारत से लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को 'वापस' लेने का वादा किया है। सत्ताधारी गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हाल ही में सार्वजनिक किया गया। प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार नेपाल की संप्रभुता, एकता और अखंडता को लेकर प्रतिबद्ध है। हालांकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चीन से लगी सीमा और उससे जुड़े किसी भी विवाद पर मौन है। माना जा रहा है कि चीन के करीबी कहे जाने वाले नेपाल के नए प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड ने भारत विरोध पर टिके राष्ट्रवाद को हवा देनी शुरू कर दी है।

दरअसल, मई 2020 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में धारचुला से चीन की सीमा लिपुलेख तक एक सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल का दावा है कि सड़क उसके क्षेत्र से होकर गई। अभी यह इलाका भारत के नियंत्रण में है। 2019 के नवंबर महीने में भारत ने जम्मू-कश्मीर के विभाजन के बाद अपने राजनीतिक मानचित्र को अपडेट किया था, जिसमें लिपुलेख और कालापानी भी शामिल था। नेपाल ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी और जवाब में अपना भी नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था।

नेपाल सरकार द्वारा जारी नए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जारी एक डॉक्यूमेंट में एक गंभीर बात का खुलासा हुआ है। इस डाक्युमेंट में कहा गया है कि भारत ने कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा इलाकों पर अतिक्रमण किया है। नई सरकार इन इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। खास बात है कि जिन इलाकों पर नेपाल कब्जा जमाना चाहता है, उन इलाकों को साल 2019 और साल 2020 के राजनीतिक मैप में भारत अपनी सीमा के अंदर बता चुका है। इस बात पर उस समय नेपाल और भारत के बीच काफी विवाद भी देखने को मिला था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत नेपाल सरकार का लक्ष्य क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता को मजबूत करना है। चीन के तमाम विरोध के बाद भी पिछले साल नेपाल ने अमेरिका के साथ सहयोग से जुड़ी परियोजना मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन को संसद में मंजूरी दे दी थी। इस सहयोग से नेपाल अपने यहां ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में अमेरिकी मदद से विकास कार्य करेगा जिसपर चीन आपत्ति जता रहा था। चीन का मानना था कि इसके माध्यम से अमेरिका नेपाल में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाएगा और वहां से तिब्बत के जरिए चीन को अस्थिर करने की कोशिश भी कर सकता है। अब देखने की बात यह है कि नव निर्वाचित प्रधानमंत्री प्रचंड मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन से जुड़ी नेपाल को दी जाने वाली अमेरिकी सहायता को किस रूप में देखते हैं? दरअसल, मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन अमेरिका की एक इनोवेटिव और स्वतंत्र विदेशी सहायता एजेंसी है जो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर उन्हें गरीबी से लड़ने में मदद करती है जिसे जनवरी 2004 में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा बनाया गया है।

प्रचंड के नेतृत्व वाली नई सरकार बनते ही चीन ने नेपाल में अपने नवनियुक्त राजदूत चेन सांग को चीन-नेपाल द्विपक्षीय सबंधों की मजबूती के लिए नेपाल के दौरे पर भेजा। चेन सांग का कहना है कि चीन नेपाल सामरिक संबंधों के एक नए अध्याय की शुरुआत के साथ ही नेपाल में लंबित चीन के बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट्स को फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। प्रचंड की सरकार को यह भी सोचना होगा कि पिछले कुछ वर्षों से नेपाल का सत्ताधारी दल चीन के ऋण जाल में फसने के डर के चलते बीआरआई प्रोजेक्ट्स में कोई खास रुचि लेता नजर नहीं आया है। वैसे भी नेपाल श्रीलंका जैसी आर्थिक संकट की स्थिति को अपने यहां आमंत्रित करने से बचना चाहेगा, इसलिए संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि प्रचंड सरकार पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका के सहयोग को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटेगी।

चीन की भी मंशा है कि नेपाल में ऐसी सरकार ही रहे जो समय-समय पर कुछ मुद्दे उभारकर भारत को असहज कर सके। फिर चाहे वो सीमा विवाद हो, नदी जल विवाद हो, जाली मुद्रा हो या पशुओं की तस्करी हो, सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण भू-क्षेत्रों जैसे कालापानी, लिपुलेख, लिंपियाधुरा पर मैपिंग पॉलिटिक्स हो या नृजातीय समुदायों को भड़काने का मुद्दा हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नेपाली सरकारें स्वयं द्विपक्षीय विवाद को उभारना नहीं जानती है।

नेपाल के प्रधानमंत्री का देश के शीर्ष नेता के रूप में यह पहला कार्यकाल नहीं है। इससे पहले प्रचंड साल 2008 से 2009 तक और साल 2016 से 2017 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेपाल का एक रिवाज रहा है कि जब भी वहां कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उसकी पहली आधिकारिक यात्रा भारत की होती है, लेकिन जब पहली बार प्रचंड को नेपाल की सत्ता मिली तो उन्होंने यह रिवाज तोड़ने में देर नहीं लगाई और वे भारत की जगह चीन पहुंच गए। अब जब प्रचंड ने एक बार फिर नेपाल की सत्ता संभाल ली है, कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि प्रचंड इस सीमाविवाद को राष्ट्रवाद के नाम पर भुना सकते हैं। दरअसल, जिस तरह का राष्ट्रवाद कुछ दशकों पहले गुलामी से आजादी की सुबह देखने वाले भारत में है, उस तरह का राष्ट्रवाद नेपाल में देखने को नहीं मिलता है।

नेपाल में माओवादी पार्टी की मजबूती:

- साल 2008 में जब नेपाल में माओवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, उसके बाद से ही चीन ने नेपाल में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी थी। चीन लगातार इस बात के लिए काम करता रहा कि माओवादी पार्टी के भीतर टूट न हो। कहा जाता है कि साल 2013 में जब माओवादी पार्टी में टूट होने वाली थी तब भी चीन ने ही इसे रोका था। चीन चाहता था कि नेपाल की सभी कम्युनिस्ट पार्टियां एक होकर एक फ्रंट बनाएं लेकिन ये तब संभव नहीं हो सका था। संविधान निर्माण के दौरान भी चीन ने लगातार नेपाल के बड़े नेताओं से संपर्क बनाए रखा। कहा जाता है कि चीन की तरफ से ये सुझाव भी दिया गया कि नेपाल को क्षेत्रीय पहचान वाले संघीय ढांचे से दूरी बनानी चाहिए। जैसे ही संविधान का काम पूरा हुआ तो साल 2015 में देश की दो कम्युनिस्ट पार्टियों सीपीएन (माओवादी संेटर) और सीपीएन यूएमएल ने मिलकर एक फ्रंट तैयार किया जिसके प्रमुख केपी शर्मा ओली थे। ओली ने चीन के साथ ट्रांजिट और ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया जिससे देश की सप्लाई चेन को लेकर भारत पर निर्भरता कम हो सके। गौरतलब है कि नवंबर 2017 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी सीपीएन-यूएमएल यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल-यूनाइटेड मार्क्सवादी लेनिनवादी और प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मिलकर चुनाव लड़ी थी। फरवरी 2018 में ओली पीएम बने तथा सत्ता में आने के कुछ महीने बाद प्रचंड और ओली की पार्टी ने आपस में विलय कर लिया था। विलय के बाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनी। संसद में इनका दो तिहाई बहुमत था लेकिन ओली और प्रचंड के बीच की यह एकता लंबे समय तक नहीं चल सकी।

पुष्प कमल दहल प्रचंड की राजनीतिक यात्रा:

- लोकतांत्रिक नेपाल के पहले प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य भी पुष्प कमल दहल को ही मिला था। वह 2008-09 और फिर 2016-17 तक दो बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1975 में वह यूएसएआईडी से जुड़े, फिर साल 1981 में दहल नेपाल की अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी (चौथा सम्मेलन) में शामिल हो गए। इसके बाद राजनीति में उनका कद बढ़ता गया और 1989 में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) के महासचिव बन गए जो बाद में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बनी। 1990 में जब लोकतंत्र की बहाली हुई तब वे गुप्त रहकर काम करते थे। 1996 में जब नेपाल में राजशाही के खात्मे के लिए विद्रोही अभियान शुरू हुआ तो विद्रोह के 10 वर्षों के दौरान प्रचंड अंडरग्राउंड रहे। खास बात यह है कि उस दौरान आठ साल उन्होंने भारत में भी बिताए थे। अब पुष्प कमल दहल, केपी शर्मा ओली के सहयोग से एक बार फिर नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने पुष्प कमल दहल की पहचान नेपाल में विद्रोही नेता के तौर पर भी रही है। उन्होंने नेपाल में माओवादी विद्रोह का न केवल नेतृत्व किया था, बल्कि हिमालयी देश के राजशाही शासन को समाप्त करके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू की थी।

पुष्प कमल प्रचंड की भारत के प्रति सोच:

- पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद इस बात का मूल्यांकन शुरू हो गया है कि नए प्रधानमंत्री का भारत के प्रति दृष्टिकोण कैसा रहने वाला है? वैसे भी क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर प्रचंड और उनके मुख्य सहयोगी केपी शर्मा ओली के रिश्ते पहले से ही नयी दिल्ली के साथ कुछ बेहतर नहीं रहे हैं। प्रचंड ने अतीत में कहा था कि नेपाल में 'बदले हुए परिदृश्य' के आधार पर तथा 1950 की मैत्री संधि में संशोधन तथा कालापानी एवं सुस्ता (Susta) सीमा विवादों को हल करने जैसे सभी शेषमुद्दों के समाधान के बाद भारत के साथ एक नयी समझ विकसित करने की आवश्यकता है। भारत-नेपाल के बीच 1950 की शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों का आधार बनाती है।

नेपाल की राजनीति में नए दलों का उदय:

- कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनीफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (सीपीएन-यूएमएल), नेपाली कांग्रेस, सीपीएन (माओइस्ट सेंटर), राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी), राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, जनता समाज पार्टी और जनमत पार्टी नेपाल में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- नेपाल में वृद्ध होते राजनीतिक नेताओं और पारंपरिक दलों को लेकर मतदाताओं में आती निराशा ने नेपाल के युवाओं को राजनीति में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित किया है। इसके परिणामस्वरूप नेपाल की चौथी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी उभरी है, जिसका पंजीकरण चुनाव के मात्र कुछ माह पहले ही चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। इसी प्रकार, दो साल पहले ही पंजीकृत हुई जनमत पार्टी भी तराई क्षेत्र में एक प्रमुख राजनीतिक दल बन कर उभरी। पश्चिमी नेपाल में, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जिनके नेता जो अब भी जेल में हैं, वो भी एक शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आयी है जिसे नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। जनमत पार्टी भी मधेस में, अपने मतदाताओं खासकर के गरीब जनता और खाड़ी देशों में कार्यरत मधेसी प्रवासी से प्राप्त समर्थन के बूते, एक मजबूत प्रांतीय पार्टी के तौर पर उभरी है। इस पार्टी के नेता, सी.के.राउत काफी ख्यातिप्राप्त हो गए, क्योंकि- एक वक्त में उन्होंने भी अलग मधेस के लिए अलगाववादी आंदोलन चलाया था, परंतु बाद में वे केपी शर्मा-के नेतृत्व वाली सरकार के साथ मार्च 2019 में हुए एक सहमति के पश्चात प्रमुख धारा की राजनीति में शामिल हो गए।
- पिछले तीन दशक से, नेपाल में कई तरह के राजनीतिक और सामाजिक उतार-चढ़ाव आये। जिनमें माओवादी विद्रोह (1996-2006) सरीखी प्रमुख उथल पुथल, 239 साल पुराने राजशाही का खात्मा, हिन्दू राज्य का एक प्रजातान्त्रिक गणराज्य में परिवर्तन होना, एकसंघीय तरह की सरकार का संघीय व्यवस्था में तब्दीली होना, मधेसी उद्भव, 2015 में नए संविधान की घोषणा और स्थानीय, प्रांतीय और संघीय स्तर के दो चुनावों का आयोजन जिसमें से एक 2017 और दूसरा 2022 में सम्पन्न हुआ परंतु जो नहीं बदला वो है पारंपरिक राजनीति दलों का नेतृत्व।

सामाजिक मुद्दे

सामाजिक आर्थिक तंत्र को प्रभावित करता भ्रष्टाचार: चुनौतियां और समाधान की राहें

संदर्भ:

'केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति (डीए) अर्जित करने के मामले में बीएसएनएल के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी को दोषी ठहराते हुए कहा कि गंभीर भ्रष्टाचार ने भारत की आर्थिक गतिशीलता के प्रबल प्रयास को गंभीर रूप से बाधित किया है।' भारत में तमाम प्रयासों के बावजूद भ्रष्टाचार के मामले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। यह न केवल अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाता है वरन् सरकार की कल्याणकारी तथा विकास योजनाओं की क्षमता को कम करता है।

क्या है भ्रष्टाचार?

भ्रष्टाचार दो शब्दों भ्रष्ट और आचार से मिलकर बना है जिसमें भ्रष्ट का अर्थ बुरा या अनैतिक तथा आचार का अर्थ व्यवहार है। अगर सार्वजनिक जीवन में देखा जाए तो कोई ऐसा कार्य जो आपके पदीय कर्त्तव्यों के विरुद्ध है उसको करना ही भ्रष्टाचार है। इसका अंग्रेजी पर्याय करप्शन शब्द लैटिन भाषा के Corrputus शब्द से बना है जिसका अर्थ है तोड़ना या नष्ट करना। यह एक बहुआयामी अवधारणा है जिसकी एक सामान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। विभिन्न संस्थाओं द्वारा भ्रष्टाचार को निम्न रूप से परिभाषित किया गया है:

- के. संथानम समिति के अनुसार-सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान ऐसा कृत्य जो किसी स्वार्थ की दृष्टि से किया जाए अथवा जानबूझकर कार्य नहीं किया जाए भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।
- विश्व बैंक के अनुसार सार्वजनिक कार्यालय का व्यक्तिगत लाभ हेतु उपयोग ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में रिश्वत फिरौती पक्षपात आदि शामिल हैं।
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार सौंपी गई शक्ति का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग करना ही भ्रष्टाचार है।
- भ्रष्टाचार निरोधक समिति 1964 के अनुसार एक सार्वजनिक पद अथवा जनजीवन में उपलब्ध एक विशेष स्थिति के साथ संलग्न शक्ति तथा प्रभाव का अनुचित या स्वार्थ पूर्ण प्रयोग ही भ्रष्टाचार है।
- सार्वजनिक जीवन के संबंध में भ्रष्टाचार में धन की उपस्थिति और सार्वजनिक पद का दुरुपयोग अनिवार्य है यानी निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का इस प्रकार प्रयोग करना जिससे कानून भंग होता हो या समाज के मापदंडों का विचलन होता हो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं। अत:प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यक्तिगत लाभ के लिए निर्धारित कर्त्व्यों की जानबूझकर उपेक्षा करना ही भ्रष्टाचार है। वस्तुत: भ्रष्टाचार नैतिकता की विफलता को इंगित करता है। यह व्यवस्था की विडंबना है कि एक और मानव अपने लिए समाज में ऊंचे मापदंड तय करता है, वहीं दूसरी तरफ उसकी कमियों को अपने लाभ के लिए प्रयोग करता है। आश्चर्यजनक रूप से समाज में भ्रष्टाचार को चाहे अनचाहे रूप में मान्यता दे रखी है। भ्रष्टाचार का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है, यह समस्या केवल भारत की नहीं अपितु विश्वव्यापी हो चुकी है। जहां विकसित देशों में उच्च स्तरीय व्यापार एवं खरीददारी में भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहीं भारत में रेल टिकट आरक्षण से लेकर सिनेमा हॉल का टिकट, बच्चों की प्राथमिक विद्यालयों से लेकर सरकारी प्रवेश दिलाने तक में तथा सरकारी अस्पताल के बिस्तर से लेकर गैस सिलेंडर खरीदने तक में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है अर्थात जहां अन्य देशों में अवैध या गैरकानूनी चीजों के लिए भ्रष्टाचार होता है, तो वहीं भारत में वैध व आवश्यक चीजों के लिए भी रिश्वत दी जाती है।

भ्रष्टाचार के प्रकार:

अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में विश्व बैंक ने भ्रष्टाचार को उसकी प्रवृत्ति क्षेत्र तथा उद्देश्यों के आधार पर 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया है, जबकि भारतीय संदर्भ में केंद्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के 27 प्रकार बताए हैं। विश्व बैंक के अनुसार भ्रष्टाचार के निम्न प्रकार है:

- राजनीतिक भ्रष्टाचार।
- प्रशासनिक भ्रष्टाचार।
- लोक भ्रष्टाचार।
- बृहद भ्रष्टाचार।
- लघु भ्रष्टाचार।
- निजी भ्रष्टाचार।

भ्रष्टाचार के कारण:

सामाजिक कारण:

- **उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव-** आज समाज में उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार हो चुका है। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा ने लोगों को भ्रष्टाचार करने की ओर उन्मुख किया है।
- **सीमित संसाधन और अधिक जनसंख्या-** सीमित संसाधन और अधिक जनसंख्या के कारण लोगो में अधिक से अधिक संसाधन जुटा लेने की प्रवृति रहती है।
- **नैतिक मूल्यों का पतन-** समाज के नैतिक मूल्यों के पतन के कारण आज कैसे भी धन प्राप्त करना एक मूल्य बन गया है।
- **सामाजिक स्वीकार्यता-** भ्रष्टाचार से कमाए धन को सामाजिक स्वीकार्यता मिल चुकी है, आज का समाज उनका बहिष्कार करने के बजाय सम्मान देता है।
- **जन जागरूकता का अभाव-** लोगो में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव, उन्हें सरकारी कार्यालयों में रिश्वत देने के लिए मजबूर करता है।

आर्थिक कारकः

- आर्थिक कारकों के अन्तर्गत कम वेतनमान, महंगाई, कड़े व्यापारिक कानून, नेता व्यापारी गठजोड़ को माना जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों का कम वेतन उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जिससे वे अनैतिक तरीके से पैसा कमाने कि ओर उन्मुख होते है।

अन्य कारकः

राजनीतिक कारणः

- राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव।
- चुनाव तंत्र में व्याप्त कमियां।
- राजनीति का अपराधीकरण।
- पारदर्शिता का अभाव।

प्रशासनिक कारणः

- प्रशासन में भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता।
- प्रशासकों की विवेकाधीन शक्तियां।
- पारदर्शिता का अभाव।
- जटिल नौकरशाही प्रणाली।

वैधानिक कारणः

- कठोर कानूनों का अभाव।
- जटिल न्यायियक प्रक्रिया।
- कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन न होना।

भारत में भ्रष्टाचारः

- भारत में भ्रष्टाचार चर्चा और आन्दोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है। स्वतंत्रता के एक दशक बाद से ही भारतीय संसद में इस पर तीखी बहस होती रही है। 21 दिसम्बर, 1963 को भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर संसद में हुई एक बहस में डॉ. राममनोहर लोहिया ने कहा था 'सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट तथा बेईमान हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ है।' भारत में एक सरकारी राशन की दुकान से लेकर बड़े-बड़े मंत्रालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हालांकि 2014 के बाद से राजनीतिक भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया, परन्तु सरकारी कर्मचारियों के आय से अधिक संपत्ति के बहुत मामले प्रकाश में आए है। यदि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर प्रकाश डालें, तो भारत की वर्षवार रैकिंगः

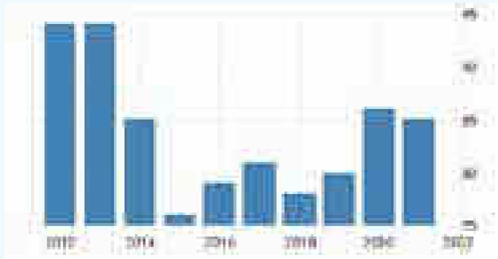

अन्य तथ्यः

भारत के कुछ बड़े भ्रष्टाचार के मामले

- बोफोर्स घोटाला - 64 करोड़ रू0
- यूरिया घोटाला - 133 करोड़ रू0
- चारा घोटाला - 950 करोड़ रू0
- शेयर बाजार घोटाला - 4000 करोड़ रू0
- सत्यम घोटाला - 7000 करोड़ रू0
- स्टैंप पेपर घोटाला - 43 हजार करोड़ रू0
- कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला - 70 हजार करोड़ रू0
- 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला - 1 लाख 67 हजार करोड़ रू0
- अनाज घोटाला - 2 लाख करोड़ रू0
- कोयला खोदान आवंटन घोटाला - 12 लाख करोड़ रू0

भ्रष्टाचार का प्रभावः

- विश्व बैंक के अनुसार हाल के वर्षों में, भ्रष्टाचार की आर्थिक और सामाजिक कीमत पर शक्तिशाली अनुभवजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने दिखाया है कि कैसे भ्रष्टाचार निवेश (घरेलू और विदेशी दोनों) में बाधा डालता है, विकास को कम करता है, व्यापार को प्रतिबंधित करता है, सरकारी व्यय के आकार और संरचना को विकृत करता है, वित्तीय प्रणाली को कमजोर करता है, और भूमिगत अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्टाचार और गरीबी के बढ़ते स्तर तथा आय असमानता के बीच एक मजबूत संबंध प्रदर्शित किया गया है। संक्रमणकालीन देशों का अनुभव इन निष्कर्षों का दृढ़ता से समर्थन करता है। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार के कारण होने वाली राजकोषीय विकृतियाँ, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता को कम करती हैं, जिसके विशेष रूप से गरीबों के लिए गंभीर परिणाम होते हैं। निवेश और विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव समान रूप से गरीबी को बढ़ाते हैं और कर आधार को कम करते हैं तथा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को भी कम करते हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र के अनुसार-** भ्रष्टाचार समाज के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करता है। भ्रष्टाचार को रोकना सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को खोलता है, हमारे ग्रह की रक्षा करने में मदद करता है, रोजगार सृजित करता है, लैंगिक समानता प्राप्त करने में मदद करता है, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक व्यापक पहुंच को सुनिश्चित करता है।

भ्रष्टाचार का सामाजिक प्रभावः

- लोक कल्याण में कमी।
- सामाजिक असंतोष का बढ़ना।
- असमानता में वृद्धि।
- सामाजिक न्याय में कमी।

भ्रष्टाचार का आर्थिक तंत्र पर प्रभाव:

- विकास प्रक्रिया प्रभावित।
- अर्थिक विषमता को बढ़ावा।
- सार्वजनिक व्यय में वृद्धि एवं राजस्व को हानि।
- घरेलू एवं विदेशी निवेश प्रभावित।

भ्रष्टाचार रोकने की दिशा में प्रयास:

- दुनियाभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही 9 दिसंबर को 'अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर, 2003 को एक प्रस्ताव पारित कर 'अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' मनाए जाने की घोषणा की। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रमुख कदम निम्न हो सकते हैं-
    - हितों के टकराव का प्रबंधन।
    - राजनीतिक वित्तपोषण को नियंत्रित करना।
    - चुनावी सत्यनिष्ठा को मजबूत करना।
    - लॉबिंग गतिविधियों का विनियमन।
    - अधिमान्य उपचारों से निपटना।
    - नागरिकों को सशक्त बनाना।
    - चेक और बैलेंस को मजबूत करना।

भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक नियमों और कानूनों का निर्माण किया है जिनमें कुछ प्रमुख निम्न है:

भ्रष्टाचार निवारण के सरकारी प्रयास एवं संस्थायें:

- केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो (CBI)
- मनी लांड्रिग अधिनियम, 2002
- सतर्कता आयोग
    - केन्द्रीय सतर्कता आयोग
    - राज्य सतर्कता आयोग
- व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 एवं संशोधित अधिनियम, 2018
- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013
- बेनामी सम्पत्ति व लेनदेन (प्रतिषेध) अधिनियम, 2016
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
    - केन्द्रीय सूचना आयोग
    - राज्य सूचना आयोग
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम

इन तमाम नियमों-कानूनों के बावजूद भारत में भ्रष्टचार के मामलों में कोई विशेष कमी नहीं आयी है, वरन् समाज में इसे आवश्यक बुराई के रूप में मान्यता प्राप्त होने लगी है। पीएम मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में इनोवेटिव उपायों की जरूरत पर बल दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जनधन आधार मोबाइल, (JAM) जैसे कार्यक्रम इस दिशा में काफी प्रभावी रहे हैं। विभिन्न राज्य सरकारों ने भी इस दिशा में कुछ इनोवेटिव पहलें की हैं जो भ्रष्टाचार को कम करने की दिशा में प्रभावी कदम हो सकता है।

भ्रष्टाचार को खत्म करने की नवाचार डिजिटल पहलें:

- ई-पुलिस।
- एम.पी. ऑनलाइन।
- सामान्य ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा।
- ई. पंजीकरण एवं ई. स्टांप।
- डी.बी.टी।
- रेलवे यात्री आरक्षण।

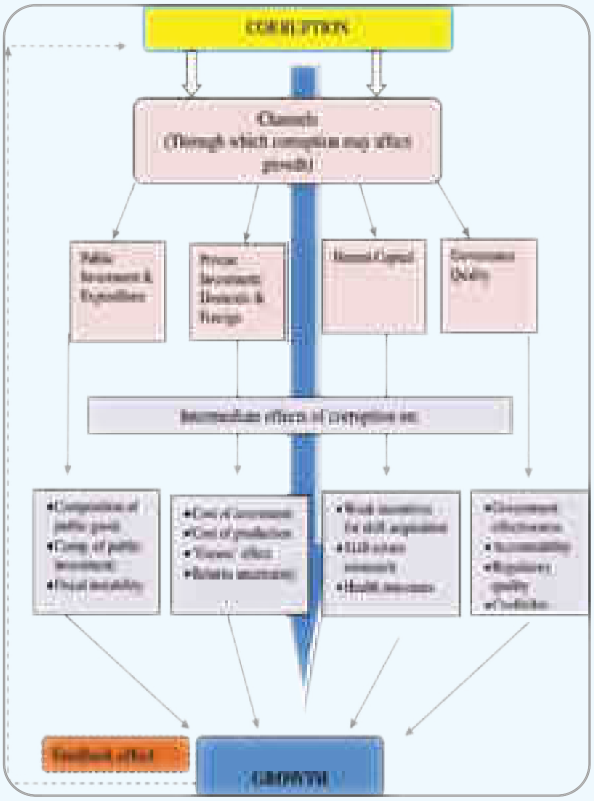

निष्कर्ष:

भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्र एवं दुनिया का इस जंग में शामिल होना आवश्यक है, क्योंकि भ्रष्टाचार आज किसी एक देश की नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या बन चुकी है। टैक्स हेवेन (Tax Haven) देशों को अपनी नीतियों में संशोधन करना आवश्यक है, क्योंकि विकासशील देशों का काला धन इनका प्रमुख गंतव्य बनता जा रहा है। अत: सम्पूर्ण विश्व को इस दिशा में कार्य करते हुए एक मंच पर आना होगा तभी इस बुराई को जड़ से समाप्त किया जा सकता है।

1 स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन

चर्चा में क्यों ?

भारत के जी-20 प्रेसीडेंसी के अंतर्गत हाल ही में केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा 'स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन' और 'जी-20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस' लॉन्च किया गया। स्टे सेफ ऑनलाइन और डिजिटल इनोवेशन एलायंस जी-20 देशों की अध्यक्षता में किसी भी मंत्रालय द्वारा दुनिया भर में शुरू किये जाने वाले पहले कार्यक्रमों से एक है।

स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन के बारे में:

- 'स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन' का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के व्यापक उपयोग और डिजिटल भुगतान को तेजी से अपनाने के कारण नागरिकों में ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रहने के लिए जागरूकता बढ़ाना है।
- भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि और तेजी से विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी परिदृश्य ने अनूठी चुनौतियां पेश की हैं।
- यह अभियान सभी आयु वर्ग के नागरिकों, विशेष रूप से बच्चों, छात्रों, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से सक्षम शिक्षकों, केंद्र/राज्य सरकारों के अधिकारियों आदि को साइबर जोखिम और इससे निपटने के तरीकों के बारे में जागरूक करेगा।
- नागरिकों में व्यापक स्तर तक जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषाओं में चलाया जाएगा।
- इस अभियान में इन्फोग्राफिक्स, कार्टून कहानियों, पहेलियों, लघु वीडियो, प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि के रूप में बहुभाषी जागरूकता सामग्री का प्रसार किया जायेगा।
- इसके अलावा सुरक्षित ऑनलाइन संदेश को सुदृढ़ करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से सरकार तथा अन्य संगठनों के सहयोग से पूरे वर्ष विभिन्न तरह के प्रचार और आउटरीच गतिविधियां की जाएंगी।

जी-20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस के बारे में:

- जी-20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस का उद्देश्य जी-20 देशों के साथ-साथ आमंत्रित गैर-सदस्य राष्ट्रों से स्टार्टअप्स द्वारा विकसित नवीन और प्रभावशाली डिजिटल तकनीकों को पहचानना तथा अपनाने में सक्षम बनाना है, जो एग्री-टेक, हेल्थ-टेक, एड-टेक, फिन-टेक, सिक्योर्ड डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा सर्कुलर इकोनॉमी के गंभीर रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में मानवता की जरूरतें संबोधित कर सकते हैं।
- यह डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (डीईडब्ल्यूजी) की बैठक के दौरान बैंगलोर में आयोजित किया जाएगा जो एक बहु-दिवसीय कार्यक्रम होगा।

आगे की राह:

उल्लेखनीय है कि 19 देशों और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बने जी-20 की स्थापना सितम्बर, 1999 में की गई थी जिसकी अध्यक्षता पहली बार(2023 में) भारत कर रहा है। भारत को इस दौरान सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को सुनिश्चित करने के साथ ही, डिजिटल इनोवेशन तथा डिजिटल इकोनॉमी पर जोर देना चाहिए ताकि इससे विकासशील देशों के हितों को संरक्षित किया जा सके।

2 अनुच्छेद 19 तथा 21 के तहत मौलिक अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी प्रवर्तनीय

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 4:1 के बहुमत से, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने कौशल किशोर बनाम यूपी राज्य में फैसला सुनाया कि संविधान के अनुच्छेद-19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार राज्य के अलावा निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ लागू करने योग्य हैं। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद-19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार को अनुच्छेद-19(2) में पहले से निर्धारित किए गए के अलावा, किसी भी अतिरिक्त आधार से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।

फैसले का महत्त्व:

- मूलरूप में मौलिक अधिकार राज्य के खिलाफ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा हेतु कार्य करता था। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य से अधिकारों के प्रवर्तन के विकास को 'प्राधिकारियों' से 'राज्य के साधन' तक 'सरकार की एजेंसी' से 'राज्य द्वारा प्रदत्त एकाधिकार स्थिति का आनंद' तक 'गहरे और व्यापक नियंत्रण' से 'निष्पादित कर्त्तव्यों/कार्यों की प्रकृति' तक को उल्लिखित किया है।
- **मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार-** न्यायालय ने निजी व्यक्तियों के खिलाफ बोलने की आजादी का विस्तार करते हुए, संवैधानिक कानून में संभावनाओं की एक शृंखला विस्तारित की है।
- **निजी संस्थाओं के खिलाफ अधिकारों को लागू करना-** यह व्याख्या राज्य पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व लाती है कि निजी संस्थाएं भी संवैधानिक मानदंडों का पालन करती हैं।

अधिकारों के ऊर्ध्वाधर से क्षैतिज आवेदन में बदलाव:

- सुप्रीम कोर्ट ने न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम सुलिवन में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी कानून में 'विशुद्ध रूप से ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण' से 'क्षैतिज दृष्टिकोण' में बदलाव लाया गया है।
- अधिकारों के लंबवत प्रयोग का अर्थ होगा कि इसे केवल राज्य के विरुद्ध ही लागू किया जा सकता है जबकि एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अर्थ होगा कि यह अन्य नागरिकों के विरुद्ध प्रवर्तनीय है।
- उदाहरण के लिए, जीवन के अधिकार का एक क्षैतिज अनुप्रयोग एक नागरिक को प्रदूषण फैलाने के लिए एक निजी संस्था के खिलाफ मामला लाने में सक्षम करेगा, जो स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है।

असहमतिपूर्ण निर्णय:

- माननीय न्यायालय ने माना कि निजी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ संवैधानिक अधिकारों को लागू करने में व्यावहारिक

कठिनाईयां है। अनुच्छेद-19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार, जिन्हें वैधानिक रूप से मान्यता दी गई है, केवल क्षैतिज रूप से न्यायोचित होंगे।

मौलिक अधिकारों की प्रकृति:

- मौलिक अधिकारों में राज्य विरोधी धारणा है अर्थात राज्य के मनमानी निर्णयों के खिलाफ इसे लागू करने की शक्ति है। हालांकि कुछ अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू होते हैं। जैसे अस्पृश्यता पर रोक (अनुच्छेद-17), तस्करी और बंधुआ मजदूरी (अनुच्छेद-23) स्पष्ट रूप से राज्य तथा अन्य व्यक्तियों दोनों के खिलाफ हैं।

आगे की राह:

भविष्य के बदलते रूप में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों के दायरे का विस्तार किया है। लोकतान्त्रिक मूल्यों को बढाने एवं निजी आर्थिक दौर के आलोक में यह निर्णय, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

3 ट्रिपल टेस्ट सर्वे रिजर्वेशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया गया, क्योंकि कोटा के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' की आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी। राज्य सरकार ने इसके लिए एक पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया।

ट्रिपल टेस्ट सर्वे रिजर्वेशन क्या है?

4 मार्च, 2021 को विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में ट्रिपल टेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया था। ट्रिपल टेस्ट के लिए सरकार को स्थानीय निकायों में ओबीसी के आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए तीन कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें शामिल है:

- स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की अच्छे से जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना।
- आयोग की सिफारिशों के आलोक में स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को निर्दिष्ट करना ताकि अतिव्याप्ति (Overbreadth) का उल्लंघन न हो।
- यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।

राज्य द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया:

- इससे पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रैपिड सर्वे के आधार पर नगर पालिका के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती थीं। यह पहला अवसर है जब प्रदेश में ओबीसी आरक्षण हेतु ट्रिपल टेस्ट सर्वे की बात की गई है। उल्लेखनीय है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था ताकि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया जा सके।

रैपिड सर्वे की जगह ट्रिपल टेस्ट क्यों?

- माननीय न्यायालय ने कहा कि इस तरह की कवायद सिर्फ सिरों (Heads) की गिनती तक ही सीमित नहीं रह सकती, जैसा कि रैपिड सर्वे के जरिए किया जाता रहा है। अदालत ने कहा कि केवल जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने से पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कारक छूट जाता है, और वह कारक संबंधित वर्ग या समूह का राजनीतिक प्रतिनिधित्व है।
- इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है कि सामाजिक और आर्थिक अर्थों में पिछड़ेपन का अर्थ जरूरी नहीं कि राजनीतिक पिछड़ापन हो। अनुच्छेद-243D, अनुच्छेद-243T, अनुच्छेद-15(4) तथा 16(4) के तहत प्रदान किए गए आरक्षण की प्रकृति के बीच अंतर को स्पष्ट करते हुए, 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने के. कृष्ण मूर्ति के मामले में यह भी कहा था कि इससे मिलने वाले लाभों की प्रकृति के बीच एक अंतर्निहित अंतर है। एक तरफ शिक्षा और रोजगार तक पहुंच तथा दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है।

आगे की राह:

अक्टूबर 2017 में, तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने ओबीसी उप-वर्गीकरण के विचार का पता लगाने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद-340 के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया था। आयोग के सुझावों को ध्यान रखते हुए, सरकार को आरक्षण के मुद्दे पर संवैधानिक तरीके से कार्य करना चाहिए

4 असम में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

चर्चा में क्यों?

कानून और न्याय मंत्रालय के अनुरोध के अनुसरण में, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने असम राज्य में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की कवायद शुरू कर दी है।

असम में परिसीमन अभ्यास:

- असम में अंतिम परिसीमन 1976 में 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया था।
- 2020 में, केंद्र सरकार ने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर के लिए एक परिसीमन आयोग अधिसूचित किया।
- यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपीए) की धारा-8ए के तहत अभ्यास किया जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड में संसदीय तथा विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की अनुमति देता है।
- असम में 14 लोकसभा, 126 विधानसभा और 7 राज्यसभा सीटें हैं।
- मौजूदा परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा।

परिसीमन अभ्यास क्या है?

- परिसीमन जनसंख्या में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विधानसभा या लोकसभा सीट की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने का कार्य है।

- मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है।
- न केवल जनसंख्या में वृद्धि बल्कि इसके वितरण में परिवर्तन को दर्शाने के लिए समय-समय पर अभ्यास आयोजित किया जाता है।

परिसीमन कौन करता है?

- यह परिसीमन आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है।
- आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है जो ईसीआई के सहयोग से काम करता है।
- **संघटन:**
  - » उच्चतम न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
  - » भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त।
  - » संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त।

संविधान में कहा गया है कि आयोग के आदेश अंतिम हैं और किसी भी अदालत के समक्ष इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

प्रक्रिया:

- अनुच्छेद-82 के तहत, संसद को हर जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाना है।
- अनुच्छेद-170 प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रावधान करता है।
- केंद्र सरकार अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग का गठन करती है।
- **आयोग के संदर्भ की शर्तें-**
  - » निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और सीमाएं निर्धारित करना।
  - » अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की पहचान करना।
- अब तक चार परिसीमन आयोगों की स्थापना की जा चुकी है- 1952, 1963, 1973 और 2002।
- 1981 और 1991 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं था।
- संसद द्वारा एक संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या को बढ़ाने से 2026 तक इस आधार पर रोक दिया गया कि 2026 तक पूरे देश में एक समान जनसंख्या हासिल कर ली जाएगी।

आगे की राह:

राज्य की जनसांख्यिकी में परिवर्तनों को शामिल करने के लिए असम में परिसीमन अभ्यास एक स्वागत योग्य कदम है। यह प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है।

5 लक्षद्वीप के 17 द्वीपों पर आधिकारिक रूप से प्रवेश पर रोक

- लक्षद्वीप प्रशासन(डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट) ने सीआरपीसी (CrPC) की धारा-144 के अंतर्गत 'राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सार्वजनिक सुरक्षा' का हवाला देते हुए लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से 17 द्वीपों में प्रवेश पर रोक लगा दी। अब यहां जाने के लिए सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेनी होगी।
- क्योंकि लक्षद्वीप एक संघ राज्य क्षेत्र है इसलिए आर्टिकल-239 के अंतर्गत यहां के प्रशासन का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के पास है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रपति लक्षद्वीप में एक प्रशासक की नियुक्त करता है जो वहां के शासकीय कार्यों की देखरेख करता है।

रोक के कारण:

- प्रशासन के अनुसार इन गैर-आबाद द्वीपों में नारियल की कटाई करने वाले मजदूरों के आवास के रूप में अस्थाई ढांचे मौजूद हैं।
- प्रशासन का मानना है कि इन मजदूरों की आड़ में यहां ऐसे लोगों के उपस्थित होने की संभावना है जो अवैध, असामाजिक एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों जैसे नशीले पदार्थों एवं हथियारों को छिपाने के कार्यों में संलिप्त हो सकते हैं।
- इस द्वीप को केंद्र बनाकर आतंकवादी समूह द्वारा देश के महत्त्व पूर्ण धार्मिक स्थलों, सैन्य एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर हमले एवं सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने से बचाया जा सकता है।
- नवीनतम आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 (लोक सेवक द्वारा दिए गए विधिक आदेश की अवज्ञा) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा जिसमें छह माह तक की जेल या जुर्माने का प्रावधान है।

लक्षद्वीप (Lakshadweep) के बारे में:

- संस्कृत शब्द से इसका आशय लाखों द्वीपों से है। यह भारत के दक्षिण- पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप सागर (अरब सागर) में स्थित है।
- वर्ष 1956 में इसे केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा मिला, जबकि 1973 में इसका नामकरण लक्षद्वीप किया गया था।
- यह द्वीप समूह विशाल समुद्र मग्न पर्वत श्रृंखला चागोस-लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का सबसे ऊपरी हिस्सा है।
- यहां साक्षरता दर 92% है तथा सर्वाधिक आबादी मुस्लिम बाहुल्य है।
- यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ-साथ एक जिला भी है।
- इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है तथा 68000 (2022) के आसपास जनसंख्या है। इसकी राजधानी कावारती है।
- यह केरल उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आता है। 'हिंदी' एवं 'अंग्रेजी' यहां की अधिकारिक भाषा है तथा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा 'मलयालम' है।

आगे की राह:

इस प्रकार हम देखते हैं कि लक्षद्वीप में किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों से भारतीय मुख्य भूमि विशेषकर पश्चिमी भारत में किसी भी प्रकार के षड्यंत्र की गतिविधियों पर रोक लगाया जा सकता है, क्योंकि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है अतः भारत सरकार को सजगता तथा सक्रियता से कार्य करना चाहिए।

6 जम्मू-कश्मीर में ग्रामीण रक्षक गार्ड की स्थापना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्णय के आलोक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 2 जनवरी, 2022 को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में ग्राम रक्षक गार्ड स्थापित किए जाने की घोषणा की। हाल ही में जम्मू-कश्मीर के डांगरी गांव में 2 दिनों में आतंकवादियों द्वारा 6 लोगों की हत्या कर दी गई जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हमलावरों से निपटने के लिए हथियार उपलब्ध कराए जाने की मांग की।

VDGs , VDCs से कुछ मामलों में भिन्न है:

- VDGs एवं VDCs दोनों नागरिकों का एक समूह है जो हमले की स्थिति में सुरक्षाबलों के आने तक आतंकवादियों से निपटने के लिए नागरिक समूह को बंदूक एवं गोला बारूद प्रदान करता है।
- नवीनतम योजना में VDGs का नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 4500 का भुगतान किया जाएगा, जबकि अन्य को 4000 प्रतिमाह मिलेंगे।
- पूर्व में VDCs का नेतृत्व करने वाले विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को केवल 1500 मासिक पारिश्रमिक प्रदान किया जाता था।

VDCs की संरचना:

- स्वैच्छिक आधार पर प्रत्येक VDCs में न्यूनतम 10 से 15 पूर्व सैनिकों और पुलिसकर्मियों तथा सक्षम स्थानीय युवाओं को नामांकित किया गया था।
- जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से औसतन उनमें से कम से कम पांच को 303 राइफल और 100 राउंड कारतूस प्रदान किए गए थे।
- हथियारों का आवंटन जिला मजिस्ट्रेट एवं एसएसपी के मूल्यांकन के आधार पर स्वयं सेवकों की साख, गांव की कुल आबादी एवं सुरक्षा आवश्यकताओं के आधार पर दिए गए थे।

VDCs के स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- 1990 के शुरुआती दशक में कश्मीर में उग्रवाद प्रारंभ हुआ था।
- 1993 में किश्तवाड़ में 13 लोगों के नरसंहार के बाद पहली बार नागरिक आबादी को हथियार देने की मांग उठी थी।
- ऐसी घटनाएं निरंतर बढ़ती गई जिससे हिंदुओं के पलायन को बढ़ावा मिला।
- 1995 में गृह मंत्रालय ने VDCs स्थापित करने का फैसला लिया तथा बाद में इस योजना का विस्तार जम्मू संभाग के अन्य क्षेत्रों में किया गया।

नागरिकों को हथियार बंद करने का विचार प्रेरित था:

- यह विचार 1965 एवं 1971 के भारत-पाक युद्ध से लिया गया।
- उस समय सरकार ने पाकिस्तानी जासूसों की घुसपैठ से बचने के लिए सीमा से सटे गांवों में पूर्व सैनिकों और विकलांगों को सशस्त्र किया गया।
- इससे घुसपैठ को रोकने एवं पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ने में काफी मदद मिली थी।

उग्रवादियों के खिलाफ लड़ाई में VDCs का योगदान:

- जम्मू संभाग के अधिकांश हिस्सा विशेष रूप से चिनाब घाटी एवं पीरपंजाल क्षेत्रों में VDCs ने उग्रवाद का मुकाबला करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
- स्थानीय स्थलाकृति से अच्छी तरह वाकिफ ग्रामीणों ने कई आतंकवादी हमलों को टाल दिया और उन्हें पकड़ने एवं मारने में मदद की।

VDCs क्यों विवाद में पड़ गए?

- VDCs को मानवाधिकारों के उल्लंघन, हत्या, बलात्कार, जबरन वसूली सहित अन्य अपराधों के आरोपों का सामना करना पड़ा।
- 2016 में तत्कालीन जम्मू- कश्मीर विधानसभा पटल पर राज्य भर में 4248 VDCs में 27924 नागरिक सेवा कर रहे थे। उनमें से 221 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

VDCs का निशस्त्रीकरण:

- धीरे-धीरे घाटी में जब शांति स्थापित हुई तब 2002 में VDCs को भंग करने की कुछ स्थानों में मांग उठने लगी।
- धीरे-धीरे VDCs के सदस्यों की संख्या में गिरावट आने लगी द्यकुछ वृद्धावस्था के कारण रिटायर हो गए, कुछ ने पारिश्रमिक के अभाव के कारण सदस्यता छोड़ दी तथा बहुतों ने हथियारों को सरेंडर कर दिया।

वर्तमान स्थिति:

- आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2022 के दौरान जम्मू-कश्मीर में 98 सफल मुठभेड़ों में 56 विदेशियों सहित कुल 186 आतंकी मारे गए थे।
- पूर्व की तुलना में इस वर्ष आतंकी गतिविधियों में युवाओं के शामिल होने में 37% की कमी देखी गई।
- माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर में VDGs की स्थापना के बाद आतंकवादी गतिविधियों में काफी सुधार आने की संभावना है।

आगे की राह:

इस प्रकार VDGs के माध्यम से आत्मरक्षा के अधिकार के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के प्रति केंद्र सरकार के सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण को देखा जा सकता है।

7 दूरस्थ मतदान (remote voting)

चर्चा में क्यों?

रिमोट वोटिंग के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ दल इसका विरोध कर रहे हैं, तो कुछ समर्थन कर रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा प्रवासी श्रमिकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर कार्यस्थल पर वोट डालने के लिए रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव दिया गया है।

रिमोट वोटिंग की जरूरत:

- चुनाव में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए ईसीआई द्वारा रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव लाया गया है। पिछला आम चुनाव जो 2019 में हुआ था, लगभग एक तिहाई मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला था।

- प्रवासियों को मतदान के अवसरों के कथित इंकार पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में चुनाव आयोग को दूरस्थ मतदान के विकल्प तलाशने का निर्देश दिया था।

ईसीआई के वर्तमान प्रस्ताव के बारे में:

- चुनाव आयोग एक प्रोटोटाइप रिमोट वोटिंग मशीन (आरवीएम) पर विचार कर रहा है, जो मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का एक संशोधित संस्करण है। आरवीएम एक रिमोट पोलिंग बूथ में 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभालने में सक्षम होगा। प्रवासियों के गृह राज्य में चुनाव होने पर विभिन्न राज्यों में विशेष दूरस्थ मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- दूरस्थ मतदाता को गृह निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करके सुविधा के लिए पूर्व-पंजीकरण कराना होगा। विशेष मतदान केंद्र तब दूरस्थ मतदाताओं के वर्तमान निवास के स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। RVM एक स्टैंडअलोन और गैर-नेटवर्क वाली प्रणाली है, पेपर बैलेट शीट के बजाय, RVM में एक डायनेमिक बैलट डिस्प्ले होगा जो विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चयन के साथ बदल सकता है।
- प्रणाली में वीवीपीएटी के समान एक उपकरण होगा ताकि मतदाता अपने मतों को सत्यापित कर सकें। इकाईयां प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वोटों की संख्या को बताएंगी, जिसकी गणना मतगणना के दिन की जाएगी। इसके बाद परिणाम होम आरओ के साथ साझा किए जाएंगे।

मुख्य चिंताएं:

- दूरस्थ मतदान केंद्रों पर आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन को लेकर।
- मतदान प्रक्रिया सुरक्षा को लेकर।
- घरेलू प्रवासियों की पहचान को लेकर।

आगे की राह:

दूरस्थ मतदान के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और 1951, चुनाव नियमों का संचालन, 1961 और निर्वाचकों का पंजीकरण नियम, 1960 में संशोधन की आवश्यकता होगी। 'प्रवासी मतदाता' को अवधि और अनुपस्थिति के उद्देश्य के संदर्भ में परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। 'रिमोटनेस' का अर्थ क्या है? इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है।

UPSC Prelims Sure Success-2023 Mock Test

मॉक टेस्ट में सम्मिलित होकर मुख्य परीक्षा के लिए अपनी सीट सुनिश्चित करें.

DHYEYA IAS "Prelims Sure Success-2023 Mock Test" एक प्रोग्राम लेकर आया है, जिसमें प्रश्नों के वर्तमान प्रवृत्ति पर आधारित विगत वर्षों के प्रश्न PYQ, संशोधित विगत वर्षों के आधार पर संभावित प्रश्न और समसामयिकी से संबंधित प्रश्न सम्मिलित हैं। यह कार्यक्रम आपके तैयारी के दबाव को कम करेगा और साथ ही तैयारी को अधिक कुशल बनाने में सहायता प्रदान करेगा।

UPSC Prelims Sure Success-2023 मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है आपकी सफलता के लिए-

1. प्रारंभिक परीक्षा में सफलता हेतु इस तरह का यह पहला कार्यक्रम है।
2. 15 वर्षों के प्रश्न पत्रों का गहन विश्लेषण।
3. यह वास्तविक रूप से यूपीएससी प्रश्नों के प्रवृत्ति से परिचित कराते हुए सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्नों का विषय-वार विश्लेषण कराएगा।
4. विगत वर्षों में आये हुये प्रश्नों से सम्बंधित संभावना हेतु समझ विकसित कराएगा।
5. विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ) पर आधारित सम्बन्धित प्रश्न प्रदान कराएगा।
6. विगत 2 वर्ष के समसामयिकी की समग्र कवरेज और उनसे संबंधित संभावित प्रश्न प्रदान करता है।
7. मॉक टेस्ट आपको गलत विकल्प चुनने की तकनीक (Elimination Techniques) में सटीकता प्रदान करने में मदद करेगा।
8. विषय विशेषज्ञों द्वारा वीडियो चर्चा के माध्यम से प्रत्येक मॉक टेस्ट की गहन विश्लेषण व्याख्या प्रदान कराएगा।
9. विषयों की सारगर्भित, गहन एवं विस्तृत उत्तर व्याख्या की प्रमाणिक स्रोत सहित स्पष्टता।

12 फरवरी 2023 से प्रारंभ

केवल ऑनलाइन मोड (हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में)

कुल टेस्ट- 12 (10 विषयवार और 2 संपूर्ण पाठ्यक्रम से) Price ₹ ~~4999/-~~ ₹ 499/-

For More Details Call: 9931290993

1 फ्रीडम कॉकस (CAUCUS) ग्रुप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में नये स्पीकर के चुनाव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में काफी मतभेद देखा गया। इसमें शामिल अल्ट्रा-रूढ़िवादी, हार्ड-राइट फ्रीडम कॉकस के अधिकतर सदस्यों ने केविन मैककार्थी को स्पीकर पद के लिए वोट देने से इंकार कर दिया। 1923 के बाद यह पहली बार है कि सदन में बहुमत दल का कोई उम्मीदवार स्पीकर पद के लिए पहला वोट (First Vote) नहीं जीत पाया है। हालांकि पुन: हुई वोटिंग में निकटतम अंतर (216-212) से मककार्थी स्पीकर चुने गये हैं।

फ्रीडम कॉकस ग्रुप के बारे में:

- फ्रीडम कॉकस में मोटे तौर पर 30 सदस्य शामिल हैं जो टी पार्टी (Tea Party) आंदोलन से संबंधित है, अपने आर्थिक रूप से रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी लोकलुभावन पदों के लिए जाना जाता है। इसमें कम करों की इच्छा, बजट में कटौती, सरकारी शक्तियों का विकेंद्रीकरण और आप्रवासन का विरोध शामिल है। कॉकस को नेटिविस्ट, एंटी-ग्लोबलिस्ट और व्हाइट सुपरमेसिस्ट भी कहा जाता है। इस ग्रुप की स्थापना जनवरी, 2015 में हुई थी जिसने 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दिया था।

स्पीकर का चुनाव कैसे होता है?

- नवम्बर, 2022 के मध्यावधि चुनाव में 435 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी के 222 सदस्य विजयी हुए जिसके बाद स्पीकर नैंसी पेलोसी ने इस्तीफा दे दिया था। नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए स्पीकर का चुनाव होना था। इस पद के लिए डाले गए कुल वोटों का बहुमत हासिल करना होता है। ऐसे में 435 सीटों के साथ, स्पीकर को जीतने के लिए 218 वोट मिलना चाहिए। जब तक कोई उम्मीदवार उस सीमा तक नहीं पहुंचता है, तब तक सदन मतदान जारी रहता है। सबसे अधिक रिकॉर्ड 1856 में बना था, जब स्पीकर चुनने में 133 मतपत्र और दो महीने लगे थे।

स्पीकर पद का महत्त्व:

- अमेरिका में प्रतिनिधि सभा का स्पीकर, उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति पद के लिए उत्तराधिकार की पंक्ति में दूसरे नंबर पर होता है जो सदन की अध्यक्षता के साथ विधायी एजेंडा और राजनीतिक स्वर (Political Tone) सेट करता है। आम तौर पर स्पीकर उस पार्टी से संबंधित होता है जो सदस्यों के बहुमत के साथ सदन को नियंत्रित करता है। हालांकि अन्य लोगों के लिए इस पद पर निर्वाचित होना संभव है, जिसमें एक बाहरी व्यक्ति भी शामिल है जो निर्वाचित सदस्य नहीं है। नवनिर्वाचित 57 वर्षीय मककार्थी ने भी पहले उद्बोधन में चीन की आलोचना की है।

आगे की राह:

नए स्पीकर के चुनाव के बाद अब उम्मीद है कि सदन में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता खत्म होगी और अमेरिका अपनी नीतियों से विश्व बंधुत्व को बढ़ावा देगा। इसके माध्यम से अनेक देशों का स्वच्छ और स्वतंत्र लोकतान्त्रिक व्यवस्था के प्रति विश्वास बढेगा।

2 एफएओ- खाद्य मूल्य सूचकांक

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध, सूखा और अन्य कारकों के कारण लगातार नौ महीनों तक गिरने के बाद भी अनाज और वनस्पति तेल जैसी खाद्य वस्तुओं की वैश्विक कीमतें पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर उच्चतम थीं।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:

- एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक (एफएफपीआई) दिसंबर 2022 में औसतन 132.4 अंक था, जो नवंबर से 2.6 अंक (1.9%) नीचे था। यह लगातार नौवीं मासिक गिरावट थी और एक साल पहले इसके मूल्य से 1.3 अंक (1.0%) नीचे था।
- सूचकांक में वनस्पति तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी गिरावट के साथ-साथ अनाज और मांस की कीमतों में कुछ गिरावट से प्रेरित थी, लेकिन चीनी तथा डेयरी की कीमतों में मामूली वृद्धि से इसकी भरपाई हो गई।
- समग्र रूप से 2022 के लिए, FFPI का औसत 143.7 अंक था, जो 2021 से 18 अंक या 14.3 प्रतिशत अधिक था।

गरीब देशों पर प्रभाव:

- 2022 में अनाज का मूल्य सूचकांक 17.9% बढ़ गया, जो बाजार में व्यवधान, उच्च ऊर्जा और इनपुट लागत, प्रतिकूल मौसम की स्थिति तथा निरंतर मजबूत वैश्विक खाद्य मांग सहित कारकों के कारण है।
- गरीब देशों ने शिप किए गए माल की मात्रा कम कर दी।
- दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक भारत में फसल की पैदावार पर प्रतिकूल मौसम की स्थिति के प्रभाव और थाईलैंड तथा ऑस्ट्रेलिया में पेराई में देरी से जुड़ी चिंताओं से चीनी की कीमतों में वृद्धि हुई है।

एफएओ खाद्य मूल्य सूचकांक (एफएफपीआई):

- FFPI खाद्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में मासिक परिवर्तन का एक अनुमान है।
- इसमें प्रत्येक समूह के औसत निर्यात शेयरों द्वारा भारित पांच वस्तु समूह मूल्य सूचकांकों का औसत शामिल है।
- आधार वर्ष: 2014-16।
- इसे 1996 में वैश्विक कृषि कमोडिटी मार्केट के विकास की निगरानी में मदद करने के लिए एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में पेश किया गया था।

एफएओ के बारे में:

- यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो भुखमरी को कम करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रही है।
- विश्व खाद्य दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है।
- इसका मुख्यालय रोम (इटली) में है।

आगे की राहः

संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यूक्रेन से अनाज निर्यात चैनल जैसी पहल और उत्पादक देशों में आपूर्ति में सुधार की संभावना इन बढ़ती लागतों में से कुछ को कम करने में मदद कर सकती है।

3 मिजोरम में कुकी-चिन शरणार्थियों की समस्या

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मिजोरम-बांग्लादेश सीमा पर शरणार्थी संकट के रूप में कुकी-चिन समुदाय के कई सदस्यों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) द्वारा भारत में अवैध प्रवेश से रोका गया था।

कुकी-चिन शरणार्थी संकटः

- म्यांमार के चिन, मिजोरम के मिजो और बांग्लादेश के कुकी के पूर्वज एक ही हैं।
- उन्हें सामूहिक रूप से जो (Jumma) लोग कहा जाता है।
- कुकी-चिन बांग्लादेश के चटगाँव पहाड़ी इलाकों (बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी भाग) के ईसाई समुदाय हैं और मिजोरम में लोगों के साथ घनिष्ठ जातीय संबंध साझा करते हैं।
- वे म्यांमार के सैन्य जुंटा द्वारा कार्यवाही और बांग्लादेश में पहचान के नुकसान (Identity Crisis) से बच रहे हैं।
- लगभग 300 लोगों ने नवंबर 2022 में भारत में प्रवेश किया था।
- मिजोरम सरकार ने समुदाय से संबंधित कुछ विद्रोहियों के खिलाफ बांग्लादेश रैपिड एक्शन बटालियन की कार्यवाही के बाद, इस समुदाय के लिए अस्थायी आश्रयों और अन्य सुविधाओं की स्थापना को मंजूरी दी है।

शरणार्थियों पर भारत का रुखः

- भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
- भारत शरणार्थियों को मान्यता नहीं देता है, अर्थात बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों पर विदेशी अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, वैध दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध अप्रवासी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर):

- यूएनएचसीआर की स्थापना 1951 में उन लाखों यूरोपीय लोगों की मदद के लिए की गई थी, जो अपना घर छोड़कर भाग गए थे या खो गए थे।
- यूएनएचसीआर शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में है।
- यह जीवन बचाने, अधिकारों की रक्षा करने और शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों तथा राज्य विहीन लोगों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करने के लिए समर्पित है।

आगे की राहः

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी समझौते पर हस्ताक्षर न करने के बावजूद, भारत मानवीय आधार पर शरणार्थियों के प्रति उदार रहा है। भारत ने पड़ोसी देशों के शरणार्थियों को सम्मान दिया है। अतः वर्तमान भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक विकास को देखते हुए इसे एक स्थायी नीति की आवश्यकता है।

4 भारत-अमेरिका व्यापार नीति ढांचा

चर्चा में क्यों?

भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (टीपीएफ) दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के मुद्दों को हल करने के लिए एक मंच है जिसने 11 जनवरी, 2023 को वाशिंगटन (यूएसए) में अपनी 13वीं बैठक आयोजित किया।

भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (TPF):

- टीपीएफ की स्थापना 2005 में हुई थी और टीपीएफ की आखिरी बैठक चार साल के अंतराल के बाद नवंबर 2021 को नई दिल्ली में हुई थी।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार तथा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि का कार्यालय टीपीएफ की नोडल एजेंसियां हैं।
- साझा व्यापार और निवेश उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए टीपीएफ एक द्विपक्षीय तंत्र के रूप में कार्य करता है।
- यह आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है और दोनों देशों के बीच लंबित व्यापार मुद्दों को हल करने में एक प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य करता है। टीपीएफ के पांच फोकस समूह हैं:
  - कृषि
  - निवेश
  - नवाचार और रचनात्मकता (बौद्धिक संपदा अधिकार)
  - सेवाएं
  - टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं।
- यह फोकस समूह भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश की बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है।

भारत-अमेरिका व्यापार और आर्थिक संबंधः

- **व्यापार-** देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 80.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 119.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- **विदेशी निवेश-** भारत को अप्रैल 2000 से जून 2022 के बीच अमेरिका से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 44.61 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए।
- अमेरिका 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।
- 2020-21 में अमेरिका को भारत का निर्यात 51.62 बिलियन डॉलर और आयात 28.88 बिलियन डॉलर था, जिसके परिणामस्वरूप अमेरिका के लिए लगभग 23 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा हुआ।
- शीर्ष व्यापार वाले सामानों में मोती और कीमती पत्थर, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, वाहन, रसायन और मछली उत्पाद शामिल हैं।

- भारत और अमेरिका ने 2014 में एक द्विपक्षीय निवेश पहल की स्थापना की है, जिसमें एफडीआई, पोर्टफोलियो निवेश, पूंजी बाजार के विकास तथा बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आगे की राह:

भारत और अमेरिका दोनों ही स्वाभाविक साझेदार हैं और दोनों के बीच व्यापारिक पूरकताएं हैं। लंबे समय से रणनीतिक और आर्थिक संबंध हैं, लोगों से लोगों का संपर्क है तथा दोनों ही जीवंत लोकतंत्र हैं। टीपीएफ के परिणाम दोनों देशों के साथ बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं।

5 भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना

चर्चा में क्यों?

निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारत पिछले साल वाहन बिक्री में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर चीन है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- प्रारंभिक परिणामों के आधार पर, भारत में नए वाहनों की कुल बिक्री लगभग 4.25 मिलियन यूनिट रही, जो जापान में बेची गई 4.2 मिलियन यूनिट से अधिक थी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-नवंबर 2022 की अवधि के दौरान भारत में डिलीवर किए गए नए वाहनों की कुल संख्या 4.13 मिलियन थी, भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी द्वारा रिपोर्ट की गई दिसंबर की बिक्री ने ही कुल 4.25 मिलियन का आंकड़ा छू लिया था।
- निक्केई एशिया के अनुसार, भारत में नए वाहनों की बिक्री का आंकड़ा और भी अधिक बढ़ सकता है क्योंकि देश को वाणिज्यिक वाहनों के लिए लंबित चौथी तिमाही के बिक्री डेटा को शामिल करने की उम्मीद है। साथ ही टाटा मोटर्स और अन्य वाहन निर्माता द्वारा जारी किए जाने वाले साल के अंत के परिणाम भी।

भारत की प्रभावशाली प्रगति:

- 2018-2020 के बीच भारतीय ऑटो उद्योग में उतार-चढ़ाव के बाद आंकड़े प्रभावशाली रहे हैं। 2019 में, वॉल्यूम 2018 के लगभग 4.4 मिलियन यूनिट से 4 मिलियन यूनिट के निशान से भी नीचे गिर गया था। इस गिरावट का एक बड़ा हिस्सा उस क्रेडिट संकट का परिणाम था जिसने उस वर्ष नॉनबैंक सेक्टर को प्रभावित किया था। इसके बाद वर्ष 2020 में COVID-19 के प्रकोप के कारण स्पष्ट गिरावट आई, जब वाहन की बिक्री 3 मिलियन यूनिट के निशान से भी कम हो गई। 2021 में ऑटो की बिक्री फिर से उछलकर 40 लाख यूनिट के करीब पहुंच गई। हालांकि, ऑटोमोटिव चिप्स की कमी के कारण बिक्री का आंकड़ा बाधित हुआ।
- 2022 में, ऑटोमोटिव चिप का मुद्दा कम होना शुरू हुआ, जिससे सेक्टर के सामान्य स्थिति में आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। टाटा मोटर्स, मारुती सुजुकी और अन्य वाहन निर्माता पिछले साल बिक्री में वृद्धि देख सकते हैं।
- वर्ष 1990 में जापान की ऑटो बिक्री 7.77 मिलियन यूनिट के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। तब से बिक्री लगभग आधी हो गई है। जापान देश की घटती आबादी के साथ, भविष्य में या जल्द ही किसी भी समय बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि की बहुत कम संभावना है। 2006 में जापान दूसरे सबसे बड़े वाहन बाजार के रूप में चीन से आगे निकल गया था। चीन ने इस क्षेत्र में अच्छी वृद्धि हासिल की और 2009 में वैश्विक बाजार आकार के लिए शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए संयुक्त राज्य को पीछे छोड़ दिया।

6 द वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने 12-13 जनवरी, 2023 को वर्चुअल मोड में 'द वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' के उद्घाटन पर संबोधित किया। इस शिखर सम्मेलन में लगभग 120 देशों ने भाग लिया।

शिखर सम्मेलन के बारे में:

'वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट' की थीम 'एकता की आवाज, एकता का उद्देश्य' के तहत ग्लोबल साउथ के देशों को एक साझा मंच पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक साथ लाने की परिकल्पना की गई है। शिखर सम्मेलन में कई सत्र आयोजित हुए और प्रत्येक सत्र में 10-20 देशों के नेताओं या मंत्रियों की भागीदारी हुई। उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित किया गया था। उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण विश्व के देशों की आवाज बनेगा और सभी वैश्विक मंचों पर सहयोग प्रदान करेगा। इसमें निम्नलिखित विषयों पर मंत्रिस्तरीय सत्र हुए:

- जन-केंद्रित विकास के वित्तपोषण पर वित्तमंत्रियों का सत्र।
- पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली (एलआईएफई) के साथ विकास को संतुलित करने पर पर्यावरण मंत्रियों का सत्र।
- 'वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताएं - अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना' पर विदेशमंत्रियों का सत्र।
- ऊर्जा सुरक्षा और विकास - समृद्धि का रोडमैप पर ऊर्जा मंत्रियों का सत्र।
- स्वास्थ्य मंत्रियों का सत्र 'लचीला स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली बनाने में सहयोग'।
- 'मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण' पर शिक्षामंत्रियों का सत्र।
- वाणिज्य और व्यापार मंत्रियों का सत्र 'वैश्विक दक्षिण में विकासशील तालमेल-व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और संसाधन'।
- 'जी-20: भारत की अध्यक्षता के लिए सुझाव' पर विदेशमंत्रियों का सत्र।

शिखर सम्मेलन का महत्त्व:

जी-20 अध्यक्षता:

- वर्ष 2023 की G-20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। भारत के विदेशमंत्री ने 'वैश्विक दक्षिण की आवाज' के रूप में देश की भूमिका को दोहराया, जिनका अन्य वैश्विक मंचों पर कम प्रतिनिधित्व है।
- यह आभासी शिखर सम्मेलन महत्त्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दिया था कि G-20 की प्राथमिकताओं को विकासशील देशों के परामर्श से आकार दिया जाएगा।
- **वैश्विक दक्षिण के सामने आम समस्या-** जैसा कि अधिकांश वैश्विक दक्षिण देश बढ़ती कीमतों, जलवायु परिवर्तन के कारण नुकसान, कट्टरता, आतंकवाद, गरीबी आदि समस्याओं का सामना कर रहे हैं। शिखर सम्मेलन इन चिंताओं पर विचार-विमर्श करने और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए सामान्य मंच प्रदान करेगा तथा समाधान इन तत्वों को संबोधित करने में प्रदर्शित होगा।

ग्लोबल साउथ क्या है?

- 'ग्लोबल साउथ' शब्द उन देशों के संदर्भ में शुरू हुआ जो औद्योगीकरण से वंचित रह गए थे जिसमें एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं।
- यह 'ग्लोबल नॉर्थ' के विपरीत है, जो अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को शिथिल रूप से संदर्भित करता है।
- वैश्विक दक्षिण और वैश्विक उत्तर के बीच आर्थिक विभाजन है जिसने दक्षिण-दक्षिण सहयोग को जन्म दिया, जो विकासशील तथा कम विकसित देशों का सहयोग है।

आगे की राह:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' के दृष्टिकोण से प्रेरित और भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम' के दर्शन से प्रेरित नीतियां, भारत को वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में चैंपियन बनाएगी। वर्तमान दुनिया में जहां उत्तर और दक्षिण के बीच अंतर G-20 अध्यक्षता के साथ शिखर सम्मेलन को कम कर रहा है। भारत उत्तर और दक्षिण के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने हेतु एक प्लेटफार्म प्रदान कर सकता है।

7 भारत-फ्रांस सम्बन्ध

चर्चा में क्यों?

भारत-फ्रांस सामरिक वार्ता के 36वें दौर के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष इमैनुएल बोने के साथ मुलाकात की। चर्चा का उद्देश्य समकालीन भू-राजनीतिक रुझानों को संबोधित करने के लिए रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी के लिए एक अग्रगामी रणनीतिक रोडमैप पेश करना था।

भारत-फ्रांस सम्बन्ध के बारे में:

- भारत-फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी ने शांति, स्थिरता और रणनीतिक स्वायत्तता को गति प्रदान किया है। वास्तव में, फ्रांस ने न केवल विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की स्थिति का लगातार समर्थन किया है, बल्कि 2017-22 में खुद को भारत के दूसरे सबसे बड़े रक्षा आपूर्तिकर्ता के रूप में भी स्थापित किया है। इसी तरह भारत, फ्रांस की आतंकवाद-विरोधी नीतियों से लेकर उसकी अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक भूमिका तक के मुद्दों पर फ्रांस का बचाव और समर्थन करने के लिए लगातार सामने आया है।
- भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी खुद को पूर्व और पश्चिम की प्रमुख शक्तियों के बीच अभिसरण के एक व्यावहारिक ढांचे के रूप में प्रस्तुत करती है। अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक परिदृश्य की जटिलता को स्वीकार करते हुए, दोनों राज्यों ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों में समकालीन रुझानों को संबोधित करने के लिए अपने सहयोग को प्रभावी ढंग से गहरा और व्यापक बनाने में कामयाबी हासिल की है। अन्य यूरोपीय शक्तियों के विपरीत जो बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, फ्रांस के हित विशेष रूप से राजनीतिक-सुरक्षा प्रकृति के हैं। फ्रांस ने इंडो-पैसिफिक के लिए एक रणनीति की रूपरेखा तैयार की है, जो क्षेत्र में पेरिस के राजनयिक नेटवर्क और रणनीतिक साझेदारी को सक्रिय रूप से मजबूत करना चाहता है।
- इंडो-पैसिफिक शक्ति और हिंद महासागर क्षेत्र में एक पारंपरिक सुरक्षा प्रदाता होने के नाते भारत की बढ़ती कूटनीतिक और भौतिक क्षमताएं, इस क्षेत्र में अपनी भू-राजनीतिक स्थिति को बढ़ा रही हैं। इसलिए भारत, के साथ रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने से फ्रांस के लिए हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए नए राजनयिक चैनल खुल सकते हैं, जिसके उदाहरण भारत और फ्रांस के संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया तथाजापान जैसे देशों के साथ संभावित त्रिपक्षीय रूपरेखा हैं। द्विपक्षीय स्तर पर, दोनों देशों ने एक-दूसरे की संवेदनशीलता को सम्मान करके और अपनी साझेदारी को तथा मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से आगे बढ़ने का रास्ता खोजकर अपनी परिपक्वता को भी चित्रित किया है।

आगे की राह:

भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी 2023 में आने वाले समस्याओं का समाधान प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोनों देशों को महत्त्वपूर्ण भौतिक क्षमता और साझा हितों तथा चिंताओं के साथ, हिंद-प्रशांत की सुरक्षा व भू-राजनीतिक स्थिति में हो रहे बदलावों को व्यावहारिक रूप से संबोधित करने के लिए उनके रणनीतिक संबंधों की संभावनाओं को लगातार विकसित एवं संचालित करने की आवश्यकता है।

पर्यावरणीय मुद्दे

1 इक्वाडोर अमेजॅन में नया बौना बोआ मिला

चर्चा में क्यों?

यूरोपियन जर्नल ऑफ टैक्सोनॉमी में प्रकाशित एक पेपर के अनुसार, ऊपरी अमेजॅन बेसिन में बौना बोआ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है।

बौना बोआ (Dwarf Boa) के बारे में:

- Tropidophiidae परिवार का सांप उत्तर-पूर्वी इक्वाडोर के मेघ वन में पाया गया था जो 20 सेंटीमीटर तक लंबा था।
- स्वदेशी किसान अधिकार कार्यकर्ता डोलोरेस कैकुआंगो के नाम पर इसका नाम ट्रोपडोफिस कैकुआंगो रखा गया।
- इसकी बाहरी विशेषताओं और हड्डियों की संरचना के आधार पर इसे उसी जीनस के अन्य सरीसृपों से पहचाना जा सकता है।
- इसका रंग मुख्य रूप से गहरे भूरे या काले धब्बों के साथ हल्का भूरा होता है- बोआ कंस्ट्रिक्टर के समान।
- ये प्रजातियां अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम में पूर्वी उष्णकटिबंधीय पीडमोंट और निचले सदाबहार पर्वतीय जंगलों में निवास करती हैं और एक इक्वाडोरियन स्थानिक होने का अनुमान है।
- दो नमूने एक-दूसरे के 50 किमी के दायरे में पाए गए- कोलोन्सो चालूपास नयओनल रिजर्व और सुमक कावसे पार्क।
- यह प्रजाति 'अवशेष श्रेणि' के लिए असामान्य है, जो आदिम साँप की विशेषता है।

खोज का महत्व:

- अवशेषी श्रेणी की विशेषता इस बात का प्रमाण हो सकती है कि सांप उन छिपकलियों के वंशज हैं जिन्होंने लाखों वर्षों में अपने अंगों को खो दिया है।
- ट्रोपडोफिस कैकुंगोई की खोज दर्शाती है कि विज्ञान द्वारा छोटे गुप्त कशेरुकियों का पता लगाए बिना और औपचारिक रूप से वर्णन किए बिना बड़ी अवधि से गुजर सकते हैं।

आगे की राह:

यह दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसंधान में तेजी लाने की एक महत्त्वपूर्ण आवश्यकता पर प्रकाश डालता है जहां सूचना अंतराल रहता है, लेकिन उच्च जैव विविधता को बरकरार रखने का संदेह है जिन्हें मानव प्रभावों से गंभीर रूप से खतरा है।

2 बम (BOMB) चक्रवात और इसका प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भारी हिमपात तथा बारिश के कारण बम चक्रवातों ने बड़े स्तर पर जनधन क्षति पहुंचाई जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुयी है।

'बम चक्रवात' या बॉम्बोजेनेसिस (Bombogenesis) क्या है?

- इसका निर्माण तब होता है जब एक मध्य अक्षांश चक्र तेजी से बढ़ता है जिसमें 24 घंटे में कम-से-कम 24 मिलीबार की गिरावट आई हो। यह तेजी से दो वायु राशियों के बीच दबाव अंतर, या ढाल को बढ़ाता है, जिससे हवाएं तेज हो जाती हैं। इस त्वरित गति से होने वाले मौसम प्रणाली के बनने की प्रक्रिया को बॉम्बोजेनेसिस (Bombogenesis) कहा जाता है।
- सरल शब्दों में, बॉम्बोजेनेसिस एक तूफान (कम दबाव का क्षेत्र) है जो तेजी से प्रभाव बढाता है। इस तरह के अधिकांश तूफान समुद्र के ऊपर आते हैं। तूफान प्रकृति में उष्णकटिबंधीय या गैर-उष्णकटिबंधीय हो सकता है। बॉम्बोजेनेसिस को मौसम बम या बम चक्रवात जैसे अन्य नामों से भी जानते हैं।

अमेरिका और कनाडा में क्यों?

- पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक तूफानों के लिए बॉम्बोजेनेसिस से गुजरने वाला एक पसंदीदा क्षेत्र है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां उत्तरी अमेरिका की ठंडी हवा अटलांटिक महासागर के ऊपर गर्म हवा से टकराती है। गल्फ स्ट्रीम का गर्म पानी भी एक भयंकर तूफान को बढ़ावा देता है।

बम चक्रवात का प्रभाव:

- बम चक्रवात भारी वर्षा तथा हिमपात भी ला सकते हैं जो क्रिसमस की छुट्टी के दौरान मोंटाना से लेकर पूर्वी तट तक अमेरिका के एक बड़े हिस्से में सर्दियाँ बढ़ा देते हैं। हाल ही में इसने अटलांटा, बोस्टन, शिकागो और न्यूयॉर्क सहित शहरों में तबाही मचाई जिसमें बफेलो सबसे अधिक प्रभावित शहर था जहां 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएँ चलीं। इसने बिजली समस्या, सड़क परिवहन और हवाई उड़ानों को भी प्रभावित किया है।

बम चक्रवात के लिए किसी को कैसे तैयारी करनी चाहिए?

- राष्ट्रीय मौसम सेवा आपात स्थिति के लिए यात्रा करने और घर पर आवश्यक वस्तुओं को स्टॉक करने की सलाह देती है। अगर वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो विंटर सर्वाइवल किट साथ रखें और बर्फ में फंसे होने की स्थिति में वाहन के साथ रहें। जब बिजली को जमीन के ऊपर तार-खंभों द्वारा पहुंचाया जाता है तो बर्फानी तूफान और भारी बर्फ की स्थिति में बिजली आपूर्ति गुल हो सकती है। विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखते हुए चक्रवात की बेहतर तैयारी करनी चाहिए जिससे क्षति को कम किया जा सके।

3 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने सतत और नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी, जिसके तहत लगभग 19744 करोड़ रूपये खर्च करने की योजना है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में:

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 को कम से कम पांच मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन

क्षमता विकसित करने और 2030 तक लगभग 125 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के समग्र पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लागू किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये होगा, जबकि कुल निवेश 8 लाख करोड़ रूपये का होगा। इसके तहत 6 लाख नौकरियों का सृजन, 1 लाख करोड़ रूपये से अधिक जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी तथा वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 एमएमटी की कमी होने की संभावना है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य:

- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव के लिए निर्यात अवसरों का सृजन।
- औद्योगिक, गतिशीलता और ऊर्जा क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन।
- आयातित जीवाश्म ईंधन और फीडस्टॉक पर निर्भरता में कमी।
- स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास।
- रोजगार के अवसरों का सृजन।
- अत्याधुनिक तकनीकों का विकास।
- ग्रीन हाइड्रोजन की मांग निर्माण, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्रदान करना।

हरित हाइड्रोजन के बारे में:

- हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, गैर विषैले और अत्यधिक ज्वलनशील गैसीय पदार्थ है जो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह मुख्यत: तीन प्रकार का होता है; ग्रीन, ग्रे तथा ब्लू हाइड्रोजन। सौर, पवन या पनबिजली जैसे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। 'ग्रीन' इस बात पर निर्भर करता है कि हाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है, जो जलने पर ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन नहीं करती है?

भारत में हरित हाइड्रोजन प्रयोग की वर्तमान स्थिति:

- अभी भारत का बिजली ग्रिड मुख्य रूप से कोयला आधारित है। उच्च तकनीकी प्रयोग तथा अधिक पूँजी निवेश के कारण ग्रीन हाइड्रोजन वर्तमान में व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। भारत में मौजूदा लागत लगभग 350-400 रुपये प्रति किलोग्राम है। यह 100 रुपये प्रति किलोग्राम से कम की उत्पादन लागत पर व्यवहार्य होने की संभावना है। पायलट परियोजनाओं की सफलता के आधार पर गैस आधारित डीआरआई इकाईयों की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है।

आगे की राह:

स्वच्छ ईंधन स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के प्रयोग की बात 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से होने लगी थी, लेकिन 1970 के दशक में तेल की कीमत में अचानक तेजी से जीवाश्म ईंधन की जगह हाइड्रोजन प्रयोग पर गंभीरता से विचार किया जाने लगा। विश्व के कई देशों में इस पर तेजी से रिसर्च हो रहा है, जिसमें भारत को भी सहभागिता बढाने की आवश्यकता है ताकि हमारी ऊर्जा निर्भरता कम हो तथा अक्षय ऊर्जा के माध्यम से 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

4 साइलेंट वैली पक्षी सर्वेक्षण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क में एक पक्षी सर्वेक्षण किया गया जिसमें कुल 175 प्रजातियों की पहचान की गई। इनमें 17 नई प्रजातियां दर्ज की गई। इस सर्वेक्षण से साइलेंट वैली में पक्षी सर्वेक्षण की 30वीं वर्षगांठ पूर्ण हुई।

साइलेंट वैली नेशनल पार्क:

केरल और तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरि पहाड़ियों में स्थित, साइलेंट वैली नेशनल पार्क 89.52 वर्ग किमी (34.56 वर्ग मील) का एक संरक्षित क्षेत्र है जो विभिन्न प्रकार की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का घर है। पहली बार 1847 में वनस्पतिशास्त्री रॉबर्ट वाइट द्वारा खोजा गया था।

- इसे 1984 के वर्ष में एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- यह जैव विविधता का एक समृद्ध क्षेत्र है जिसमें करिम्पुझा वन्यजीव अभयारण्य, नया अमरंबलम आरक्षित वन और नीलांबुर में नेदुमकायम वर्षावन भी शामिल है।
- 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगल को आरक्षित वन घोषित किया गया था।
- पार्क की सीमाओं के भीतर रहने वाले स्वदेशी जनजातीय समूहों में इरुलास, कुरुम्बास, मुदुगास और कट्टूनाइक्कर शामिल हैं। इन

समुदायों की जातीय विरासत अच्छी तरह से संरक्षित है।

- कुन्थिपुझा नामक एक बारहमासी नदी पार्क के पश्चिमी भाग से होकर उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती हुई अंत में भरतपुझा में मिल जाती है।

सर्वेक्षण के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- इस दौरान पहचानी गई 17 नई प्रजातियों में ब्राउन वुड उल्लू, बैंडेड बे कुक्कू, मालाबार वुडश्रीके, व्हाइट-थ्रोटेड किंगफिशर, इंडियन नाइटजर, जंगल नाइटजर और लार्ज कोयलश्रीक शामिल हैं।
- जिन पक्षियों को देखा उनमें नीलगिरी लाफिंग थ्रश, नीलगिरि फ्लावरपेकर, ब्राउन चीक्ड फुलवेट्टा, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाइकैचर, ग्रे हेडेड कैनरी फ्लाईकैचर, ग्रीनिश वार्बलर, कॉमन शिफचौफ, टाइटलर लीफ वार्बलर, शाहीन फाल्कन, नीलगिरी वुड पिजन और मालाबार सीटी थ्रश प्रमुख हैं।
- इस सर्वेक्षण में 30 बर्डर्स और वन कर्मचारियों की एक टीम ने भाग लिया जिसे केरल नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सहयोग से आयोजित किया गया था।

आगे की राह:

भविष्य में साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बफर जोन में एक और पक्षी सर्वेक्षण किया जाएगा। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी आबादी की और अधिक व्यापक समझ प्रदान करेगा जो संरक्षण के प्रयासों में मदद करेगा।

5 SAIME इनिशिएटिव सुंदरबन में मैंग्रोव बहाली हेतु नई उम्मीद

चर्चा में क्यों?

सुंदरबन में 'SAIME इनिशिएटिव' नाम की एक नई झींगा पालन पहल मैंग्रोव बहाली के लिए आशा प्रदान करती है।

एसएएमई (SAIME) पहल क्या है?

- सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम (SAIME) पहल 2019 में शुरू की गई थी।
- यह स्थायी झींगा खेती के लिए एक समुदाय आधारित पहल है।
- इस पहल की कल्पना एनजीओ नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्डलाइफ सोसाइटी (NEWS), ग्लोबल नेचर फंड नेचरलैंड और बांग्लादेश एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी (BEDS) ने की थी।
- इस पहल के तहत, किसानों ने पश्चिम बंगाल में 30 हेक्टेयर में झींगा की खेती की है जो मैंग्रोव का जीर्णोद्वार कर रहे हैं।

झींगा की खेती क्या है?

- झींगा पालन एक जलीय कृषि व्यवसाय है जो या तो समुद्री या मीठे पानी के वातावरण में मौजूद हैं तथा मानव उपभोग के लिए झींगा या झींगे का उत्पादन करता है।
- भारत में अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लगभग 15,000 से 20,000 हेक्टेयर में झींगा की खेती की जाती है।
- वे ब्लैक टाइगर श्रिम्प (पी. मोनोडॉन) और विशाल मीठे पानी के झींगे (एम. रोसेनबर्गी) की स्वदेशी किस्मों की भी खेती कर रहे हैं।

भारत में झींगा कृषि की चुनौतियां:

- ल्यूमिनेसेंट बैटेरियल संक्रमण।
- गुणवत्तापूर्ण वूडस्टॉक की उपलब्धता।
- कीमत की समस्या।

मैंग्रोव के बारे में:

- मैंग्रोव एक झाड़ी या पेड़ है जो तटीय खारे या खारे पानी में उगता है।
- मैंग्रोव वृक्षों की लगभग 80 विभिन्न प्रजातियाँ हैं, जिस मिट्टी में मैंग्रोव की जड़ें होती हैं, उसके कारण एक चुनौती बन जाती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है।
- मैंग्रोव वन तूफानी लहरों, धाराओं के कारण होने वाले कटाव को कम करके समुद्र तट को स्थिर करते हैं।

सुंदरबन के बारे में:

- सुंदरबन का जंगल भारत और बांग्लादेश में लगभग 10,000 वर्ग किमी में फैला हुआ है। इसका 40% जंगल भारत में है।
- भारत में सुंदरबन जंगल टाइगर रिजर्व और 24 परगना (दक्षिण) वन में बांटा गया है।

भारतीय झींगा किसानों के लिए भविष्य की संभावनाएं:

- श्रम की कम लागत और कृषि योग्य झींगा के सबसे बड़े वैश्विक उत्पादकों में से एक बनकर हासिल की गई अर्थव्यवस्था के पैमाने के कारण, भारत दुनिया में मूल्यवर्धित झींगा का एक प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। हैचरी, फीड मिलों और प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापित क्षमता भविष्य के विस्तार का समर्थन कर सकती है।

6 एशियाई हाथी पर अध्ययन

चर्चा में क्यों?

एशियाई हाथी, जो पूरे भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाता है, महाद्वीप पर सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। हाल ही में पारिस्थितिकीविदों, संरक्षणवादियों और वैज्ञानिकों की एक बहु-अनुशासनात्मक टीम ने एक अध्ययन में पाया है कि मानव बस्तियों तथा कृषि आदि के कारण लुप्तप्राय एशियाई हाथी ने अपना अधिकांश 'इष्टतम' निवास स्थान खो दिया है।

अध्ययन के महत्त्वपूर्ण बिंदु:

- शोध में पाया गया कि जब पहाड़ी क्षेत्रों में बाधाएं खड़ी की जाती हैं, तो हाथियों की आबादी के बीच जीन का प्रवाह कम हो जाता है, जिससे अंत:प्रजनन, कम आनुवंशिक विविधता और विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाता है।
- पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, जिसमें NBR शामिल है, लगभग 6,000 जंगली हाथियों का घर है, जो इस क्षेत्र की सबसे बड़ी शेष आबादी है। हालांकि पालघाट गैप जो अपेक्षाकृत समतल क्षेत्र है जिसे कृषि द्वारा रूपांतरित किया गया है, बाकी घाटों से मानव बस्तियों और फसल की खेती से कट गया है।

- इसने हाथियों को पहाड़ी इलाकों तक ही सीमित कर दिया है, जहां पर रहने की जगह कम है और खतरनाक इलाके के कारण उनका खतरा बढ़ गया है।
- इसके अलावा अध्ययन में पाया गया कि घाटों में उत्तरी और दक्षिणी हाथियों की आबादी में आनुवंशिक भिन्नता का मध्यम स्तर है, जो दोनों क्षेत्रों के बीच सीमित जीन प्रवाह का संकेत देता है। गलियारों के माध्यम से कनेक्टिविटी की कमी के कारण हाथियों की आबादी का विखंडन हुआ है।

एशियाई हाथी:

- 13 देशों में वितरण के कारण अलग-अलग उप-प्रजातियां घास के मैदानों से लेकर उष्णकटिबंधीय जंगलों तक कई प्रकार के आवासों में निवास करती हैं। उनकी उन्नत बुद्धि और जटिल सामाजिक संरचना उन्हें तेजी से बदलते परिवेश में उपलब्ध संसाधनों के अनुकूल होने की अनुमति देती है।
- एशियाई हाथी की तीन उप-प्रजातियां हैं:
  - श्रीलंकाई हाथी
  - भारतीय हाथी
  - सुमात्रन हाथी

एशियाई हाथी की संरक्षण स्थिति:

- एशियाई हाथी को 1986 से IUCN रेड लिस्ट में 'लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है क्योंकि पिछले 60-55 वर्षों में हाथी की आबादी में गिरावट आई है।
- भारत में जंगली हाथियों के संरक्षण में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 1992 में भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना शुरू की गई थी।
- वनों की कटाई, मानव अतिक्रमण, हाथी की खाल और दाँत के लिए अवैध शिकार आदि से हाथियों की सुरक्षा को खतरा है। हाथी की खाल की मांग काफी बढ़ गई है जिसका चीनी चिकित्सा में प्रयोग होता है।

आगे की राह:

पारिस्थितिकीविदों, संरक्षणवादियों और वैज्ञानिकों की एक बहु-अनुशासनात्मक टीम द्वारा बाड़ लगाकर संरक्षित क्षेत्रों के भीतर एशियाई हाथी आबादी के जीन प्रवाह को बदल सकता है। हाथियों के आवासों के प्रबंधन, अवैध शिकार को हटाने या इसे पूरी तरह से रोकने के माध्यम से प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करती है। लोगों के बीच संरक्षण के महत्त्व के बारे में जागरूकता पैदा करके, हाथियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, के माध्यम से हाथियों व उनके आवास को संरक्षित किया जा सकता है।

7 जोशीमठ : तबाही का मंजर

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में भू-धंसाव और भूस्खलन की घटनाएँ सामने आयीं। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने वहाँ रह रहे लोगों का पुनर्वास करने की योजना बनायीं है तथा वित्तीय सहायता भी कर रही हैं। फरवरी 2021 में हिमनदी झील के फटने से आई बाढ़ ने इस क्षेत्र को गंभीर रूप से प्रभावित तथा क्षतिग्रस्त किया है जिसके बाद से स्थिति और भी खराब हो गई है।

प्राकृतिक कारण:

- जोशीमठ 1890 मीटर की ऊँचाई पर गढ़वाल हिमालय की तलहटी में स्थित है, जिसके समीप अलकनंदा और भागीरथी नदी बहती है। इसकी नाजुक प्रकृति, भूवैज्ञानिक संरचनाओं और सक्रिय टेक्टोनिज्म के कारण भूस्खलन, भूमि धंसाव तथा भूकंप (हाई-रिस्क सिस्मिक जोन-V) का खतरा रहता है। हिमालय, दुनिया का सबसे नया वलित पर्वत उच्च अपरदन, भूस्खलन और भूकंप के प्रति अतिसंवेदनशील है। इसके अलावा, जोशीमठ शहर के आसपास का क्षेत्र ढीली सामग्री (Loose Material) की परत और अत्यधिक अपक्षयित नाइस (gneiss) चट्टानों पर स्थित है, जो इसके दरार के लिए अत्यधिक संवेदनशील बनाता है।

मानवीय गतिविधियाँ:

- व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पेड़ों की कटाई, सड़क निर्माण, शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, बांधों और जलाशयों का निर्माण स्थलाकृति को अस्थिर तथा कमजोर करता है। जोशीमठ आध्यात्मिक और पर्यटन स्थलों जैसे बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, औली आदि का प्रवेश द्वार है। कनेक्टिविटी तथा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए चार-धाम राजमार्ग परियोजना और पनबिजली परियोजनाएं भी बनाई जा रही हैं। एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना भी चिंता का कारण है, जिसकी सुरंग जोशीमठ के नीचे भूगर्भीय रूप से नाजुक क्षेत्र से होकर गुजरती है।

गठित समितियों की प्रारंभिक चेतावनी:

- 1976 में, सरकार द्वारा नियुक्त एमसी मिश्रा समिति ने पहले ही चेतावनी दी थी कि जोशीमठ नाजुक स्थिति में है जिसकी संवेदनशील प्रकृति के कारण क्षेत्र में निर्माण कार्य से बचा जाना चाहिए। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा 'उत्तराखंड आपदा 2013' रिपोर्ट में बांध निर्माण को भूस्खलन के बढ़ने के कारणों में से एक बताया गया है।
- भूस्खलन और भूमि का धंसना उत्तराखंड हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की नियमित विशेषताएं हैं। इसलिए, आपदा की रोकथाम और शमन (Mitigation) ही एकमात्र रास्ता है। क्षेत्र का माइक्रो-जोनेशन और उसके बाद प्रत्येक जोन का उनके भूविज्ञान के अनुसार सूक्ष्म नियोजन किया जाना चाहिए। निर्माण गतिविधियों और संसाधनों का दोहन क्षेत्र की वहन क्षमता से अधिक नहीं होना चाहिए।

आगे की राह:

प्रकृति का अपना सहिष्णुता स्तर और सीमा है जिसका हर कीमत पर सम्मान किया जाना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि 'पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच के लिए पर्याप्त नहीं है'। जब लालच को आवश्यकता पर प्राथमिकता दी जाती है, तब प्रकृति जोशीमठ भूमि धंसने जैसी आपदा को सामने लाती है।

1 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विडियो कांफ्रेंस के द्वारा 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस (ISC) की शुरुआत आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय (महाराष्ट्र) में किया। 3 से 7 जनवरी तक आयोजित हुए, इस वर्ष के ISC की थीम 'महिला सशक्तीकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी' है। इसमें सतत विकास, महिला सशक्तीकरण और इसे प्राप्त करने में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।

इंडियन साइंस कांग्रेस (ISC) के बारे में:

- आईएससी देश में अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम है जो वैज्ञानिक समुदायों को छात्रों और आम जनता के साथ विज्ञान से संबंधित मामलों पर नित नए विचारों के लिए एक मंच पर लाता है जिसका आयोजन इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन (ISCA) द्वारा किया जाता है।
- ISCA केंद्र सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के सहयोग से काम करने वाली एक स्वतंत्र संस्था है। इंडियन साइंस कांग्रेस का पहला सत्र 1914 में एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता में आयोजित किया गया था। पिछले वर्ष इसका आयोजन नहीं हुआ था जबकि 2020 में बैंगलोर और 2019 में पंजाब में हुआ था।

108वें इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रमुख बिंदु:

- कांग्रेस को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि पीएचडी शोध कार्यों और स्टार्टअप इकोसिस्टम की संख्या के मामले में भारत अब दुनिया के शीर्ष तीन देशों में से एक है। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में 40वें स्थान पर है, जबकि 2015 में 81वें स्थान पर था।
- पीएम मोदी ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि इसके माध्यम से महिलाओं का न सिर्फ सशक्तीकरण हो, बल्कि महिलाओं की भागीदारी से विज्ञान भी सशक्त हो। उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के अधिकाधिक प्रयोग की वकालत की।
- उन्होंने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन (जिसे भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लॉन्च किया गया था) हेतु वैज्ञानिक समुदाय की आवश्यकता का समर्थन किया। इसके लिए भारत में इलेक्ट्रोलाइजर जैसे महत्त्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। मिशन का उद्देश्य जलवायु लक्ष्यों (2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन) को पूरा करने और भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाने में सहायता करना है।
- उन्होंने भारत में तेजी से बढ़ते अंतरिक्ष क्षेत्र में कम लागत वाले उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों की भूमिका को भी स्वीकार किया और क्वांटम कंप्यूटिंग के महत्त्व की ओर इशारा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), संवर्धित वास्तविकता (एआर) और आभासी वास्तविकता (वीआर) को प्राथमिकता के रूप में रखने की आवश्यकता है।

आगे की राह:

आज जब विश्व में आम जनमानस की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए तकनीकी प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसे में इसके सतत, समावेशी तथा एफोर्डबल बनाने प्रयोग के लिए और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है ताकि पर्यावरण प्रदूषण से लेकर जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को हल किया जा सके।

2 नए इलेक्ट्रोलाइट्स बेहतर अमोनिया संश्लेषण हेतु मददगार

चर्चा में क्यों?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के एक स्वायत्त संस्थान, नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (INST) मोहाली के भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने नया जलीय इलेक्ट्रोलाइट (NaBF4) विकसित किया है जो इलेक्ट्रोकेमिकल अमोनिया संश्लेषण को और अधिक कुशल बनाने में मदद कर सकता है जो हरित ऊर्जा या हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए उपयोगी होगा।

नए विकास में अंतर्दृष्टि:

- वैज्ञानिकों ने (NaBF4) नामक एक नया इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है जो माध्यम में N2-वाहक के रूप में कार्य करता है।
- यह बिल्कुल परिवेशी प्रायोगिक स्थितियों में अमोनिया (NH3) की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सक्रिय सामग्री संक्रमण धातु-डोप्ड नैनोकार्बन (MnN4) के साथ एक पूर्ण 'सह-उत्प्रेरक' के रूप में भी काम करता है।
- NH3 के स्रोत का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया था और मुख्य रूप से शुद्ध N2 गैस की विद्युत रासायनिक कमी (N2 को NH3 में परिवर्तित करने के लिए इसे N2 संतृप्त इलेक्ट्रोलाइट बनाकर) की पुष्टि की गई थी।

सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट (NaBF4) के बारे में:

- यह एक नमक है जो रंगहीन या सफेद पानी में घुलनशील रोम्बिक क्रिस्टल बनाता है।
- यह पानी में घुलनशील है लेकिन कार्बनिक सॉल्वैंट्स में कम घुलनशील है।

इलेक्ट्रोलाइट क्या है?

- इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा घुलनशील पदार्थ है जो ध्रुवीय विलायक में घुलने पर बिजली का संचालन करता है।
- अम्ल, क्षार और लवण सबसे अधिक ज्ञात इलेक्ट्रोलाइट्स हैं।

विकास का महत्त्व:

- इलेक्ट्रोकेमिकल अमोनिया संश्लेषण काफी हद तक जलीय इलेक्ट्रोलाइट वातावरण में नाइट्रोजन (N2) की खराब घुलनशीलता के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी हाइड्रोजन विकास प्रतिक्रिया द्वारा सीमित है।
- इन मुद्दों को हल करने के प्रयास में, 'परिवेश' स्थितियों पर अधिकतर ध्यान दिया जाता है।

- शोधकर्ता ज्यादातर उत्प्रेरक विकास पर काम करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोलाइट इम्प्रोवाइजेशन अभी भी शैशवावस्था में है।
- हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार, नाइट्रोजन रिडक्शन रिएक्शन (NRR) से संबंधित 90.7% शोध कार्य उपयुक्त उत्प्रेरक विकास पर केंद्रित हैं, जबकि केवल 4.7% इलेक्ट्रोलाइट्स पर काम करने के लिए समर्पित हैं।

आगे की राह:

डीएसटी एसईआरबी द्वारा समर्थित यह काम एक उपयोगकर्ता के अनुकूल जलीय इलेक्ट्रोलाइट (NaBF4) लाता है जो शोधकर्ताओं को इलेक्ट्रो उत्प्रेरकों के बेहतर एनआरआर प्रदर्शन की दिशा में जलीय इलेक्ट्रोलाइट डिजाइनिंग पर अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।

3 ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार द्वारा नया मसौदा जारी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी मंत्रालय (MeitY) ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में संशोधन के रूप में ऑनलाइन गेमिंग के लिए मसौदा नियम जारी किया।

प्रस्तावित मसौदा नियम:

- सभी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को स्व-नियामक निकाय के साथ पंजीकरण कराना होगा।
- स्व-नियामक निकाय में सार्वजनिक नीति, आईटी, मनोविज्ञान और चिकित्सा सहित विविध क्षेत्रों के पांच सदस्यों के साथ निदेशक मंडल शामिल होंगे।
- इसमें एक से अधिक नियामक निकाय हो सकते हैं जो सभी को खेलों के पंजीकरण मानदंडों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- गेमिंग फर्मों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, जिसमें उपयोगकर्ताओं के केवाईसी, पारदर्शी निकासी तथा धनवापसी, और जीत का उचित वितरण शामिल है।
- गेमिंग कंपनियों को एक यादृच्छिक संख्या जनरेशन प्रमाणपत्र सुरक्षित करना होगा। यह आमतौर पर उन प्लेटफार्मों द्वारा उपयोग किया जाता है जो सांख्यिकीय रूप से यादृच्छिक और अप्रत्याशित आउटपुट सुनिश्चित करने के लिए कार्ड गेम की पेशकश करते हैं।
- ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को खेलों के परिणामों पर दांव लगाने से प्रतिबंधित किया जाएगा।
- कंपनियों को 'नो बॉट सर्टिफिकेट' प्राप्त करने की भी आवश्यकता होगी। इसमें निम्न ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को नियुक्त करना होगा–
  1. नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक अनुपालन अधिकारी।
  2. नोडल अधिकारी सरकार के साथ एक संपर्क अधिकारी के रूप में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करेगा।
  3. शिकायतों को हल करने के लिए एक शिकायत अधिकारी।

नियमन की आवश्यकता:

- नियमों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को कौशल-आधारित खेलों से होने वाले संभावित नुकसान से बचाना है।
- भारत में लगभग 40 से 45% ऑनलाइन गेम खेलने वाली महिलाएं हैं जिनकी सुरक्षा बनाए रखना अनिवार्य हो जाता है।
- यह ऑनलाइन गेमिंग के लिए व्यापक विनियमन का मार्ग प्रशस्त करेगा और राज्य-वार विनियामक विखंडन को कम करेगा।
- 2025 में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग का राजस्व $5 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।
- उद्योग ने 2017-20 के बीच भारत में 38 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि की, जबकि चीन में यह 8 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 प्रतिशत थी।
- वीसी फर्म सिकोइया और प्रबंधन सलाहकार कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार, उद्योग के 2024 तक राजस्व में 153 अरब रुपये तक पहुंचने के लिए 15% सीएजीआर से बढ़ने की उम्मीद है।

आगे की राह:

सरकार द्वारा मसौदा प्रस्ताव एक लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता है, जो ऑनलाइन गेमिंग को एक समान केंद्रीय विनियमन के तहत लाएगा। यह नवाचारों में वृद्धि लाएगा और इस उद्योग को अंतिम उपभोक्ताओं के लिए अधिक जवाबदेह तथा सुरक्षित होने के लिए विकसित करेगा।

4 2023 के लिए साइबर खतरा पूर्वानुमान रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बाराकुडा नेटवर्क्स, एक विश्वसनीय भागीदार और क्लाउड-फर्स्ट सुरक्षा समाधानों का अग्रणी प्रदाता है, ने 2023 में संगठनों हेतु साइबर खतरे की भविष्यवाणियों का खुलासा किया है।

रिपोर्ट के बारे में:

रिपोर्ट में बताया गया है कि 2022 में, भू-राजनीतिक संघर्षों ने यह याद दिलाया कि साइबर खतरों की कोई सीमा नहीं होती है और दुनिया साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में जिन शीर्ष साइबर खतरों के लिए संगठनों को तैयार रहने की आवश्यकता है, वे हैं–

- **रैंसमवेयर**-वर्ष 2022 में रैंसमवेयर हमले व्यक्तियों के खिलाफ उनके व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्रोफाइल के आधार पर देखे गए। इस साल वाइपरवेयर का इस्तेमाल बढ़ा है। 2023 में, रूस से निकलने वाला यह वाइपरवेयर संभवतः दूसरे देशों में फैल सकता है। इस प्रकार, संगठन नई रणनीति के साथ रैंसमवेयर हमलों की आवृत्ति में वृद्धि का अनुभव करेंगे।
- **अधिक शून्य-दिन भेद्यताएँ:** वर्ष 2022 में 21000 सामान्य भेद्यताएँ और जोखिम (CVE) पंजीकृत हुए, जिनमें से कई को 'गंभीर' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था तथा कई हमलावरों द्वारा सक्रिय रूप से शोषण किया गया था। इन संगठनों को सॉफ्टवेयर को पैच करने और जल्द से जल्द सुधार करने के लिए एक टीम

तैयार करने की आवश्यकता है।

- **वेब एप्लिकेशन अटैक-** वेब एप्लिकेशन अटैक, जिनमें कमजोर तृतीय-पक्ष सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को लक्षित करना भी शामिल है, के भी 2023 में एक महत्त्वपूर्ण खतरा होने की उम्मीद है। संगठनों के लिए अपने वेब एप्लिकेशन को सुरक्षित करना महत्त्वपूर्ण है कि वे नियमित रूप से उनका परीक्षण और अद्यतन कर रहे हैं।
- **आपूर्ति श्रृंखला पर हमला-** 2022 दुनिया भर में बड़ी संख्या में हाई-प्रोफाइल घटनाओं के साथ आपूर्ति श्रृंखला हमले का वर्ष था जिसने अधिक हमलावरों को हमलावर कंपनियों में सबसे कमजोर कड़ी की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है।
- **क्रेडेंशियल चोरी-** ये क्रेडेंशियल ग्राहक डेटा संग्रहीत करने वाले रिमोट एक्सेस, ईमेल और कॉर्पोरेट वेब एप्लिकेशन के लिए द्वार खोलते हैं।
- **आईओटी में कमजोरियों का शोषण-** जैसे-जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, इन उपकरणों में कमजोरियों का शोषण एक महत्त्वपूर्ण खतरा होने की उम्मीद है। संगठनों के लिए अपने IoT उपकरणों को ठीक से सुरक्षित करना महत्त्वपूर्ण है कि हमलों से बचने के लिए उन्हें नियमित रूप से अपडेट किया जाता है।
- भारत भी इन साइबर खतरों से अछूता नहीं है। सीईआरटी-इन के अनुसार जनवरी से नवंबर 2022 के बीच देश में 12,67,654 साइबर अपराध देखे गए।

आगे की राह:

2023 में, संगठनों को उनके आकार या उद्योग क्षेत्र की परवाह किए बिना हर तरह के साइबर हमले के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। खतरे का पता लगाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के बढ़ते उपयोग से सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण अंतर आएगा। इसलिए कंपनियों को मानवीय जोखिम को कम करने के लिए, सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।

5 आईआईएसईआर पुणे द्वारा iVOFm तकनीक की गई प्रस्तुत

चर्चा में क्यों?

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER), पुणे ने एक अद्वितीय आणविक स्पंज जैसी तकनीक (iVOFm) को प्रस्तुत किया है, जो खतरनाक दूषित पदार्थों को सोख कर प्रदूषित पानी को तेजी से साफ कर सकता है।

iVOFm तकनीक के बारे में:

- वर्तमान में उपयोग की जाने वाली सॉर्बेंट सामग्री अक्सर पानी को फिल्टर करने के लिए आयन एक्सचेंज विधि के माध्यम से दूषित पदार्थों को समाप्त करता है। हालांकि, उनके पास कम कैनेटीक्स और विशिष्टता है।
- वायोलोजेन-यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क (iVOFm) लक्षित प्रदूषकों के लिए नैनो-आकार के मैक्रोपोर्स और स्पेशल बाइंडिंग साइटों के साथ संयुक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स-संचालित आयन एक्सचेंज को नियोजित करता है।
- रैपिड डिफ्यूजन-आईवीओएफएम और मैक्रोपोरोसिटी (कैविटी>75मीटर) की अंतर्निहित cationic प्रकृति प्रदूषकों के तेजी से प्रसार की अनुमति देती है।
- सामान्य सॉर्बेंट के विपरीत, iVOFm को जहरीले प्रदूषकों के प्रति बहुत चयनात्मक पाया गया है।

पानी का प्रदूषण:

- प्रदूषक- जैविक प्रदूषक जैसे जैविक रंग, एंटीबायोटिक्स, कीटनाशक, आदि; अजैविक प्रदूषक जैसे आयोडाइड और ऑक्सो-प्रदूषक जैसे पेरिनेट, मीठे पानी के स्रोत में कार्सिनोजेनिक शामिल हैं।
- व्यवस्थित अध्ययनों से पता चला है कि प्रदूषक सीधे तौर पर लोगों और जीवित चीजों को खतरे में डाल सकते हैं।

इस तकनीक का महत्त्व:

- इसने 30 सेकंड में 93% से अधिक के प्रदूषकों को हटाने की दर के साथ, जैविक और अजैविक दोनों तरह के सभी प्रदूषकों को तेजी से स्वच्छ करने में सफलता पाई है।
- विकसित सामग्री द्वारा सल्फाडाइमेथॉक्सिन एंटीबायोटिक को प्रभावी ढंग से हटाया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त, दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए इसका बार-बार उपयोग किया जा सकता है।

आयन एक्सचेंज तकनीक के बारे में:

- यह एक जल शोधन तकनीक है जहां पानी में घुले अशुद्ध आयनों को हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल आयनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे पानी शुद्ध हो जाता है।
- यह वाटर सॉफ्टनर के समान है, क्योंकि ये दोनों ही पानी से मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों को हटा सकते हैं।

आगे की राह:

यह cationic यौगिक विभिन्न प्रदूषकों को अलग करने के लिए अनुकूल है जो जल प्रदूषण संकट का एक संभावित समाधान हो सकता है। भविष्य में ऐसे त्वरित तकनीकों की अधिक आवश्यकता होगी, जिसपर और रिसर्च बढ़ाने की जरूरत है।

6 ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उपयोग किया है।

कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण क्या है?

- प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए हरे पौधों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है, लेकिन शोध कर्ताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया है। इस तकनीक को फोटो कटैलिसीस के रूप में जाना जाता है जिसमें सेमीकंडक्टिंग सामग्री

में रखे ग्लास फाइबर के पारदर्शी वेफर (wafer) होते हैं। यह पानी के अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयनों में विभाजित करने के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इस विधि के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन हरे रंग की होती है क्योंकि सूर्य का प्रकाश और पानी दोनों प्रचुर मात्रा में होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। परंपरागत रूप से, ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जहां बिजली का उपयोग करके पानी को उसके घटकों में विभाजित किया जाता है। इस मामले में बिजली और इलेक्ट्रोलाइजर दोनों को गैर-प्रदूषणकारी नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त किया जाता है।

यह तकनीक कितनी कुशल है?

- यह तकनीक इंडियम गैलियम नाइट्राइड (InGan) नामक सेमीकंडक्टर के उपयोग पर कार्य करती है जो हाइड्रोजन के उत्पादन के मौजूदा तरीकों की तुलना में अत्यधिक कुशल है। यह 9% की रिकॉर्ड दक्षता पर पानी के अणुओं को विभाजित करने के लिए अवरक्त विकिरण सहित सूर्य के प्रकाश के व्यापक स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है जो उपलब्ध उपकरणों की तुलना में दस गुना बेहतर है। इसके अलावा इसका छोटा आकार और सामर्थ्य इसे एक आकर्षक विकल्प बनाता है। यह केंद्रित प्रकाश का उपयोग करता है जो प्रकाश और गर्मी के चरम (extreme) का सामना कर सकता है। यह लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर अत्यधिक कुशल है, जो न केवल पानी के अणुओं के विभाजन की प्रतिक्रिया को तेज करता है बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणुओं की पानी में पुन: संयोजित होने की प्रवृत्ति को भी दबा देता है। दुनिया भर में घटते जल संसाधनों के वर्तमान परिदृश्य में, यह उपकरण 6% से अधिक की दक्षता के साथ समुद्री जल पर अच्छा काम कर सकता है।

भारत के लिए संभावनाएं:

- हाल ही में लॉन्च किए गए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और भारत की पंचामृत प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए, यह तकनीक अत्यधिक लाभकारी हो सकती है। वर्तमान में, भारत में उत्पादित अधिकांश हाइड्रोजन ग्रे हाइड्रोजन है जो मीथेन भाप की प्रक्रिया से प्राप्त होती है। यहां तक कि आईआईटी, बीएआरसी, और सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सहित भारत के शोधकर्ता भी पानी के अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयनों में विभाजित करने के लिए फोटो कैटेलिटिक और फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल (पीईसी) प्रौद्योगिकियों के उपयोग में आगे बढ़ रहे हैं।

आगे की राह:

कार्बन तटस्थता और चक्रीय (circular) अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही दुनिया में, यह तकनीक कुशल, प्रभावी और किफायती हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बेहतर समाधान प्रदान कर सकती है।

7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत और अमेरिका के मध्य सहयोग

चर्चा में क्यों?

प्रीमियर नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) के एक उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), साइबर सुरक्षा, क्वांटम, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत वायरलेस, जैव प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान, खगोल भौतिकी और जैसे क्षेत्रों में भारत के साथ गहन सहयोग पर चर्चा किया। उन्होंने महत्त्वपूर्ण खनिज, स्मार्ट कृषि, जैव-अर्थव्यवस्था और 6जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर भी चर्चा की।

इन तकनीकों के बारे में:

- **आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) उन मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है जिन्हें मनुष्यों की तरह सोचने और उनके कार्यों की नकल करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। यह किसी भी मशीन पर भी लागू किया जा सकता है जो मानव मन से जुड़ी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जैसे कि सीखना और समस्या को हल करना।
- **साइबर सुरक्षा:** साइबर सुरक्षा, साइबर हमलों से सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम, डिवाइस और डेटा की सुरक्षा के लिए तकनीकों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का अनुप्रयोग है। इसका उद्देश्य साइबर हमलों के जोखिम को कम करना और सिस्टम, नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के अनधिकृत शोषण से बचाना है।
- **क्वांटम तकनीक:** क्वांटम प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी का एक वर्ग है जो क्वांटम यांत्रिकी (उप-परमाणु कणों की भौतिकी) के सिद्धांतों का उपयोग करके काम करता है, जिसमें क्वांटम उलझाव (quantum entanglement) और क्वांटम सुपरपोजिशन शामिल हैं। इसके अनुप्रयोग में पोजिशनिंग सिस्टम, संचार प्रौद्योगिकी, बिजली और चुंबकीय क्षेत्र सेंसर, गुरुत्वाकर्षण के साथ-साथ सिविल इंजीनियरिंग और भूकंप विज्ञान जैसे अनुसंधान के भूभौतिकीय क्षेत्र शामिल हैं।
- **महत्त्वपूर्ण खनिजों के बारे में:** महत्त्वपूर्ण खनिज एक धात्विक या अधात्विक तत्व है जिसकी दो विशेषताएं हैं: यह हमारी आधुनिक तकनीकों, अर्थव्यवस्थाओं या राष्ट्रीय सुरक्षा के कामकाज के लिए आवश्यक है। तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे महत्त्वपूर्ण खनिज तेजी से बढ़ती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों-पवन टर्बाइनों और बिजली नेटवर्क से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों तक में आवश्यक घटक हैं।
- **स्मार्ट कृषि के बारे में:** स्मार्ट एग्रीकल्चर खेत पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर, लोकेशन सिस्टम, रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों के उपयोग को संदर्भित करता है। स्मार्ट कृषि में उपयोग की जाने वाली तकनीकें हैं: सटीक (Precision) सिंचाई और सटीक (Precise) पौधों का पोषण, जलवायु प्रबंधन और ग्रीनहाउस में नियंत्रण, मिट्टी, पानी, प्रकाश, नमी के लिए, तापमान प्रबंधन के लिए सेंसर, रोबोटिक्स तथा एनालिटिक्स आदि प्लेटफॉर्म का उपयोग।

आगे की राह:

भारत और अमरीका के बीच तकनीकी सहयोग दोनों देशों को तकनीकी विकास में मदद करेगा। यह दोनों देशों के वैज्ञानिकों व लोगों को अधिक अवसर करने में सक्षम है।

आर्थिक मुद्दे

1 एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने सरकार के एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (ABP) का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न विकास मापदंडों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना है। ABP को मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन (5 से 7 जनवरी, 2023) के समापन सत्र के दौरान लॉन्च किया गया।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी):

- ABP को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (ADP) की तर्ज पर लॉन्च किया गया है। ADP को 2018 में लॉन्च किया गया था जिसमें देश भर के 112 जिले शामिल हैं।
- एबीपी का उद्देश्य विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना है।
- ABP के तहत, 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों में उनके प्रदर्शन के आधार पर तिमाही रैंकिंग के लिए चिन्हित किया गया है।
- इनमें से आधे से अधिक ब्लॉक 6 राज्यों-उत्तर प्रदेश (68 ब्लॉक), बिहार (61), मध्य प्रदेश (42), झारखंड (34), ओडिशा (29) और पश्चिम बंगाल (29) में हैं।
- राज्य और नीति आयोग रैंकिंग संकेतक स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। निजी क्षेत्र भी इन ब्लॉकों के विकास में योगदान करने में सक्षम होगा।
- इसकी सर्वप्रथम घोषणा केन्द्रीय बजट 2022-23 में की गई थी।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के बारे में:

- 2018 में लॉन्च किया गया, ADP उन जिलों में सामाजिक-आर्थिक परिणामों में सुधार करना चाहता है जिन्होंने प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम प्रगति दिखाई है।
- यह प्रत्येक जिले की ताकत पर ध्यान केंद्रित करता है, तत्काल सुधार के लिए प्रमुख बिन्दुओं की पहचान करता है और मासिक आधार पर जिलों की रैंकिंग करके प्रगति को मापता है।
- **3सी रणनीति-**
  - अभिसरण (केंद्रीय और राज्य योजनाओं का)
  - सहयोग (केंद्र, राज्य स्तरीय 'प्रभारी' अधिकारियों और जिला कलेक्टरों का)
  - प्रतियोगिता (जन आंदोलन द्वारा संचालित जिलों के बीच)
- जिलों की रैंकिंग 5 व्यापक सामाजिक-आर्थिक विषयों-स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि तथा जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचे के तहत 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (केपीआई) पर आधारित है।

आगे की राह:

एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (ABP) लक्षित विकास पहलों के माध्यम से देश के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करेगा। यह उन क्षेत्रों में समग्र विकास को सक्षम करेगा जिन्हें अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है।

2 भारत में दशकीय जनगणना सितंबर तक स्थगित

चर्चा में क्यों?

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने सभी राज्यों को भेजे पत्र में बताया कि प्रशासनिक सीमाओं को बंद करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी गई है।

समाचार पर आधारित प्रमुख बिन्दु:

- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अद्यतन करने की कवायद 2020 में पूरे देश में होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
- मानदंडों के अनुसार, प्रशासनिक इकाईयों जैसे जिलों, उप-जिलों, तहसीलों, तालुकों और पुलिस स्टेशनों की सीमा को स्थिर करने के तीन महीने बाद ही जनगणना की जा सकती है।
- आगामी जनगणना के लिए प्रशासनिक इकाईयों की सीमाएं अब 1 जुलाई, 2023 तक निश्चित की गई है।

जनगणना के बारे में:

- जनगणना एक देश या देश के किसी एक हिस्से में सभी व्यक्तियों के एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा से संबंधित संग्रह, संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार की प्रक्रिया है।
- **नोडल मंत्रालय-** दस वर्षीय जनगणना महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय के कार्यालय द्वारा की जाती है।
- **संवैधानिक स्थिति-** जनसंख्या जनगणना भारतीय संविधान के अनुच्छेद-246 के तहत संघ सूची का विषय है।
- **कानूनी स्थिति-** जनगणना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना की जाती है।
- भारत में पहली गैर-समकालिक जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान आयोजित की गई थी।
- भारत में पहली समकालिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय आयोजित की गई थी। तब से, यह हर दस साल में एक बार किया जाता है।
- **गोपनीयता-** जनगणना अधिनियम, 1948 गोपनीयता की गारंटी देता है और अधिनियम के प्रावधानों का पालन न करने पर दंड निर्दिष्ट करता है।

जनगणना का महत्त्व:

- जनगणना जनसंख्या विशेषताओं में रुझान प्रदान करती है।
- शोधकर्ता और जनसांख्यिकी प्रशासन, योजना और नीति निर्माण के लिए जनगणना डेटा का उपयोग करते हैं।
- जनगणना का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन और संसद, राज्यों की विधान सभाओं और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व के आवंटन के लिए भी किया जाता है।

- वित्त आयोग जनगणना के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को अनुदान देने की सिफारिश करता है।

आगे की राहः

देश की बदली हुई जनसांख्यिकी को जानने के लिए जनगणना आयोजित करने की आवश्यकता है। जनगणना के महत्त्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए उचित अभियान चलाए जाने चाहिए।

3 विमुद्रीकरण

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से नवंबर, 2016 में हुए 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बंद करने के सरकार के फैसले को उचित ठहराया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मायने क्या हैं?

बहुमत का फैसलाः

- 5 न्यायाधीशों के बहुमत ने माना कि केंद्र की 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना वैध है और आनुपातिकता के परीक्षण (Test of proportionality) को पूरा करती है।
- आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा-26 (2) के तहत जारी 8 नवंबर की अधिसूचना से पहले आरबीआई और केंद्र सरकार छह महीने तक एक-दूसरे के साथ परामर्श कर रहे थे।
- आरबीआई अधिनियम की धारा-26 (2) के तहत वैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन केवल इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि केंद्र ने विमुद्रीकरण की सिफारिश करने पर विचार करने के लिए केंद्रीय बोर्ड को 'सलाह' देने की पहल की थी। इसके अलावा, किसी भी मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की किसी भी शृंखला को विमुद्रीकृत करने की केंद्र की शक्ति का उपयोग मुद्रा की पूरी शृंखला को विमुद्रीकृत करने के लिए किया जा सकता है।
- जल्दबाजी में लिए गए फैसले पर अदालत ने कहा कि निर्विवाद रूप से इस तरह के उपाय अत्यंत गोपनीयता और गति के साथ किए जाने की आवश्यकता होती है। अगर इस तरह के उपाय की खबर लीक हो जाती है, तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि परिणाम कितने विनाशकारी होंगे?
- विमुद्रीकरण नकली मुद्रा, काले धन और आतंकवाद के वित्तपोषण को खत्म करने के 'उचित उद्देश्यों' के लिए किया गया था।

अल्पमत का फैसलाः

- **आरबीआई द्वारा किसी भी स्वतंत्र तार्किकता का उपयोग नहीं किया गया-** केंद्रीय बैंक ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को रद्द करने की सिफारिश करते समय स्वतंत्र रूप से अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया।
- **आरबीआई अधिनियम की धारा-26 (2) की व्याख्या-** यह सिफारिश आरबीआई अधिनियम की धारा-26 (2) के तहत आरबीआई द्वारा नहीं की गई थी। केंद्र सरकार की ओर से आने वाला प्रस्ताव बैंक के केंद्रीय बोर्ड से उत्पन्न प्रस्ताव के समान नहीं है।
- **इस तरह के कदम के लिए कार्यकारी आदेश पर्याप्त नहीं है-** विमुद्रीकरण कार्यकारी अधिसूचना के बजाय संसद द्वारा बनाए गए कानून के माध्यम से किया जाना चाहिए।

आनुपातिकता का परीक्षण क्या है?

- आनुपातिकता सिद्धांत का परीक्षण जिसका इस्तेमाल अदालतें उन मामलों को तय करने के लिए करती हैं, जहां दो या दो से अधिक वैध अधिकार टकराते हैं।
- यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आनुपातिकता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए, भारत में अदालतें आम तौर पर एक चार-आयामी दृष्टिकोण अपनाती हैं, जिसमें किसी निर्णय या कानून की वैधता, उपयुक्तता और आवश्यकता की जांच की जाती है। इसके अलावा एक संतुलित जांच की जाती है कि क्या उक्त निर्णय या कानून अत्यधिक या मनमाने स्तर के अधिकारों का अतिक्रमण तो नहीं करता है?

विमुद्रीकरण के लिए कानूनी प्रक्रियाः

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा-26 (2) के तहत आरबीआई केंद्रीय बोर्ड को किसी भी नोट को प्रचलन से वापस लेने के लिए भारत सरकार को सिफारिश करने का अधिकार है जिसे 'विमुद्रीकरण' कहा जाता है। भारत में अब तक विमुद्रीकरण तीन बार (1946, 1978 और 2016) किया गया है।
- 8 नवंबर, 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के बाद, भारत सरकार ने नोट बदलने के संबंध में आरबीआई की देयता को कम करने के लिए निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारियों की समाप्ति) अध्यादेश, 2016 जारी किया और साथ ही पुराने मुद्रा नोटों को 10-25 की सीमा से अधिक रखने के लिए दंडनीय बनाया। बजट 2017 में, इसी अध्यादेश को संसद द्वारा पारित किया गया था।

आगे की राहः

विमुद्रीकरण काले धन तथा समानांतर अर्थव्यवस्था (अवैध अर्थव्यवस्था जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, तस्करी आदि) के खतरे का साहसपूर्वक मुकाबला करने और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक त्वरित कदम था। इसके अलावा यह कदम इन मुद्दों से निपटने के लिए सरकार की साहस को भी दर्शाता है जो इस पीढ़ी की विकास सफलता की कहानी में एक बाधा बना हुआ था।

4 औद्योगिक इकाईयों और प्रयोगशालाओं की मैपिंग के लिए बीआईएस पोर्टल

चर्चा में क्यों?

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) का 76वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया गया। इस दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल शुरू की गई।

शुरू की गई प्रमुख पहलें:

1. औद्योगिक इकाईयों और प्रयोगशालाओं के मानचित्रण के लिए पोर्टलः

- यह देश भर में औद्योगिक इकाईयों और प्रयोगशालाओं की जानकारी के लिए एक केंद्रीकृत मंच है।
- यह भारत में परीक्षण सुविधाओं के विश्लेषण को सक्षम करेगा

और उद्यमियों को परीक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा।

2. मानक राष्ट्रीय कार्य योजना (SNAP) 2022-27:

- यह उभरती प्रौद्योगिकियों तथा स्थिरता और जलवायु परिवर्तन की चिंताओं को पूरा करने के लिए मानकीकरण के लिए मजबूत नींव के रूप में कार्य करने वाला एक दस्तावेज है।
- स्नैप 2022-27 राष्ट्रीय मानकीकरण के प्रयासों को आगे बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो मानकों को भारत की आर्थिक आकांक्षाओं का एक प्रमुख समर्थक बन सकता है।
- दस्तावेज की प्रमुख सिफारिशों और रणनीतियों का कार्यान्वयन भारत में 'गुणवत्ता संस्कृति' को समृद्ध तथा मजबूत बनाने में महत्त्वपूर्ण होगा।

3. भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी 2016) का संशोधन अभ्यास:

- यह बीआईएस द्वारा अपनी संबंधित तकनीकी समिति, अर्थात् राष्ट्रीय भवन संहिता अनुभागीय समिति को शामिल करने के लिए शुरू किया गया जिसमें शामिल हैं:
  - सतत शहर नियोजन मानदंड।
  - नई और टिकाऊ निर्माण सामग्री।
  - डिजाइन अवधारणाएं।
  - निर्माण प्रौद्योगिकियां।
  - भवन और प्लंबिंग सेवाएं।

4. भारत का संशोधित राष्ट्रीय विद्युत संहिता, 2023:

- यह बीआईएस द्वारा तैयार किया गया एक व्यापक विद्युत कोड है।
- यह एक राष्ट्रीय उपकरण है जो पूरे देश में विद्युत संस्थापन प्रथाओं को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है।
- भारत का पहला राष्ट्रीय विद्युत कोड, 1985 में तैयार किया गया था, जिसे 2011 में संशोधित किया गया।
- वर्तमान संशोधन में अस्पताल, होटल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बहुमंजिला इमारत आदि जैसे विशेष स्थानों पर नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार विद्युत स्थापना की आवश्यकताएं शामिल हैं।

5. नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, 2016 और नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम:

- बीआईएस ने अपनी प्रशिक्षण शाखा राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (एनआईटीएस) के माध्यम से राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के लिए एनबीसी 2016 और एनईसी 2023 पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किए हैं।

6. स्कूलों में मानक क्लब:

- इसके माध्यम से, बीआईएस का उद्देश्य कक्षा 9वीं और उससे ऊपर के विज्ञान के छात्रों को छात्र केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से गुणवत्ता तथा मानकीकरण की अवधारणाओं से अवगत कराना है।
- अब तक, देश भर में 4000 मानक क्लब बीआईएस द्वारा स्थापित किए गए हैं।
- 2022-23 के अंत तक 10,000 क्लब बनाने का लक्ष्य है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के बारे में:

- बीआईएस भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अधिनियम, 1986 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
- यह वस्तु के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए बनाया गया था।
- यह उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के दायरे में काम करता है।

आगे की राह:

'जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट' के आदर्श को ध्यान में रखते हुए, इन पहलों का उद्देश्य देश में गुणवत्ता और मानकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है। यह भारत के समग्र विकास और प्रगति में योगदान दे सकता है।

5 कोविड-19 के दौरान दूरस्थ कार्य ने नौकरियां बचाने में मदद की: ILO

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा प्रकाशित 'वर्किंग टाइम एंड वर्क-लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड' शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार, अल्पकालिक कार्य और कार्य साझा करने के उपायों या नौकरी प्रतिधारण के अन्य रूपों ने काम की मात्रा को कम करने में मदद की तथा COVID-19 महामारी के दौरान नौकरियां बचाएं।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:

- रिपोर्ट व्यवसायों और उनके कर्मचारियों के प्रदर्शन पर काम के घंटे और समय सारिणी के प्रभावों की जांच करती है।
- इस संकट ने नए आर्थिक अड़चन वाले क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य देखभाल या फार्मास्यूटिकल्स के लिए काम के घंटे बढ़ाने की संभावना भी पैदा की।
- टेलीवर्क ने कर्मचारियों के सामाजिक संपर्कों को कम करके और उन्हें नियोक्ता के परिसर के बाहर काम करने में सक्षम बनाकर COVID-19 संकट प्रतिक्रिया में योगदान दिया।
- रिपोर्ट में पाया गया कि मानक आठ घंटे प्रतिदिन तथा सप्ताह में 40 घंटे के कार्य की तुलना में वैश्विक कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा या तो अधिक या कम घंटे काम किया।
- इस दौरान इस्तीफा देने व कार्यमुक्त करने की घटना देखी गई।

प्रभाव:

- लचीले काम के घंटे व्यक्तियों के साथ-साथ कंपनियों, उद्यमों और उद्योगों को सामूहिक रूप से काम के घंटे कम करने में सक्षम बनाते हैं।
- इसने क्रय शक्ति को बनाए रखा और आर्थिक संकट के प्रभावों को कम करने की संभावना पैदा की।
- टेलीवर्किंग ने संगठनात्मक संचालन को बनाए रखने और नौकरियों को संरक्षित करने में मदद की।
- इसने स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन की नींव रखी।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि परिवार के साथ अधिक समय बिताने जैसी कुछ लचीली व्यवस्थाओं के लाभों के साथ लिंग

असंतुलन और स्वास्थ्य जोखिम भी हुए हैं।

आईएलओ के बारे में:

- ILO 1919 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जिसका मुख्यालय जेनेवा (स्विटजरलैण्ड) में स्थित है।
- यह श्रम मानकों को निर्धारित करने, नीतियां विकसित करने और सभी के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार करता है। वर्तमान समय में इसके 187 सदस्य देश हैं।
- **उद्देश्य**- काम पर अधिकारों को बढ़ावा देना, अच्छे रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना और काम से संबंधित मुद्दों पर संवाद को मजबूत करना।

आगे की राह:

महामारी के दौरान स्पष्ट होने वाले कार्य-समय के साधनों की कमजोरियों को दूर करने के लिए आवश्यक नीतियां बनाने की आवश्यकता है। कार्य-जीवन संतुलन नीतियां उद्यमों को महत्त्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं। ऐसी नीतियां नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के लिए 'लाभदायक' होती हैं।

6 भारतीय रिजर्व बैंक ने एनयूई लाइसेंसिंग पर लगाई रोक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) नेटवर्क के लाइसेंस पर रोक लगा दी है, जो एक फिनटेक संस्थान है तथा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के प्रतिद्वंद्वी के रूप में योजनाबद्ध है। छह समूहों जिनमें Facebook, Google, Amazon, Flipkart और अन्य शामिल हैं, ने NUE लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।

न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (एनयूई) क्या है?

- RBI के अनुसार NUE, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक इकाई है जो खुदरा क्षेत्र में नई भुगतान प्रणाली जैसे एटीएम, व्हाइट-लेबल POS, UPI, आदि का प्रबंधन और संचालन करती है।
- यह एक गैर-लाभकारी संस्था है जो समाशोधन और निपटान प्रणाली का प्रबंधन करती है।
- केवल वे संस्थाएं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय नागरिकों के पास है और जिनके पास भुगतान खंड में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव है, एनयूई की प्रवर्तक बन सकती हैं।
- विदेशी कंपनियों को अधिकतम 25% शेयर की अनुमति है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसकी न्यूनतम चुकता पूंजी 500 करोड़ रुपये होगी, जिसमें किसी एक प्रवर्तक समूह की पूंजी में 40% से अधिक निवेश नहीं होगा।
- एनयूई को बोर्ड में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेस के मानदंडों तथा उपयुक्त और उचित मानदंडों का पालन करना होता है।
- एनयूई, एनपीसीआई के एकाधिकार को समाप्त करता है जो वर्तमान समय में देश में डिजिटल भुगतान का केंद्र है।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के बारे में:

- एनपीसीआई की स्थापना आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन द्वारा 2008 में भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत की गई थी।
- इसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-8 के प्रावधानों के तहत 'लाभ के लिए नहीं' कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
- दस प्रमुख प्रवर्तक बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सिटी बैंक और एचएसबीसी शामिल हैं।
- एनपीसीआई ने जन धन योजना को समर्थन देने वाले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के साथ-साथ, यूपीआई, आईएमपीएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच (एनएफएस) सहित देश के प्रमुख भुगतान विकसित किए हैं।

आगे की राह:

एनयूई का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और भारत के बढ़ते डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को 'डी-रिस्क' करना था, जहां हाल के वर्षों में गैर-लाभकारी एनपीसीआई पर अधिकांश निपटान का दबाव बढ़ा है। एनयूई भारत की डिजिटल भुगतान सफलता की कहानी को नई ऊंचाईयों पर ले जाने में एनपीसीआई का पूरक हो सकता है।

7 इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस (IRRA) प्लेटफॉर्म

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक्सचेंजों से इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस (IRRA) प्लेटफॉर्म स्थापित करने हेतु निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य ट्रेडिंग संबंधित सिस्टम के कारण सेवाओं में व्यवधान होने की स्थिति में निवेशकों की मदद करना है।

इस प्लेटफॉर्म की जरूरत क्यों?

- प्रतिभूति बाजार में प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के साथ, ट्रेडिंग सदस्यों के सिस्टम में गड़बड़ियों की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिनमें से कुछ के परिणामस्वरूप ट्रेडिंग सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ।
- इन मामलों में ओपन पोजिशन वाले निवेशकों को अपनी पोजिशन बंद करने के लिए अवसरों की अनुपलब्धता का जोखिम होता है, खासकर ऐसे समय में जब बाजार में हलचल होती है।
- यह साइबर हमलों जैसे व्यवधानों की स्थिति में स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदान की जाने वाली आकस्मिक सेवा की तरह है।

इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस (IRRA) प्लेटफॉर्म क्या है?

- इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस (IRRA) प्लेटफॉर्म को स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जाएगा ताकि निवेशकों को ट्रेडिंग सदस्यों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में व्यवधान होने पर अपनी स्थिति को समाप्त करने या लंबित ऑर्डर को रद्द करने में सक्षम बनाया जा सके।
- व्यापारिक सदस्य, तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करने पर, जो

व्यापार सेवाओं में व्यवधान पैदा करते हैं, IRRA सेवा को सक्षम करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

- स्टॉक एक्सचेंजों को कनेक्टिविटी, ऑर्डर फ्लो, सोशल मीडिया पोस्ट आदि जैसे मापदंडों की निगरानी करनी होती है, ताकि जरूरत पड़ने पर ट्रेडिंग सदस्य द्वारा ऐसे किसी भी अनुरोध के बावजूद सेवा को सक्षम करने के लिए स्वत: संज्ञान में लिया जा सके।
- सेवा के सक्षम होने के बाद, ट्रेडिंग सदस्यों के सभी निवेशकों को ईमेल/एसएमएस के माध्यम से सेवा की उपलब्धता के बारे में एक्सचेंज द्वारा सूचित किया जाएगा और एक्सचेंज की वेबसाइट पर एक सार्वजनिक सूचना दी जाएगी ताकि ट्रेडिंग सदस्य भी अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना प्रदर्शित कर सकें।
- स्टॉक एक्सचेंजों को आईआरआरए सिस्टम से ट्रेडिंग सदस्य के ट्रेडिंग सिस्टम में रिवर्स माइग्रेशन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी होगी, जब भी ट्रेडिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जाता है या इस संबंध में अनुरोध किया जाता है।
- सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों को 1 अक्टूबर, 2023 तक IRRA प्लेटफॉर्म को चालू करने की संभावना प्रकट की है।

ट्रेडिंग सदस्य क्या है?

- ट्रेडिंग सदस्य का अर्थ सेबी (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) रेगुलेशन, 1992 के तहत सेबी के साथ पंजीकृत एक स्टॉक ब्रोकर है।
- उनके पास अपने स्वयं के खाते के साथ-साथ अपने ग्राहकों के खाते पर व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन उन्हें ऐसे व्यापारों को क्लियर और सेटल करने का कोई अधिकार नहीं है।

सेबी के बारे में:

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन 12 अप्रैल, 1988 को भारत सरकार के एक संकल्प के माध्यम से गैर-सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी जिसके प्रावधान भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत 30 जनवरी, 1992 को लागू हुआ।

विविध मुद्दे

1 कलसा बंडूरी नाला प्रोजेक्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कर्नाटक के जलमंत्री ने काफी समय से लंबित कलसा बंडूरी नाला प्रोजेक्ट को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया। महादयी नदी पर बन रहे इस प्रोजेक्ट पर गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच विवाद रहा है क्योंकि इन राज्यों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से उसके उत्तरी भाग में पीने योग्य पानी की कमी हो सकती है।

कलसा बंडूरी नाला प्रोजेक्ट के बारे में:

- कलसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट का निर्माण महादयी नदी पर कलसा और बंडुरी नामक सहायक नदियों के खिलाफ होना है जिससे पानी को कर्नाटक के सूखे जिलों की ओर मोड़ जा सके। इसका उद्देश्य कर्नाटक के बेलगावी, धारवाड़, बागलकोट और गडग जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा करना है। हालांकि यह परियोजना पहली बार 1980 के दशक की शुरुआत में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच विवाद के कारण यह कागज पर ही बनी रही जिससे इसकी लागत बढ रही है। 2006 में कर्नाटक द्वारा जब इस प्रोजेक्ट पर कार्य प्रारंभ किया गया तब गोवा ने सुप्रीम कोर्ट से जल बंटवारे के लिए ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की। नवम्बर, 2010 में तत्कालीन यूपीए सरकार द्वारा ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था।

ट्रिब्यूनल के निर्णय पर असहमति:

- इसने 2018 में जल बंटवारे को लेकर फैसला दिया कि महादयी नदी बेसिन से कर्नाटक को 13.42 टीएमसी (इसमें 5.5 टीएमसी पेयजल एवं शेष जलविद्युत हेतु), महाराष्ट्र को 1.33 टीएमसी और गोवा को 24 टीएमसी पानी दिया जाये। पीने के पानी के लिए आवंटित 5.5 टीएमसी में से 3.8 टीएमसी को कलसा और बंदूरी नालों (नहरों) के माध्यम से मालाप्रभा बेसिन में मोड़ा जाना था जिसे लेकर पुनः विवाद शुरू हो गया।

महादयी नदी के बारे में:

- महादयी या म्हादेई (जिसे गोवा में मांडवी कहा जाता है) पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कर्नाटक के बेलगावी जिले में स्थित भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है। यह मुख्यता एक वर्षा आधारित नदी है। यह गोवा में मांडवी कहलाने से पहले कई धाराओं से जुड़ती है, जुआरी नदी उनमें से एक है जो गोवा से होकर बहती है। यह नदी कर्नाटक में 35 किमी तथा अरब सागर में मिलने से पहले गोवा में 82 किमी. बहती है।

जल विवाद न्यायाधिकरण के बारे में:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-262 के अंतर्गत राज्यों के बीच नदी जल विवाद को लेकर अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 को लाया गया था जिसके अंतर्गत समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा इस न्यायाधिकरण का गठन किया जाता रहा है। सरकारिया आयोग (1983 ई.) ने सिफारिश किया था कि इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 को संसद में पेश किया था ताकि बढ़ते विवादों को कम किया जाये।

आगे की राह:

जल एक सीमित संसाधन है जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य संगठनों को एक साथ मिलकर सर्वहित को सुनिश्चित करते हुए जल संरक्षण और उसके दोहन पर संतुलन बनाने की आवश्यकता है जिससे विवाद बढाने के बजाय, विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो।

2 रत्नागिरी की पूर्व-ऐतिहासिक रॉक कला

चर्चा में क्यों?

भारत में रॉक कला देश की प्रारंभिक मानव रचनात्मकता के सबसे पुराने भौतिक साक्ष्यों में से एक है। रत्नागिरी की शैल कला मध्य पाषाण युग से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग तक मानव बस्तियों के निरंतर अस्तित्व का प्रमाण है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में एक मेगा तेल रिफाइनरी प्रस्तावित है जिस पर विशेषज्ञों और संरक्षणवादियों द्वारा चिंता जताई जा रही है क्योंकि ये रिफाइनरी प्रागैतिहासिक ज्योग्लिफ्स (Geoglyphs) को नुकसान पहुंचा सकती है।

रत्नागिरी की पूर्व-ऐतिहासिक रॉक कला क्या है?

- ज्योग्लिफ्स के समूह महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तटरेखा में लगभग 900 किमी तक फैले हुए हैं। ज्योग्लिफ्स प्रागैतिहासिक रॉक कला का एक रूप है, जो लेटराइट पठारों (मराठी में सदा) की सतह पर बनाया गया है। ये चट्टान की सतह के एक हिस्से को चीरा लगाकर (incising) , लिफ्टिंग (lifting), तराश कर या घिसकर बनाया जाता है। वे शैल चित्रों, नक्काशी, कप के निशान और अंगूठी के निशान के रूप में हो सकते हैं। ज्योग्लिफ्स कुछ प्रकार के जीवों के अस्तित्व को भी दिखाते हैं।

रत्नागिरी की प्रागैतिहासिक शैल कला का क्या महत्त्व है?

- झरझरा लेटराइट चट्टान जो इस तरह की नक्काशी का आधार है, पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाती है।
- भारत में सबसे बड़ा रॉक उत्कीर्णन या ज्योग्लिफ रत्नागिरी जिले के कशेली में है, जिसमें 18X13 मीटर के आयाम वाले हाथी की एक बड़ी आकृति है।
- ये स्थल राज्य पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संरक्षित हैं।
- रत्नागिरी जिले में ऐसी कला के 1,500 से अधिक टुकड़े हैं, जिन्हें कतल शिल्प (Katal Shilp) भी कहा जाता है जो 70 स्थलों में फैला हुआ है।
- यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में रत्नागिरी जिले में पेट्रोग्लिफ्स के साथ सात स्थलों का उल्लेख है- उक्षी, जम्भरुण, काशेली, रुंधे ताली, देवीहसोल, बारसु और देवाचे गोठाने।

आगे की राह:

रत्नागिरी के प्रागैतिहासिक स्थल तीन भारतीय आकर्षणों में से एक हैं जो जल्द ही विश्व धरोहर स्थल में शामिल हो सकते हैं। यूनेस्को की सूची

में इन स्थलों की तिथि 12,000 वर्ष से अधिक पुरानी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों की समिति ने भूगर्भ के संरक्षण के लिए पिछले महीने रत्नागिरी का दौरा किया था। जिस क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बनाई जाएगी, वहां 250 से अधिक ज्योग्लिफ्स की पहचान की गई है। साइट पर निर्माण और रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण चट्टान की नक्काशियां नष्ट हो जाएंगी। इस रिफाइनरी परियोजना को कोंकण में पेट्रोग्लिफ्स के 5-6 किमी आगे कहीं और स्थापित किया जा सकता है ताकि इन स्थलों को भविष्य के लिए संरक्षित किया जा सके।

3 भारत-पाकिस्तान ने कैदियों की सूची साझा की

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और पाकिस्तान ने अपने देशों की जेलों में बंद कैदियों की सूची साझा की। भारत के विदेश मंत्रालय ने मानवतावादी किसी भी कदम का स्वागत करने की इच्छा दोहराई। 2008 में हुए कांसुलर एक्सेस समझौता के तहत ऐसा किया गया।

कांसुलर एक्सेस समझौता, 2008:

- भारत और पाकिस्तान ने 2008 के मुंबई हमले के बाद हुई समग्र वार्ता के चौथे दौर की समीक्षा के दौरान कांसुलर एक्सेस के समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते के तहत दोनों देश एक वर्ष में दो बार क्रमशः 1 जनवरी और 1 जुलाई को अपने यहाँ जेलों में रह रहे कैदियों एवं मछुवारों की सूची साझा करते हैं।
- इस सूची के अनुसार, भारतीय हिरासत में 339 पाकिस्तानी नागरिक कैदियों और 95 पाकिस्तानी मछुआरों की सूची साझा की। इसी तरह, पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में 51 नागरिक कैदियों और 654 मछुआरों की सूची साझा की है, जो भारतीय हैं या भारतीय माने जाते हैं।
- दोनों देशों ने एक दूसरे से अपने नागरिकों तथा मछुवारों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने का आह्वान किया तथा नियमबद्ध तरीके से उन्हें छोड़ने पर सहमति व्यक्त की।
- **परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधा संधि, 1988:**
- यह संधि 31 दिसंबर, 1988 को हस्ताक्षरित हुई, जबकि 27 जनवरी, 1991 को इसे अनुसमर्थन किया गया। इस संधि के अनुच्छेद-II के प्रावधानों के अनुसार दोनों देशों को परमाणु प्रतिष्ठानों की स्थापना और सुविधाओं की सूचियों का आदान-प्रदान प्रतिवर्ष करना होता है।
- इस समझौते के मुताबिक दोनों देशों को एक-दूसरे को परमाणु सुविधाओं की जानकारी देनी होती है। सूचियों के आदान-प्रदान की यह प्रथा 1 जनवरी, 1992 से जारी है।

कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन, 1963:

- कॉन्सुलर रिलेशंस पर वियना कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र देशों के बीच कॉन्सुलर संबंधों को परिभाषित करती है।
- वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद-36 में कहा गया है कि मेजबान देश में गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों को अपने दूतावास या वाणिज्यिक दूतावास को उस गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया जाना चाहिए।
- यदि हिरासत में लिया गया विदेशी नागरिक ऐसा अनुरोध करता है, तो पुलिस को उस नोटिस को दूतावास या वाणिज्य दूतावास को फैक्स करना चाहिए, जो तब व्यक्ति को सत्यापित कर सकता है।

आगे की राह:

भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के महत्त्वपूर्ण देश होने साथ में, पडोसी भी हैं जिससे नियमित रूप से संपर्क में रहना आवश्यक हो जाता है। भविष्य में भी दोनों देशों को अपने नागरिकों की बेहतरी तथा क्षेत्रीय एकता और शांति के लिए मिलकर कार्य करना होगा।

4 लद्दाख की भाषा और संस्कृति के संरक्षण हेतु समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लद्दाख में हुए विरोध के पश्चात् गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह लद्दाख की सामरिक स्थिति तथा महत्ता को देखते हुए उसके अद्वितीय संस्कृति और भाषा के संरक्षण हेतु अपना सुझाव देगी।

उच्चस्तरीय समिति के बारे में:

- इस समिति के गठन का उद्देश्य लद्दाख में समावेशी विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए, इसकी अद्वितीय संस्कृति तथा भाषा की रक्षा के उपायों पर चर्चा करना है। इसका उद्देश्य लेह और कारगिल के लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों (LAHDCs) को सशक्त बनाने के लक्ष्य को सुनिश्चित करना तथा इसके भूमि पर रोजगार के अवसरों को इसके लोगों के लिए सुरक्षित रखना भी है।
- यह एक 17 सदस्यीय एक समिति है जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त वहां के उपराज्यपाल, लद्दाख के सांसद, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के अध्यक्ष, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल के अध्यक्ष शामिल हैं। वहां के लोगों ने इस समिति के गठन का स्वागत किया है।

लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेश के बारे में:

- अगस्त, 2019 में हुए परिवर्तन के पहले, लद्दाख जम्मू-कश्मीर राज्य का भाग हुआ करता था जोकि अनुच्छेद-370 के तहत अस्थायी प्रावधान से शासित था। 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केन्द्रशासित प्रदेशों क्रमशः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में विभाजित किया गया था। लद्दाख अपनी दूरस्थ पहाड़ी सुंदरता और विशिष्ट संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में इसके तहत दो जिले लेह और कारगिल शामिल हैं, जबकि लेह इसकी राजधानी है। 2020 में, पूर्वी लद्दाख में स्थित पैंगोंग त्सो तथा गलवान घाटी के पास ही भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध हुआ था। लद्दाख प्राकृतिक संसाधन, सौर विकिरण, भूतापीय संसाधन, पर्यटन उद्योग, मध्य एशिया तथा चीन के लिए

कनेक्टिविटी के द्वार का कार्य करता है।

आगे की राह:

चीन के बीच बढ़ते गतिरोध को देखते हुए, लद्दाख के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा हेतु सरकार को तालमेल बढ़ाते हुए कार्य करना चाहिए ताकि वहां पर शांति, स्थायित्व और विकास को प्रोत्साहन देकर समृद्धि तथा खुशहाली बढाई जा सके।

5 पर्पल फेस्ट 2023: भारत का पहला समावेशन महोत्सव

चर्चा में क्यों?

देश में पहली बार समावेश महोत्सव 'Purple Fest: Celebrating Diversity' की शुरुआत हुई है जिसका आयोजन गोवा में 6 से 8 जनवरी के मध्य हुआ। यह महोत्सव दिव्यांगो को समाज की मुख्यध ारा से जोड़ने का प्रयास है। इस फेस्ट में ऑल इंडिया ओपन पैरा टेबल टेनिस चैंपियनशिप, यूनिफाइड बीच क्रिकेट, ब्लाइंड क्रिकेट और पर्पल आई-रन मैराथन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

पर्पल फेस्टिवल क्या है?

- गोवा का पर्पल फेस्टिवल दिव्यांगजन सशक्तीकरण की दिशा में पहला समावेशन महोत्सव है। ऐसे में यह महोत्सव सभी दिव्यांगों को समाज में पूर्ण रूप से सम्मिलित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल है। इस फेस्टिवल का आयोजन राज्य आयोग, समाज कल्याण और मनोरंजन सोसायटी के सहयोग से पहली बार गोवा में आयोजित किया गया।

पर्पल थीम क्यों?

- पर्पल यानी बैंगनी रंग दिव्यांगता से जुड़ा हुआ है। इस रंग का उपयोग दिव्यांग लोगों की शक्ति का उल्लेख करने वाले प्रचारकों, डोनेशन और फंड रेजिंग करने के लिए संस्थानों तथा सरकारों द्वारा भी उपयोग किया जाता रहा है।

कई प्रतियोगिता का आयोजन:

- इस फेस्ट में खेल से लेकर रोजगार परक गतिविधियों का आयोजन हुआ। इस फेस्ट को विभिन्न कैटेगरी में बांटा गया था जिसमें पर्पल थिंक टैंक, पर्पल फन, पर्पल एक्सपीरिएंस जॉन, पर्पल एक्सिबिशन समेत पर्पल रेन शामिल थे। इसमें रोमांचक लाइव प्रदर्शन, खेल आयोजन, भव्य प्रदर्शनियां, इमर्सिव एक्सपीरियंस जोन, सुलभ मूवी स्क्रीनिंग, समावेशी शिक्षा, पर्यटन, रोजगार और स्वतंत्र जीवन जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आयोजित की गयी।

केंद्र सरकार के प्रयास:

- आज विश्व में हर आठवां व्यक्ति किसी न किसी तरह की दिव्यांगता में है। भारत की दो प्रतिशत से अधिक की आबादी दिव्यांग है। दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर पर्पल फेस्ट की तर्ज पर पहले भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर चुकी है जिनका उद्देश्य मूल रूप से दिव्यांगो को सशक्त बनाना रहा है। केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दिव्यांगजनों को अच्छी शिक्षा, सुरक्षित माहौल और रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराने की है। पर्पल फेस्ट की तरह ही भारत में कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं जिनमें दिव्य कला शक्ति, सांकेतिक भाषा, टी-20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप आदि प्रमुख थे। केंद्र सरकार हमेशा से दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसे समावेशी समाज बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है जहां दिव्यांगजन रचनात्मक, सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन जी सकें, जहां उन्हें विकास और उन्नति के लिए उचित सहायता प्राप्त हो। केंद्र सरकार का लक्ष्य शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक विकास और जरूरत होने पर पुनर्वास कार्यक्रमों के जरिये दिव्यांगजनों को समर्थ बनाना है जिसमें सुगम्य भारत अभियान महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों के लिये एक सक्षम और बाधारहित वातावरण सुनिश्चित करना है। इस अभियान का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के लिए समान अवसर एवं आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करना है।

आगे की राह:

दिव्यांगों की सामाजिक समानता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जारुकता, प्रचार-प्रसार द्वारा सामाजिक सोच में सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक है। केंद्र सरकार ने कई पहल और कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिससे दिव्यांग व्यक्तियों हेतु कई अवसर पैदा हुए हैं और वह आगे बढ़ने में सक्षम हो पाए हैं। पर्पल फेस्ट दिव्यांगजनों में आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाज को उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भी आवश्यक है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण की दिशा में पर्पल फेस्ट एक मील का पत्थर साबित होगा।

6 अस्पतालों के प्रदर्शन को ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के अंतर्गत अस्पतालों के कार्य प्रदर्शन को मापने और ग्रेड देने के लिए एक नई प्रणाली की शुरुआत की है। इस नई प्रणाली का उद्देश्य अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना है। प्रदान किए गए उपचार की गुणवत्ता के अनुसार प्रदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

नई प्रणाली के प्रमुख बिंदु:

- **'मूल्य आधारित देखभाल' अवधारणा-** इस पहल के जरिए अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की जगह स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी सेवाओं के मूल्य के आधार पर अस्पतालों को आकलित किया जाएगा। यह अकसर भुगतान सेवाओं की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसमें प्रदान की गई सेवाओं की संख्या के आधार पर केस-आधारित एकमुश्त भुगतान किया जाता है। यह नई प्रणाली 'value- based care की अवधारणा को सामने लाएगी जहां भुगतान, परिणाम के आधार पर तय किया जाएगा।
- **उपचार की गुणवत्ता पर ध्यान-** इस कदम से उपचार की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इस पहल से रोगियों से लेकर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, भुगतानकर्ताओं व आपूर्तिकर्ताओं तक, सभी संबंधित हितधारकों को इससे लाभ प्राप्त

होने की संभावना है। रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य परिणाम और उन्हें मिलने वाली सेवाओं से संतुष्टि मिलेगी तथा प्रदाता बेहतर देखभाल क्षमताओं को प्राप्त कर सकेंगे।

प्रदर्शन संकेतकों का 5 आधार पर आंकलन:

1. लाभार्थी संतुष्टि।
2. अस्पताल में भर्ती होने की दर।
3. आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय की सीमा।
4. पुष्ट की गई शिकायतें।
5. भर्ती रोगी के स्वास्थ्य से संबंधित जीवन की गुणवत्ता में सुधार।

क्या है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जेएवाई योजना (AB PM-JAY)?

- AB PM-JAY गरीबों और वंचित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने वाली एक महत्त्वाकांक्षी योजना है। इस योजना ने प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के नकदी रहित और कागजरहित स्वास्थ्य सेवा लाभों के साथ सभी पात्र लाभार्थियों को सशक्त बनाया है। AB PM-JAY के तहत अब तक 4.21 करोड़ मरीजों ने अस्पतालों में भर्ती होकर इलाज कराया है जिस पर 49,468 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की भूमिका:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री-जेएवाई योजना को लागू करना है। यह एक शासी निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री करते हैं।

आगे की राह:

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों पर सुधार हो रहा है। इनमें सस्ते उपचार, दवाईयां, ग्रामीण स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, मानव संसाधन का विकास, निवारक स्वास्थ्य देखभाल का प्रचार और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच बढ़ाने के लिए तकनीक का उपयोग शामिल है। बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए, 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 79,000 केंद्रों ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है।

7 कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं पर सरकार की कार्यवाही

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जम्मू के राजौरी में दो अलग-अलग आतंकवादी घटनाओं में 6 लोगों की लक्षित हत्या की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए 'लश्कर-ए-तैयबा' एवं 'जैस-ए- मोहम्मद' के समर्थित दो संगठनों TRF एवं PAFF को गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA)- 1967 के तहत आतंकवादी संगठनों के रूप में प्रतिबंधित किया गया। साथ ही चार व्यक्तियों को UAPA-1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया गया।

संगठन पर प्रतिबंध:

1- द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF):

- TRF संगठन 2019 में प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा के प्रतिनिधि संस्था के रूप में अस्तित्व में आया।
- गृह मंत्रालय के अनुसार TRF कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों की तस्करी एवं डार्क वेब के माध्यम से युवाओं की भर्ती एवं घुसपैठ को अंजाम देने में सक्रिय है।

2. पीपुल्स एंटी- फासिस्ट फ्रंट (PAFF):

- यह 2019 में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रतिनिधि संगठन के रूप में सक्रिय है।
- यह अन्य संगठनों के साथ जम्मू-कश्मीर तथा भारत के अन्य शहरों में हिंसक आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने और सोशल मीडिया में साजिश रचने में शामिल है।

सरकारी प्रयास:

- आतंकवाद के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय माहौल तैयार करना।
- आतंकी गतिविधियों में सक्रिय व्यक्तियों को प्रतिबंधित करना।
- संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सैन्य तैनाती को बढ़ावा देना।
- पीड़ितों को सरकारी नौकरी एवं मुआवजा देना।
- VDGs की स्थापना की दिशा में सक्रिय प्रयास किया जाना।
- J&k में विकास योजना के माध्यम से लोगों की आय सृजित करना तथा निवासियों को मुख्यधारा में लाना। 'उड़ान योजना' (जो एक औद्योगिक पहल है) तथा मिशन यूथ जैसी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना।

गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम-1967 क्या है:

- मूल रूप से 1967 में अधिनियमित UAPA को 2004 एवं 2008 में आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया था।
- अगस्त 2019 में संसद ने इस अधिनियम में प्रदान किए गए कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) संशोधन विधेयक-2019 को मंजूरी दी थी।

UAPA ट्रिब्यूनल:

- UAPA उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अधीन एक न्यायाधिकरण का प्रावधान करता है।
- ट्रिब्यूनल के पास अपनी स्वयं की प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी, जिसमें वह स्थान भी शामिल है जहां वह अपनी बैठकें करता है। इस प्रकार यह उन राज्यों से संबंधित आरोपों के लिए विभिन्न राज्यों में सुनवाई कर सकता है।
- पूछताछ करने के लिए ट्रिब्यूनल के पास 'सिविल प्रक्रिया संहिता-1908' के तहत दीवानी अदालत की शक्तियां प्राप्त हैं।

आगे की राह:

सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों को जमीन पर उतारना आवश्यक है ताकि उससे प्राप्त लाभ द्वारा लोगों को किसी देश विरोधी व शांति-स्थिरता को बाधित करने वाले प्रयासों से बचाया जा सके।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

1. दुर्लभ हिमालयी ग्रिफॉन गिद्ध

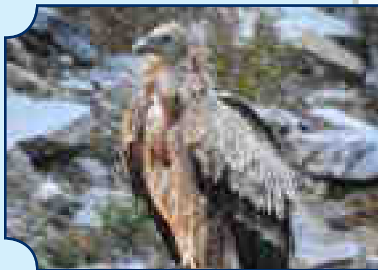

हाल ही में, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक दुर्लभ हिमालयन ग्रिफॉन गिद्ध को पकड़ा गया है। हिमालयी गिद्ध (जिप्स हिमालयेंसिस) मध्य एशिया के ऊपरी इलाकों में पाए जाते हैं, जो पश्चिम में कजाकिस्तान और अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी चीन और मंगोलिया तक फैले हुए हैं। इन्हें प्रकृति का लोकल स्कैवेंजर माना जाता है। तिब्बती बौद्ध संस्कृति में हिमालयी गिद्धों का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। यह IUCN लाल सूची में लुप्तप्राय की श्रेणी में आते है। भारत में गिद्धों की कुल नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें से छह प्रजातियां (white–rumped vulture, Indian vulture, slender-billed vulture, red-headed vulture, bearded vulture and Egyptian vulture) भारत की निवासी प्रजातियां हैं, वहीं तीन (सिनेरियस गिद्ध, ग्रिफॉन गिद्ध और हिमालयी गिद्ध) प्रजातियां प्रवासी हैं।

2. जेब्राफिश में पाया जाने वाला प्रोटीन, विकृत मानव डिस्क में पुनर्जनन को बढ़ावा दे सकता है

हाल ही में पाया गया कि जेब्राफिश की रीढ़ की हड्डी में पाए जाने वाले प्रोटीन के विकृत मानव डिस्क में पुनर्जनन को बढ़ावा देने के लिए संभावित चिकित्सीय निहितार्थ हो सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट (एआरआई), पुणे के एक अध्ययन में पता चला है कि सेलुलर संचार नेटवर्क कारक 2ए (सीसीएन2ए) नामक एक प्रोटीन है। यह सेल प्रसार और सेल अस्तित्व को बढ़ावा देकर वृद्ध पतित डिस्क में डिस्क पुनर्जनन को प्रेरित करता है।

जेब्राफिश के बारे में तथ्यः

जेब्राफिश-डैनियो रेरियो-एक उष्णकटिबंधीय मीठे पानी की मछली है जो मूल रूप से पूर्वी भारत की गंगा नदी में पाई जाती है तथा दक्षिण-पूर्वी हिमालयी क्षेत्र की मूल निवासी है। इसमें 70% मानव जीन पाए जाते हैं। जेब्राफिश का उपयोग कैंसर, मेलेनोमा और हृदय रोग की रोकथाम के वैज्ञानिक अनुसंधान में किया गया है।

3. भारत में अश्लीलता सम्बन्धी कानून

हाल ही में, एक राजनीतिक नेता ने अधिकारियों से 'मुंबई की सड़कों पर घूमने और अपने शरीर का प्रदर्शन करने' के लिए एक सोशल मीडिया इंफ्ल्युएनसर के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत, धारा 292, 293 और 294 अश्लीलता के अपराध से संबंधित हैं।

धारा 292: किसी भी सामग्री को अश्लील माना जाएगा यदि वह कामुक है या कामुकता को बढ़ावा देती है, या यदि इसका प्रभाव सामग्री को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना वाले व्यक्तियों को भ्रष्ट और भ्रष्ट बनाता है। यह खंड किसी भी अश्लील पैम्फलेट, किताब, कागज, पेंटिंग और ऐसी अन्य सामग्री की बिक्री या प्रकाशन पर रोक लगाता है।

धारा 293: यह 20 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को अश्लील वस्तुओं की बिक्री या वितरण ,या ऐसा करने का प्रयास को अपराध मानता है। यह एक जमानती अपराध है, पहली सजा के लिए अधिकतम सजा तीन साल की कैद और 2,000 रुपये तक का जुर्माना है, और दूसरी बार इसी अपराध हेतु पकडे जाने पर के लिए सात साल की सजा के साथ 5,000 रुपये तक का जुर्माना है।

धारा 294: यह सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्यों और गीतों पर प्रतिबंध लगाता है। इस आरोप के तहत दोषी व्यक्ति के लिए अधि कतम सजा तीन महीने की जेल और जुर्माना है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67: इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने वाले को दंडित किया जा सकता है।

4. शगोल कांगजेई

हाल ही में, भारत के गृह मंत्री ने पूर्वी इंफाल जिले के हिंगांग में इबुधौ मार्जिंग परिसर में एक पोलो खिलाड़ी की 122 फीट ऊंची सागोल कांगजेई (पोलो) प्रतिमा का उद्घाटन किया।

माना जाता है कि आधुनिक पोलो की उत्पत्ति मणिपुर के स्वदेशी खेल शगोल कांगजेई से हुई है। इस खेल में खिलाड़ी घोड़ों, विशेष रूप से मणिपुरी टट्टू की सवारी करते हैं। जिनका उल्लेख 14वीं शताब्दी के अभिलेखों में मिलता है। मणिपुर टट्टू, भारत की पाँच मान्यता प्राप्त घोड़ों की नस्लों में से एक है, और मणिपुरी समाज के लिए इसका व्यापक सांस्कृतिक महत्त्व है। मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स को मणिपुर टट्टू के संरक्षण के तरीके के रूप में विकसित किया गया है। मणिपुर टट्टू पौराणिक कथाओं में पाया जाता है तथा इसे मौखिक परंपरा, गाथागीत और अनुष्ठानों में मनाया जाता है।

5. संयुक्त राष्ट्र मिशन हेतु महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी तैनाती

भारतीय सेना ने अबेई, UNISFA में संयुक्त राष्ट्र मिशन में महिला शांति सैनिकों की अपनी सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात की है।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में:

- शांति स्थापना, संयुक्त राष्ट्र के लिए उपलब्ध सबसे प्रभावी उपकरणों में से एक है, यह मेजबान देशों को संघर्ष से शांति तक के कठिन रास्ते पर ले जाने में सहायता करता है।
- शांति स्थापना में वैधता, बर्डेन शेयरिंग और दुनिया भर से सैनिकों और पुलिस को तैनात करने, बनाए रखने तथा बहुआयामी जनादेशों को आगे बढ़ाने के लिए नागरिक शांति सैनिकों के साथ एकीकृत करने की क्षमता होती है।
- संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक सुरक्षा और देशों को संघर्ष से शांति के लिए कठिन, प्रारंभिक संक्रमण में मदद करने के लिए राजनीतिक और शांति निर्माण समर्थन प्रदान करते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना तीन बुनियादी सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है:
  - पार्टियों की सहमति
  - निष्पक्षता
  - आत्मरक्षा और जनादेश की रक्षा को छोड़कर बल का प्रयोग पर प्रतिबन्ध।
- शांति स्थापना लचीला है और पिछले दो दशकों में कई विन्यासों में तैनात किया गया है।
- वर्तमान में तीन महाद्वीपों पर संयुक्त राष्ट्र के 12 शांति अभियान क्रियान्वित हैं।

6. पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बना भारत

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री ने Y20 समिट इंडिया के कर्टेन रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यूथ 20 (वाई20) सभी जी20 सदस्य देशों के युवाओं के लिए एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम होने के लिए एक आधिकारिक परामर्श मंच है। अगले 8 महीनों के लिए, अंतिम यूथ-20 शिखर सम्मेलन के क्रम में भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न चर्चाओं और सेमिनारों के साथ-साथ पांच Y20 (युवा 20) विषयों पर पूर्व शिखर सम्मेलन होंगे। भारत का मुख्य फोकस दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाना और बेहतर कल के लिए विचारों पर चर्चा करना और कार्रवाई के लिए एक एजेंडा तैयार करना है। भारत की अध्यक्षता के दौरान Y20 द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर केंद्रित होंगी। वसुधैव कुटुम्बकम के विचार को साकार करने के लिए समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक समाधान खोजने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

7. वायरोवोर की खोज का दावा

हाल ही में, शोधकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने प्रथम ज्ञात 'वायरोवोर' (एक वायरसग्राही जीव) की खोज की है। वैज्ञानिकों ने पाया कि हालटेरिया की एक प्रजाति-जो सूक्ष्म सिलिया हैं तथा सम्पूर्ण विश्व के मीठे पानी में पाया जाता है बड़ी संख्या में संक्रामक क्लोरोवायरस का भक्षण कर सकता है। दोनों एक जलीय आवास साझा करते हैं।

वायरोवोर के बारे में:

वायरोवोर एक जीव है जो वायरस के सेवन से ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करता है। यह शब्द तकनीकी रूप से उन जीवों को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से या पूरी तरह से वायरस का उपभोग करते हैं परन्तु वर्तमान में इस श्रेणी में मात्र ऐसे जीव शामिल हैं जो किसी अन्य खाद्यपदार्थ की अनुपस्थिति में वायरस के सेवन से प्राथमिक पोषण लाभ प्राप्त करते हैं। वायरोवोर जीव, हाल ही में खोजी गई एक प्रजाति है जिस पर एक जीवित जीव अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए निर्भर करता है। इसकी पहचान प्रोटिस्ट की एक वास्तविक प्रजाति के रूप में की गई है जो वायरस का भक्षण करती है। प्रोटिस्ट की ये वायरसभक्षी प्रजातियों को अब विरोवोर्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से बने होते हैं।

8. सम्मेद शिखरजी: जैन तीर्थ स्थल

झारखंड सरकार द्वारा सम्मेद शिखरजी को पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्णय को पलटने के लिए जैन समुदाय के सदस्य देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

सम्मेद शिखरजी के बारे में:

सम्मेद शिखर झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित एक जैन तीर्थस्थल है। जैन समुदाय के लोग नहीं चाहते कि इसे इको-टूरिज्म में परिवर्तित किया जाए। दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही इसे सबसे बड़ा तीर्थस्थल मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां 24 में से 20 जैन तीर्थकर, जो जैन आध्यात्मिक गुरु हैं, के साथ-साथ कई अन्य भिक्षुओं ने ध्यान करने के बाद 'मोक्ष' या कैवल्य को प्राप्त किया। पारसनाथ पहाड़ी देश भर में झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में जानी जाती है। शिखरजी शब्द का अर्थ अपने आप में 'आदरणीय शिखर' है। 'पारसनाथ' शब्द 23 वें जैन तीर्थंकर 'पार्श्वनाथ' से आया है, जिन्होंने यहां मोक्ष प्राप्त किया था। जैन समुदाय की मान्यताओं के अनुसार, शिखरजी को अष्टपद, गिरनार, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों और शत्रुंजय को श्वेतांबर पंच तीर्थ या पांच प्रमुख तीर्थ स्थलों के रूप में स्थान दिया गया है। अगर कोई शिखरजी की तीर्थ यात्रा करना चाहता है, तो उसे गिरिडीह रोड पर पालगंज से शुरुआत करनी चाहिए, जहां पार्श्वनाथ को समर्पित एक छोटा मंदिर है। तीर्थयात्रियों को शिखरजी की परिक्रमा करते हुए लगभग 27 किमी की लंबी यात्रा करनी पड़ती है।

9. प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ)

हाल ही में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचकांक प्रदाताओं के लिए एक नियामक ढांचा प्रस्तावित किया। प्रस्तावित ढांचे में सूचकांक प्रदाताओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) के सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता होगी। प्रस्तावित विनियमों में पात्रता मानदंड सुनिश्चित करने, अनुपालन, प्रकटीकरण, आवधिक ऑडिट और गैर-अनुपालन और गलत प्रकटीकरण के लिए दंड के प्रावधान शामिल होंगे। प्रतिभूति आयोगों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (आईओएससीओ) संगठनों का एक संघ है जो सम्पूर्ण विश्व में की प्रतिभूतियों और वायदा बाजारों को विनियमित करता है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. कृषि मंत्रालय की इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) पहल ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के नागरिकों के डिजिटल अधिकारिता श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार (प्रथम) जीता।
2. लगातार तीन वर्षों की वृद्धि के बाद, 2022 में बढ़ती महंगाई और उच्च ब्याज दरों के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 70 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है।
3. हाल ही में, असम कैबिनेट ने दीपोर बील की सीमा के साथ सात जंबो कॉरिडोर में हाथी अंडरपास के निर्माण को मंजूरी दी।
4. अमेरिका में हवाई के किलाउआ ज्वालामुखी ने अपने शिखर क्रेटर के अंदर विस्फोट करना शुरू कर दिया। इस ज्वालामुखी और उसके पड़ोसी मौना लोआ द्वारा लावा फूटने के 1 माह बाद ही इसमें पुन: विस्फोट हुआ है। किलाउआ दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।
5. भारतीय रेलवे के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता, पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5-स्टार 'ईट राइट स्टेशन' प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। FSSAI द्वारा यात्रियों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने वाले रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया जाता है।
6. 5 और 6 जनवरी, 2023 को भोपाल, मध्य प्रदेश में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।
7. हाल ही में, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को अपने लगभग 34,000 निर्णयों तक मुफ्त पहुंच प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स (e-SCR) परियोजना शुरू करने की घोषणा की।
8. हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। रानी वेलु नचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थीं। वह तमिलों द्वारा वीरमंगई के नाम से जानी जाती हैं।
9. भारत, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (APPU) का नेतृत्व संभालेगा। डॉ. विनय प्रकाश सिंह, 4 साल के कार्यकाल के लिए संघ के महासचिव का पदभार संभालेंगे। यह संघ (APPU) एशियाई-प्रशांत क्षेत्र के 32 सदस्यीय देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। APPU इस क्षेत्र में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) का एकमात्र अनुषंगी संघ है, जो संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है । एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन (APPU) का मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है।
10. हाल ही में वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि बैंकों ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान 10,09,511 करोड़ रु. के गैर निष्पादित परिसंपत्ति को राइट ऑफ कर दिया है। ऋण लेने वालों द्वारा ऋण न देने पर, ऐसे ऋण को बैंक राइट ऑफ कर देते हैं जिनकी वसूली की बहुत कम संभावना होती है। राइट ऑफ करने के बाद बैंक उस राशि को हानि के रूप में प्रदर्शित करते हैं।
11. हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा संसद को बताया गया कि भारत के 3,693 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से कम से कम 50 स्मारक लापता हैं। लापता स्मारकों में 11 स्मारक उत्तर प्रदेश के दो-दो स्मारक दिल्ली और हरियाणा से तथा असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्मारक इस सूची में शामिल हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण, जलाशयों और बांधों के जलमग्न होने, उनके उचित स्थान की अनुपलब्धता आदि के कारण वर्षों से इन स्मारकों का पता नहीं चल पाया है।
12. दिल्ली में 'ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल गुड' शीर्षक से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का अनावरण किया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (NSD) हर साल 28 फरवरी को 'रमन प्रभाव' की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन सर सी.वी. रमन ने 'रमन प्रभाव' की खोज की घोषणा की थी जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
13. वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस (WSC) का 14वां संस्करण 16-18 फरवरी 2023 को मुंबई में आयोजित किया जाएगा।
14. हाल ही में, भारत ने ओडिशा तट के एक परीक्षण रेंज से सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी-द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल ने उच्च सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदा है।
15. हाल ही में, तितली पर्यवेक्षकों और शोधकर्ताओं की एक टीम ने कन्नूर के कलियाद में एक दुर्लभ तितली प्रजाति व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई की खोज की है।
16. हाल ही में एसएस राजामौली की फिल्म आरआरआर के गाने नाटू-नाटू ने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड जीता है।

कृषि में ब्लॉकचेन

1. चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने हाल ही में सेब की खेती पर हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ मिलकर एक पायलट परियोजना शुरू की है। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करने और आपूर्ति शृंखला एवं संपूर्ण भंडारण में उपज की निगरानी करने के लिए भारतीय प्राकृतिक खेती को ब्लॉकचेन के माध्यम से एक तकनीकी प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद हैं।

2. ब्लॉकचेन के बारे में

- ब्लॉकचेन, सामान्य शब्दों में, खातों और लेन-देन का एक बहीखाता है जो सभी प्रतिभागियों द्वारा लिखा और संग्रहीत किया जाता है।
- आम तौर पर पीयर-टू-पीयर नेटवर्क के माध्यम से सभी सहभागी पार्टियों द्वारा बहीखाते को सामूहिक रूप से प्रबंधित किया जाता है।
- एकाधिक पक्ष नए डेटाबेस को एक्सेस और मान्य कर सकते हैं, सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और भ्रष्टाचार के जोखिम को कम कर सकते हैं।

3. कृषि क्षेत्र और ब्लॉकचेन

- हालांकि भारत फलों और सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन दुनिया भर में इसका निर्यात हिस्सा केवल 1% है।
- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी गुणवत्ता की कमी और पता लगाने की क्षमता के बीच की दूरी को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे भारत के खाद्य निर्यात में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
- इसमें IoT संसर का उपयोग फसल डेटा उत्पन्न करने, खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को उगाई गई फसलों के वितरण और थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को प्रसंस्कृत खाद्य की आपूर्ति के लिए किया जाता है।
- इससे हर स्तर पर उत्पाद के बारे में जानकारी दर्ज करने से लेकर अनावश्यक प्रक्रियाओं को हटाने, तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने और भंडारण की स्थिति की निगरानी करने में मदद मिल सकती है।
- यहां तक कि उपभोक्ता भी उत्पाद खरीदते समय गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों की आपूर्ति शृंखला का पता लगा सकते हैं।

4. बाधाएं

- ब्लॉकचौन प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के संबंध में चिंताएं रही हैं। उदाहरण के लिए, निजी तौर पर आयोजित ब्लॉकचेन में कम सुरक्षा होती है और इसे हैक करना आसान होता है।
- छोटे पैमाने के किसान जो इस तकनीक से अवगत नहीं हैं तथा जिन्हें तकनीकी जानकारी की कमी है, वे पीछे रह सकते हैं।
- छोटे किसानों और ग्रामीणों की सेवा के लिए, ब्लॉकचेन कार्यान्वयन को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए यद्यपि सुरक्षा देश के लिए एक समस्या बनी रहेगी।
- उन लोगों को शिक्षित करना महत्वपूर्ण है जिनमें डिजिटल साक्षरता की कमी है तथा जिन्हें ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता है वरना डिजिटल साक्षरता की कमी उन्हें भागीदारी से रोक सकती है।

5. भारत में फल और सब्जियां

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अनुसार, भारत ने 2021-22 में $1.52 बिलियन मूल्य के ताजे फल और सब्जियों का निर्यात किया।
- जबकि, प्रसंस्कृत फलों और सब्जियों (दालें, प्रसंस्कृत फल और रस आदि) का निर्यात लगभग $1.73 बिलियन था।
- भारत के ताजे फल और सब्जियों के प्रमुख निर्यात स्थलों में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल, नीदरलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, ओमान और कतर शामिल हैं।

6. आगे की राह

- सेब पर पायलट परियोजना के पूरा होने के बाद, इस मॉडल को अंगूर, आम, अनार, केले और सब्जियों सहित अन्य फसलों के साथ दोहराया जाएगा।
- ब्लॉकचेन तकनीक अनैतिक फसल उत्पादन और वितरण को रोककर सुरक्षा बढ़ा सकती है, जो खाद्य आपूर्ति शृंखला में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए किसानों की आजीविका को जोखिम में डालती है।
- यह उपभोक्ताओं को बेहतर सूचित विकल्प बनाने में सहायता देगा, और खाद्य और वित्त के मामले में (यदि ठीक से लागू किया जाए) सुरक्षा की आवश्यकता वाले छोटे पैमाने के किसानों की सहायता करने में सक्षम होगा ।

1. चर्चा में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 5 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) की संचालन समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कौशल विकास योजनाओं, स्किल गैप एनालिसिस और स्किल मैपिंग पर चर्चा हुई। विचार-विमर्श का एक महत्त्वपूर्ण बिंदु यह था कि उभरती प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम कैसे विकसित किया जाए ताकि भारतीय युवा वैश्विक अवसरों से जुड़ सकें।

स्किल इंडिया: भारतीय युवाओं और वैश्विक अवसरों के बीच एक सेतु

- **प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेके):** ये अत्याधुनिक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनकी परिकल्पना बेंचमार्क संस्थानों को बनाने के लिए की गई है जो योग्यता-आधारित कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आकांक्षात्मक मूल्य प्रदर्शित करते हैं।
- **स्ट्राइव:** औद्योगिक मूल्य संवर्धन (स्ट्राइव) योजना के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण का मुख्य फोकस औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रदर्शन में सुधार करना है।
- **संकल्प:** आजीविका के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो विश्व बैंक के साथ सहयोग करती है और अभिसरण और समन्वय के माध्यम से जिला-स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है।
- **औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीआई):** इन केंद्रों का उद्देश्य मौजूदा प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है। हाल ही में 116 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को ड्रोन कोर्स चलाने की मंजूरी दी गई थी। दोहरी प्रणाली प्रशिक्षण डीएसटी चलाने के लिए कुल 274 सरकारी आईटीआई को मंजूरी दी गई थी। लगभग 10,000 कामकाजी महिलाओं और आईटीआई की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया गया।

2. अप्रेंटिसशिप

- 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला का शुभारंभ किया गया।
- अप्रेंटिसशिप को कौशल विकास का सबसे टिकाऊ मॉडल माना जाता है और स्किल इंडिया मिशन के तहत इसे काफी बढ़ावा मिल रहा है।
- सरकार का लक्ष्य प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के माध्यम से प्रति वर्ष दस लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है।

3. भारत के कुशल युवाओं को विकसित करने का रोडमैप

- NSDM को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था।
- कौशल प्रशिक्षण से संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए मिशन शुरू किया गया था।

4. मिशन के उद्देश्य

- राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे (NSQF) को लागू करना जो दीर्घकालिक और साथ ही अल्पकालिक प्रशिक्षण के अवसरों की अनुमति देगा, जिससे उत्पादक रोजगार और कैरियर में सुधार होगा।
- उद्योग-नियोक्ता मांग के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए NSQF मॉड्यूल का उपयोग करना।
- उद्योग के असंगठित क्षेत्रों के कार्यबल को री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग की सुविधा प्रदान करना।
- राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण और बेंचमार्क संस्थानों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण मानकों को सुनिश्चित करना।
- केंद्रित आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों का समर्थन करना।
- एक क्रेडिट हस्तांतरण प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली और औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बीच संक्रमण के लिए मार्ग को सक्षम बनाना।
- श्रम बाजार सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) के रूप में जाना जाने वाला एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखना, जो देश में कुशल कार्यबल की मांग और आपूर्ति के मिलान के लिए एक पोर्टल के रूप में कार्य करेगा।

5. कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई):** इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करना है। पिछले एक वर्ष में पीएमकेवीवाई के तहत 7.36 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया।
- **स्किल साथी परामर्श कार्यक्रम:** MSDE ने स्किल साथी कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य कौशल भारत मिशन के विभिन्न पहलुओं पर युवाओं को संवेदनशील बनाना है।
- **स्किल केंद्र:** MSDE ने सूचित किया कि इस वर्ष 1,957 कौशल केंद्रों में 2,28,000 छात्रों का नामांकन हुआ। स्किल हब पहल का उद्देश्य शिक्षा को और अधिक प्रासंगिक बनाना और उद्योग के अनुकूल कुशल कार्यबल तैयार करना है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

1. चर्चा में क्यों?

रिजर्व बैंक ने हाल ही में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) का 26वां अंक जारी किया। रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की उप-समिति द्वारा किए गए वित्तीय स्थिरता और वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन तथा जोखिमों के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाती है।

2. रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

1. लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था:

- कई झटकों के परिणामस्वरूप वित्तीय स्थिति जटिल हो गई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है।
- डब्ल्यूटीओ के गुड्स ट्रेड बैरोमीटर से पता चलता है कि वैश्विक व्यापार की मात्रा वर्ष की दूसरी छमाही में धीमी रही है।
- मंदी आयात मांग में कमी और ऑटोमोबाइल और सेमीकंडक्टर जैसे व्यापक रूप से कारोबार वाले सामानों के उत्पादन और आपूर्ति को बाधित करने के संयोजन को दर्शाती है।
- बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, जो थोक वस्तुओं के लिए शिपिंग शुल्क का एक उपाय है और जिसने अक्टूबर 2021 में अपने उच्चतम स्तर को पार कर गया था, उसमें अक्टूबर के बाद अचानक गिरावट दर्ज की गई।

2. बैंक ऋण वृद्धि:

- रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई), जो भारत के वाणिज्यिक बैंकों की अंतर्निहित स्थितियों और जोखिम कारकों में बदलाव को इंगित करता है, ने सुदृढ़ता, संपत्ति की गुणवत्ता, तरलता और लाभप्रदता मापदंडों में सुधार दिखाया है।
- विकास दर, अभी भी आदर्श स्तर से बहुत दूर है। खुदरा ऋण में संतोषजनक वृद्धि हुई है, परन्तु थोक ऋण वृद्धि में संघर्ष जारी है।
- अधिकांश थोक ऋण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लिया जा रहा है, जबकि निजी क्षेत्र नए सिरे से धन जुटाने से पीछे हट रहा है।

3. गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां:

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (GNPA) अनुपात 5.0 प्रतिशत के सात साल के निचले स्तर पर आ गया है तथा शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NNPA) घटकर दस साल के निचले स्तर 1.3 प्रतिशत पर आ गया हैं।

3. रिपोर्ट के बारे में

- वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट देश की वित्तीय स्थिरता की स्थिति बताती है और वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों जैसे बैंकों आदि के योगदान को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है।
- इसके अलावा, यह क्रेडिट ग्रोथ और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की स्थिति के बारे में सूचित करती हैं।

- आरबीआई, वैश्विक तथा घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति जैसे कई पहलुओं की जांच करता है, और यह परीक्षण करता है कि अगर अर्थव्यवस्था उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ती है तो वेरिएबल कैसे प्रतिक्रिया देंगे।
- रिपोर्ट वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है, और इसके एक भाग के रूप में आरबीआई व्यवस्थित जोखिम सर्वेक्षण भी आयोजित करता है।

4. आगे की राह

- हालिया एफएसआर रिपोर्ट बताती है कि भारत के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में जुलाई के आकलन 2021 से काफी सुधार हुआ है।
- हालांकि, ऑमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के साथ-साथ धीमी वैश्विक वृद्धि, विकसित देशों में मौद्रिक तंगी (जिससे विदेशी मौद्रिक प्रवाह में बाधा आने की संभावना है) अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

1. चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार ने 2014 से अब तक गंगा की सफाई पर 13000 करोड़ से अधिक खर्च किया है।

2. बैठक के प्रमुख अंश

- एनजीएमसी ने परिषद की बैठक में एक विस्तृत वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014 से 31 अक्टूबर, 2022 तक एनजीएमसी को कुल 13,709.72 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
- उत्तर प्रदेश राज्य को सबसे बड़ा परिव्यय प्राप्त हुआ जो 4,205.41 करोड़ है। कुल 2,525 किलोमीटर में से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लम्बाई लगभग 1100 किलोमीटर है।
- उत्तर प्रदेश के बाद बिहार (3516.63 करोड़), पश्चिम बंगाल (1320.39 करोड़), दिल्ली (1253.86 करोड़) और उत्तराखंड (1117.34 करोड़) वह राज्य है जिन्हें सबसे ज्यादा परिव्यय प्राप्त हुआ।

3. नमामि गंगे कार्यक्रम

- केंद्र सरकार ने जून 2014 में राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रभावी प्रदूषण निवारण, संरक्षण और कायाकल्प के दोहरे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को 'फ्लैगशिप प्रोग्राम' के रूप में नामित किया।
- सरकार ने 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए कार्यक्रम शुरू किया था, इस अवधि को पांच साल के लिए 31 मार्च 2026 तक और बढ़ा दिया गया था।
- यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है।
- यह कार्यक्रम स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (राष्ट्रीय गंगा परिषद का कार्यान्वयन विंग) और इसके राज्य समकक्ष संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

4. प्रमुख स्तंभ

- सीवरेज ट्रीटमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग।
- रिवर-फ्रंट डेवलपमेंट एंड रिवर-सरफेस क्लीनिंग।
- जैव विविधता और वनीकरण।
- जन जागरण।

5. कार्यक्रम के बारे में हाल के अपडेट

- संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारत की पवित्र नदी गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी।
- नदी और उसकी सहायक नदियों के आस-पास स्वच्छता बनाए रखने से लेकर पर्यटन, संरक्षण और आजीविका विकसित करने के लक्ष्यों में भी धीरे-धीरे बदलाव आया है।
- पीएम ने गंगा को साफ करने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख परियोजना नमामि गंगे से 'अर्थ गंगा' के मॉडल में बदलाव का आग्रह किया।

6. गंगा कायाकल्प से जुड़ी चुनौतियां

- गंगा संरक्षण के लिए प्रदूषण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
- कोसी, रामगंगा, और काली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में कानपुर की चर्म शोधनशालाएँ, आसवनी, कागज और चीनी मिलें इसमें प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
- नदी तल के पास अवैध और बड़े पैमाने पर निर्माण की समस्या नदी की सफाई में एक बड़ी बाधा है।
- हालांकि, इस दिशा में विभिन्न प्रयास किए जाते हैं, उचित पर्यवेक्षण तथा निगरानी की कमी जैसे खराब प्रशासन पहलू अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

1. चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी, 2023 को वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज-एमवी गंगा विलास को झंडी दिखाकर रवाना किया और टेंट सिटी का उद्घाटन किया।

एमवी गंगा विलास

2. एमवी गंगा विलास क्रूज के बारे

- एमवी गंगा विलास क्रूज पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के समर्थन से अपनी तरह की पहली क्रूज सेवा है।
- यह यूपी के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करके, 51 दिनों में लगभग 3,200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते, भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए, असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी।
- जहाज अपने मूल में सतत सिद्धांतों का पालन करता है क्योंकि यह प्रदूषण मुक्त तंत्र और शोर नियंत्रण प्रौद्योगिकियों से लैस है।

3. कवर किए जाने वाले स्थान

- एमवी गंगा विलास क्रूज देश के सर्वश्रेष्ठ को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है।
- विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों, और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों सहित 50 पर्यटन स्थलों की यात्रा 51 दिनों में पूर्ण करने की योजना बनाई गई है।

4. भारत में पर्यटन के लिए बढ़ावा

- यात्रा पर्यटकों को भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता में शामिल होने का अवसर देगी।
- वाराणसी में गंगा आरती के पश्चात यह बौद्ध धर्म के श्रद्धा केंद्र सारनाथ पर रुकेगी।
- यह अपने तांत्रिक शिल्प के लिए जाना जाने वाला मयोंग और असम में सबसे बड़ा नदी द्वीप और वैष्णव संस्कृति का केंद्र माजुली को भी कवर करेगा।
- यात्री बिहार स्कूल ऑफ योगा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी जाएंगे।
- क्रूज जैव विविधता से भरपूर विश्व धरोहर स्थलों, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध बंगाल डेल्टा की खाड़ी में सुंदरबन तथा एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भी गुजरेगा।

5. भारतीय पर्यटन बाजार

- पर्यटन और आतिथ्य उद्योग भारत में सबसे बड़े सेवा उद्योगों में से एक है।
- पर्यटन उद्योग महिला कार्यबल के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है।
- भारत में पर्यटन क्षेत्र मेक इन इंडिया कार्यक्रम का एक अभिन्न स्तंभ है।

- पर्यटन उद्योग तीव्र गति से विकास और रोजगार सृजित करने में एक महत्वपूर्ण आर्थिक गुणक की भूमिका निभाता है।
- भारत वर्तमान में विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (2021) में 54वें स्थान पर है।
- 2030 तक, भारत के शीर्ष 5 व्यापार यात्रा बाजारों में शामिल होने की उम्मीद है।
- भारत भौगोलिक विविधता, विश्व विरासत स्थलों और परिभ्रमण, साहसिक, चिकित्सा, पर्यावरण-पर्यटन आदि जैसे विशिष्ट पर्यटन उत्पादों की उपलब्धता कराता है।
- अतुल्य भारत ने पर्यटकों के आगमन और रोजगार में वृद्धि को बढ़ावा दिया है।
- भारत का लक्ष्य क्रूज यात्री यातायात को वर्तमान में 0.4 मिलियन से बढ़ाकर 4 मिलियन करना है।
- क्रूज पर्यटन की आर्थिक क्षमता आने वाले वर्षों में $110 मिलियन से $5.5 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है।
- पर्यटन होटल, रिसॉर्ट और रेस्तरां, परिवहन बुनियादी ढांचे (विमानन, सड़क, शिपिंग और रेलवे) और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित बहु-उपयोगी बुनियादी ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करता है।

1. चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना ने स्प्रिंट योजना के तहत आटोनामस आर्म्ड बोट स्वार्म के लिए सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नौसेना द्वारा स्प्रिंट योजना के तहत हस्ताक्षरित यह 50वां अनुबंध है।

स्प्रिंट योजना

2. योजना के बारे में

- SPRINT का अर्थ है- रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX), नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (NIIO) तथा प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल (TDAC) के माध्यम से अनुसन्धान एवं विकास में पोल-वॉल्टिंग का समर्थन करना।
- इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 जुलाई, 2022 को नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन (NIIO) संगोष्ठी के दौरान लॉन्च किया गया था।
- यह एनआईआईओ और रक्षा नवाचार संगठन (डीआईओ) के बीच एक सहयोगी परियोजना है।
- यह घरेलू कंपनियों द्वारा रक्षा प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने की एक पहल है।
- इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के लिए उद्योगों द्वारा 75 नई स्वदेशी तकनीकों का विकास करना है।
- 75 नई प्रौद्योगिकियों को 15 अगस्त, 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में शामिल किया जाएगा।

3. योजना का महत्त्व

- यह भारतीय नौसेना में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देगी।
- यह नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के साथ, रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' और राष्ट्र की सुरक्षा तथा समृद्धि के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्रित है।
- आत्मनिर्भर भारत के लिए 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण से 'संपूर्ण राष्ट्र' दृष्टिकोण में बदलाव- इस कार्यक्रम के तहत सरकार और नौसेना घरेलू उद्यमियों को समर्थन प्रदान करेगी जिससे रक्षा प्रतिष्ठान, शिक्षाविदों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा मिलेगा।

4. बोट स्वार्मस के बारे में

इससे संचालन में नौसेना को निम्न मदद मिलेगी-

- उच्च गति पाबंदी।
- निगरानी और कांस्टेबुलरी ऑपरेशन।
- कमांड, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर (C4) इंटेलिजेंस।
- निगरानी और टोही (C4ISR)
- कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन।

5. आगे की राह

स्प्रिंट योजना हर स्थिति से निपटने के लिए तथा उसकी तैयारी में सुधार हेतु भारतीय नौसेना को खरीददार से बिल्डर तक की परिवर्तनकारी यात्रा में मदद करेगी। भारत की सामुद्रिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नौसेना एकसाथ कई स्टार पर कार्य कर रही है ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके।

विदेशी विश्वविद्यालयों का भारत में परिसर

1. चर्चा में क्यों?

हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 'भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन' के लिए मसौदा नियमों की घोषणा की।

2. विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए नियम और शर्तें

ऑफलाइन मोड में केवल पूर्णकालिक कार्यक्रम:

- देश में कैंपस वाले विदेशी विश्वविद्यालय केवल ऑफलाइन मोड में पूर्णकालिक कार्यक्रम पेश कर सकते हैं।
- ऑनलाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मंजूरी की आवश्यकता:

- विदेशी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) को भारत में अपने परिसर स्थापित करने के लिए यूजीसी से अनुमति की आवश्यकता होगी।

सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ सीमित अवधि की स्वीकृति:

- प्रारंभिक स्वीकृति 10 वर्षों के लिए होगी और कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन नौवें वर्ष में नवीनीकृत की जाएगी।
- विदेशी विश्वविद्यालय ऐसे किसी भी अध्ययन कार्यक्रम की पेशकश नहीं करेंगे जो भारत के राष्ट्रीय हित या भारत में उच्च शिक्षा के मानकों को खतरे में डालता हो।

विदेशी विश्वविद्यालयों को कार्यात्मक स्वायत्तता:

- विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने प्रवेश मानदंड और शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता होगी।
- हालांकि, आयोग शुल्क को 'उचित और पारदर्शी' रखने की सलाह दे सकता है।

फेमा, 1999 के अनुसार फंड और फंडिंग से संबंधित मामले:

- निधियों का सीमा-पार संचलन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार होगा।
- निधियों का सीमा-पार संचलन और विदेशी मुद्रा खातों का रखरखाव, भुगतान का तरीका, प्रेषण, प्रत्यावर्तन, और आय की बिक्री, यदि कोई हो, फेमा, 1999 के अनुसार होगी।
- एफएचईआई के संचालन को प्रमाणित करने वाली एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रतिवर्ष आयोग को प्रस्तुत की जाएगी।

3. एनईपी, 2020

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति [एनईपी], 2020 में परिकल्पना की गई है कि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- ऐसी प्रविष्टि को सुविधाजनक बनाने वाला एक विधायी ढांचा सरकार द्वारा लाया जाना चाहिए।
- विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक, शासन और सामग्री मानदंडों के संबंध में विशेष छूट दी जाएगी।

4. भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लाभ

- विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान प्रदान करेंगे:
  1. भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय आयाम।
  2. भारतीय छात्रों को सस्ती कीमत पर विदेशी योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
  3. यह भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाएगा।
- विदेशी संस्था शीर्ष अंतरराष्ट्रीय संकाय और कर्मचारियों की भर्ती करेगी और भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करेगी।

5. विदेशी विश्वविद्यालयों के चयन के लिए प्रक्रिया

भारत में अपने कैंपस स्थापित करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र विदेशी संस्थानों की दो श्रेणियां होंगी:

1. वे विश्वविद्यालय जिन्होंने समग्र या विषय-वार वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त किया हो।
2. अपने देश में प्रतिष्ठित संस्थान हो।

यूजीसी होगी नियामक संस्था:

1. यूजीसी भारत में विदेशी एचईआई के परिसरों की स्थापना और संचालन से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक स्थायी समिति का गठन करेगा।
2. स्थायी समिति निम्नलिखित पहलुओं पर आवेदन का मूल्यांकन करेगी:
   - शिक्षण संस्थानों की विश्वसनीयता।
   - पढाए जाने वाले पाठ्यक्रम।
   - भारत में शैक्षिक अवसरों को मजबूत करने की क्षमता।
   - प्रस्तावित शैक्षणिक बुनियादी ढांचा।

प्रीलिम्स स्पेशल 2023: राजव्यवस्था

बिलकिस बानो केस

- **चर्चा में क्यों**- 2008 में बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 लोगों को इस सप्ताह गुजरात की एक जेल से रिहा कर दिया गया। यह दोषियों के लिए राज्य सरकार की छूट नीति पर सवाल उठाता है।
- जबकि राज्य सरकार का कहना है कि वे पहले ही अपने कारावास के 14 वर्ष पूरे कर चुके हैं और अदालत में अच्छा व्यवहार दिखाया है और इसलिए वे छूट के पात्र हैं।
- इससे पहले, एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो अदालत ने 2008 में पुरुषों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

छूट (Remission) क्या है?

- क्षमा में, सजा की प्रकृति अपरिवर्तित रहती है, जबकि अवधि कम हो जाती है यानी शेष सजा काटने की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई जाती है, तो उसकी सजा अब घटाकर 15 साल कर दी जाती है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) स्पष्ट रूप से कहता है कि आजीवन दोषियों को कम से कम 14 साल के वास्तविक कारावास से गुजरना पड़ता है, इससे पहले कि उन्हें छूट/समय से पहले रिहाई के लिए विचार किया जा सके।

अनुच्छेद 161:

- यह राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल किसी भी कानून के खिलाफ दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, दमन, राहत और छूट प्रदान कर सकता है या निलंबित, परिहार और कम कर सकता है, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।

डोपिंग रोधी बिल:

- संसद ने सर्वसम्मति से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक पारित किया। विधेयक का उद्देश्य खेलों में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कामकाज के लिए एक वैधानिक ढांचा प्रदान करना है।
- कानून एथलीटों, एथलीट सहायता कर्मियों और अन्य व्यक्तियों को खेलों में डोपिंग में शामिल होने से प्रतिबंधित करता है।
- बिल नाडा को जांच, डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने, अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं को अपनाने और निरीक्षण, नमूना संग्रह और साझा करने और सूचना के मुक्त प्रवाह की शक्तियां देता है।

सांसदों के विशेषाधिकार का विस्तार आपराधिक मामलों में नहीं:

- राज्यसभा के सभापति ने सदन में स्पष्ट किया कि सत्र के दौरान या अन्यथा किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने से सांसद अछूते नहीं हैं। आपराधिक मामलों में, संसद सदस्य (सांसद) एक सामान्य नागरिक से अलग स्तर पर नहीं होते हैं।
- सत्र या समिति की बैठक शुरू होने के 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद तक संसद सदस्य को दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। (अनुच्छेद105)

आईएएस की पोस्टिंग को लेकर केंद्र बनाम राज्य में खींचतान:

चर्चा में क्यों- पश्चिम बंगाल में केंद्र में आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई चल रही है।

अखिल भारतीय सेवाओं के साथ समस्या:

- आईएएस का चयन संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से होता है, जो वार्षिक परीक्षा आयोजित करता है।
- नियुक्ति अधिकारी विभिन्न राज्यों को आवंटित किए जाते हैं, प्रत्येक राज्य की आवश्यकता के आधार पर अधिकारियों की संख्या तय की जाती है।
- इसके बाद, वे अपना अधिकांश करियर उन राज्यों में बिताते हैं, जिनमें केंद्र में प्रतिनियुक्ति- Deputation के छोटे-छोटे दौर होते हैं।
- जबकि वे एक राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, अनुशासनात्मक प्राधिकरण केंद्र में निहित होते है।
- राज्य किसी भी कदाचार के लिए दोषी IAS अधिकारी पर बड़ी कार्यवाही नहीं कर सकता है।
- राज्य सेवाओं से एक अधिकारी के निलंबन को तीन महीने के भीतर केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित करना होता है जो उनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखते है।

लाभ के पद के तहत अयोग्यता की कार्यवाही:

चर्चा में क्यों- लाभ का पद धारण करने के कारण हेमंत सोरेन के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही चल रही है। यदि कोई विधायक या सांसद एक सरकारी कार्यालय रखता है और उससे लाभ प्राप्त करता है, तो उस कार्यालय को लाभ का पद कहा जाता है

किसी सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराने के लिए बुनियादी मानदंड:

- अनुच्छेद 102 और 191: एक सांसद के लिए बुनियादी अयोग्यता मानदंड संविधान के अनुच्छेद 102 में और एक विधायक के लिए अनुच्छेद 191 में निर्धारित किए गए हैं।

संविधान के तहत अयोग्यता के आधार:

- भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना।
- अस्वस्थ दिमाग का होना।
- अनुन्मोचन दिवालिया होना।
- भारतीय नागरिक नहीं होने या किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर।

समान नागरिक संहिता:

चर्चा में क्यों- संसद के पैनल ने गोवा यूसीसी के कुछ पुराने प्रावधान पर प्रकाश डाला है।

- UCC विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है जो सभी नागरिकों पर उनके धर्म, जाति और लिंग के बावजूद लागू होता है।
- संविधान का अनुच्छेद-44, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक है, एक समान नागरिक संहिता की भी वकालत करता है।
- हालांकि, आजादी के बाद से सरकारों ने भारत की विविधता का सम्मान करने के लिए संबंधित धर्म-आधारित नागरिक संहिताओं की अनुमति दी है। (गोवा में सामान नागरिक संहिता लागू है)

स्थानीय लोगों के लिए 100 प्रतिशत कोटा:

चर्चा में क्यों- SC ने सरकारी नौकरियों में झारखंड के स्थानीय लोगों को 100% कोटा देने का फैसला रद्द किया।

- उच्चतम न्यायालय ने कहा यह कदम असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16(2), 16(3) और 35 के अधिकार से बाहर है।
- आरक्षण की बाहरी सीमा 50% है, जैसा कि इंद्रा साहनी मामले, 1992 में निर्दिष्ट है।

अल्पसंख्यक:

चर्चा में क्यों- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जिला स्तर पर अल्पसंख्यक की स्थिति की मान्यता प्रदान करना कानून के विपरीत है, इस प्रकार यह असंवैधानिक है। वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा एनसीएम (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग) अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) के तहत अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है।

संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान 'अल्पसंख्यक' शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
- अनुच्छेद-29 (विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार)
- अनुच्छेद-30 (अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार)
- अनुच्छेद-350-बी (भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी का प्रावधान जो उनके हितो को संरक्षित करेगा)

कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली:

चर्चा में क्यों- NALSA ने पूरे भारत में 365 जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों में पूर्णकालिक कानूनी सहायता वकीलों के साथ LADCS लॉन्च किया है। एलएडीसी एक नालसा-वित्तपोषित परियोजना है जो आरोपी व्यक्तियों को आपराधिक मुकदमों में अपना बचाव करने के लिए मुफ्त कानूनी सहायता (सार्वजनिक रक्षक प्रणाली के अनुरूप) प्रदान करती है। NALSA का गठन भारतीय संविधान के 39A के प्रावधान के अनुसार समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया है।

संवैधानिक बेंच:

चर्चा में क्यों- मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने कहा कि साल भर एक संवैधानिक बेंच बैठेगी। संवैधानिक पीठ भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पीठों को दिया गया नाम है जिसमें अदालत के कम से कम पांच न्यायाधीश शामिल होते हैं जो किसी भी मामले का फैसला करने के लिए बैठते हैं जो इस प्रकार है-

- भारत के संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न के लिए
- अनुच्छेद-143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किए गए किसी भी संदर्भ को सुनने के उद्देश्य से
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के तहत मामले

नेवा (NeVA):

- राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का उपयोग करके वन नेशन-वन एप्लिकेशनश को लागू किया जा रहा है।
- नेवा देश की सभी विधानसभाओं को एक मंच पर लाने का एक पोर्टल है।

केंद्रीय सूची में शामिल नहीं किए गए ओबीसी ईडब्ल्यूएस के तहत आवेदन कर सकते हैं:

- राज्य सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समुदायों से संबंधित, लेकिन केंद्रीय सूची में शामिल नहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा मानदंड के तहत भारत सरकार के पदों और सेवाओं के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे, लेकिन एससी और एसटी पात्र नहीं होंगे।

अनुच्छेद 342ए:

- इसे 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया था।
- यह राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है
- यह अनुच्छेद समुदायों की पिछड़ी सूची में पुनः किसी समुदाय को जोड़ने या हटाने के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य बनाता है।

आठवीं अनुसूची:

चर्चा में क्यों- कुर्मी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर कुर्मी आंदोलन चला।

- भारतीय संविधान का भाग XVII अनुच्छेद 343 से 351 में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं।
- सिंधी भाषा- 21वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1967 से जोड़ी गई।
- कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली-71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से जोड़ी गई।
- बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली -92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 से जोड़ी गई।

निवारक निरोध- Preventive Detention:

चर्चा में क्यों- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम अपराध के आंकड़ों के अनुसार, 2021 में निवारक हिरासत में 23.7%

से अधिक की वृद्धि देखी गई है।

- निवारक निरोध में किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकने और/या भावी अभियोग से बचने के लिए उसे रोकना (रोकथाम) शामिल है।
- सीआरपीसी की धारा 151 के तहत, पुलिस को निवारक गिरफ्तारी करने का अधिकार है यदि उन्हें लगता है कि किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए उन्हें ऐसा करना चाहिए। इस संहिता या किसी अन्य कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत आवश्यक होने पर इस हिरासत को 24 घंटे से अधिक बढ़ाया जा सकता है।

अनुच्छेद-22(3):

- यह राज्य सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के कारणों से निवारक निरोध और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति देता है।

अनुच्छेद-22(4):

- निवारक निरोध प्रदान करने वाला कोई भी कानून किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए निरोध को अधिकृत नहीं करेगा जब तक कि सलाहकार बोर्ड विस्तारित निरोध के लिए पर्याप्त कारण की रिपोर्ट नहीं देगा।

उपासना स्थल अधिनियम, 1991:

चर्चा में क्यों- ज्ञानवापी मामला।

- अधिनियम 15 अगस्त, 1947 को सभी पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को सील कर देता है। अर्थात किसी धार्मिक स्थल कि स्थिति जैसी १५ अगस्त को थी अब वह उसी तरह रहेगी। यह अनिवार्य करता है कि ऐसे स्थान को दूसरे धर्म में बदलने की मांग करने वाले किसी भी मामले को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- अनुच्छेद-25 प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है और सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद-26 भी सभी सम्प्रदायों को धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।

सहकारी समितियां:

चर्चा में क्यों- सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी नीति लागू की है।

- सहकारिता शब्द संविधान के भाग III के अनुच्छेद 19(1)(C) में 97वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था।
- यह नागरिकों के मौलिक अधिकार का दर्जा देकर सभी नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने में सक्षम बनाता है।
- सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (भाग IV) में एक नया अनुच्छेद-43बी जोड़ा गया था।

सीएसआर नीति संशोधन नियम 2022:

चर्चा में क्यों- एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने कंपनी (सीएसआर नीति) संशोधन नियम 2022 जारी किया है।

नए नियम:

- अव्ययित सीएसआर राशि का उपयोग 3 वर्षों के भीतर किया जाना चाहिए।
- सीएसआर कार्यों को लागू करने के लिए सीएसआर समिति का अनिवार्य गठन।
- सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) के लिए खर्च की गई राशि कुल सीएसआर का 2% या 50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एसआईए को 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सीएसआर बजट वाले व्यवसायों या 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक के परिव्यय वाली परियोजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
- कंपनियों को कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति और सीएसआर नीति की संरचना का खुलासा करना है।

राज्य सतर्कता आयोग:

चर्चा में क्यों- पंजाब विधानसभा ने राज्य सतर्कता आयोग को भंग कर दिया है।

- संथानम समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी।
- **सदस्य:** केंद्रीय सतर्कता आयुक्त-अध्यक्ष व अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त।
- **कार्य:** सीवीसी भ्रष्टाचार या पद के दुरूपयोग की शिकायतें प्राप्त करता है और उचित कार्रवाई की सिफारिश करता है।

द्वेषपूर्ण भाषण (Hate Speech):

चर्चा में क्यों- चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चुनावों के दौरान अभद्र भाषा के खिलाफ एक विशिष्ट कानून की कमी के कारण, उसे आईपीसी और आरपीए का सहारा लेना पड़ता है।

- **IPC की धारा 295A**- यह उन दंडनीय कृत्यों से संबंधित है जो जानबूझकर या दुर्भावनापूर्ण इरादे से व्यक्तियों के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं।
- **आरपीए की धारा 123(3ए) और 125:** चुनावों के संदर्भ में नस्ल, धर्म, समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर शत्रुता को बढ़ावा देने पर रोक लगाती है और इसे भ्रष्ट चुनावी प्रथाओं के तहत शामिल करती है।

प्रधानता का सिद्धांत (Doctrine of Precedence): अनुच्छेद 145(5):

- विवाद की स्थिति में कम शक्ति वाली पीठ द्वारा दिए गए फैसले पर बड़ी पीठ का बहुमत का विचार प्रबल होगा, भले ही कम शक्ति वाली पीठ को अधिक संख्या में न्यायाधीश एक-दूसरे से सहमत होते दिखाई दें।
- Doctrine of precedence के अनुसार कोई भी निर्णय भविष्य की अदालती कार्यवाही के लिए थंब रूल बन जाता है जब तक कि इसे एक बड़ी बेंच द्वारा खारिज नहीं कर दिया जाता।
- अनुच्छेद 145(5) में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की सुनवाई में उपस्थित अधिकांश न्यायाधीशों की सहमति के बिना कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस खंड में कुछ भी एक न्यायाधीश को असहमतिपूर्ण निर्णय देने से नहीं रोकेगा।

दया याचिका:

चर्चा में क्यों- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा दया याचिका पर फैसला करने में देरी की आलोचना की।

- दया याचिका एक व्यक्ति का अंतिम उपाय है जब प्रचलित कानूनों और संविधान के तहत उसके लिए उपलब्ध सभी उपाय समाप्त हो जाते हैं। अनुच्छेद-72 के तहत भारत के राष्ट्रपति या अनुच्छेद-161 के तहत राज्य के राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर की जा सकती है।

अपराधियों की पहचान के लिए नियम:

चर्चा में क्यों- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम, 2022 को नियंत्रित करने वाले नियमों को अधिसूचित किया।

- अधिनियम किसी भी व्यक्ति को माप देने के लिए निर्देशित करने के लिए एक मजिस्ट्रेट को अधिकार देता है
- **माप में शामिल हैं:** फिंगर-इंप्रेशन, पाम-प्रिंट और पदचिह्न, फोटोग्राफ, आइरिस और रेटिना स्कैन, भौतिक और जैविक नमूने और उनका विश्लेषण (डीएनए प्रोफाइलिंग सहित), हस्ताक्षर, लिखावट सहित व्यवहार संबंधी विशेषताएं, धारा 53 या धारा 53ए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संदर्भित कोई अन्य परिक्षण।

लोक अदालतें:

चर्चा में क्यों- छत्तीसगढ़ में राज्य भर की जेलों में लोक अदालत लगने के बाद कई कैदी जेल से रिहा हुए हैं.

- लोक अदालत का अर्थ गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित जनता की अदालत है।
- यह वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) प्रणाली के घटकों में से एक है और आम लोगों को अनौपचारिक, सस्ता और शीघ्र न्याय प्रदान करता है।
- पहला लोक अदालत शिविर 1982 में गुजरात में एक स्वैच्छिक और सुलह एजेंसी के रूप में आयोजित किया गया था।
- कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था।

डॉक्ट्रिन आफ प्लीजर:

चर्चा में क्यों- केरल के राज्यपाल ने मंत्रियों को उनके पद से हटाने की बात कही, अगर उन्होंने अपने कार्यालय की गरिमा को कम करना जारी रखा।

- अनुच्छेद-164 कहता है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत तक पद धारण करेगा। लेकिन नियमों के अनुसार, कोई भी राज्यपाल किसी एक मंत्री को राज्य के मंत्रिमंडल से तब तक बर्खास्त नहीं कर सकता जब तक कि मुख्यमंत्री की सिफारिश न हो
- अनुच्छेद-163: राज्यपाल के कुछ विवेकाधिकार को छोड़कर, राज्यपाल को अपने कार्यों के प्रयोग में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक सीओएम है।
- शमशेर सिंह मामला, 1974 और नबाम रेबिया मामला, 2006)- राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री की सलाह से बाध्य माने गये।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:

चर्चा में क्यों- दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग किसी भी संदिग्ध शिकायत और अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा लगाए गए बेबुनियाद आरोपों के आधार पर जांच शुरू नहीं कर सकता है।

- NCSC एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में अनुसूचित जाति (SC) के हितों की रक्षा के लिए काम करता है (अनुच्छेद-338)।
- इसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं।
- उन्हें राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- आयोग को एंग्लो-इंडियन समुदाय से संबंधित समान कार्यों का निर्वहन करना है जैसा कि यह अनुसूचित जातियों के संबंध में करता है।

सीबीआई:

चर्चा में क्यों- हाल ही में, महाराष्ट्र ने सीबीआई की सामान्य सहमति बहाल की।

- सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित होती है जो उस राज्य में जांच करने के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य बनाती है (डीएसपीई अधिनियम की धारा 6)।
- सामान्य सहमति के तहत, राज्यों द्वारा एक बार सहमति दिए जाने के बाद प्रत्येक मामले के लिए नई सहमति की आवश्यकता नहीं होती है।

विशेष छूट (Special Remission) के लिए पात्र कैदी:

चर्चा में क्यों- गृह मंत्रालय ने कैदियों के लिए छूट के लिए दिशानिर्देश को अंतिम रूप दिया।

- 50 और उससे अधिक उम्र की महिला और ट्रांसजेंडर अपराधी और 60 और उससे अधिक उम्र के पुरुष अपराधी।
- 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले शारीरिक रूप से विकलांग या अक्षम अपराधी जिन्होंने अपनी कुल सजा अवधि का 50% पूरा कर लिया है।
- गंभीर रूप से बीमार सजायाफ्ता कैदी जिन्होंने अपनी कुल सजा का दो-तिहाई (66%) पूरा कर लिया है।
- गरीब या निर्धन कैदी जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है वे व्यक्ति जिन्होंने कम उम्र में अपराध किया है (18-21)
- मौत की सजा या ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति जिसके लिए मौत की सजा निर्दिष्ट की गई है या आजीवन कारावास या आतंकवाद से संबंधित अपराध, दहेज हत्या या जाली मुद्रा (मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002), बलात्कार का गंभीर अपराध, और मानव तस्करी POCSO अधिनियम 2012 से संबंधित मामले छूट के पात्र नहीं हैं।

परिसीमन के लिए संवैधानिक आधार:

चर्चा में क्यों- जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आयोग

- अनुच्छेद-82 के तहत: प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर राज्यों

को लोक सभा में स्थानों के आबंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुन: समायोजन किया जाएगा जो संसद् विधि द्वारा अवधारित करे

- **अनुच्छेद-170 के तहत:** प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को भी परिसीमन अधिनियम के अनुसार क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।
- केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग का गठन करती है।
- परिसीमन आयोग अनुच्छेद-82 के तहत गठित एक स्वतंत्र निकाय है, जो संसद द्वारा जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के तहत बनाया जाता है।
- परिसीमन आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है।

सदस्य:

- सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश।
- मुख्य चुनाव आयुक्त।
- संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त।

मुख्य चुनाव आयुक्त:

चर्चा में क्यों- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने सीईसी की स्वतंत्रता को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, क्योंकि साक्ष्य के तौर पर सीईसी का कार्यकाल शुरुआती 8 साल से घटकर कुछ दिन रह गया है।

- वर्तमान में, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर की जाती है।
- चुनाव आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा की शर्तें और कामकाज का लेन-देन) अधिनियम, 1991, निर्धारित करता है कि सीईसी और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो होगा।
- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद-324 में ऐसी नियुक्तियों के लिए कानून बनाने की बात की गई है, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1951:

चर्चा में क्यों- सुप्रीम कोर्ट ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में किए गए परिवर्तनों के तहत मूल संरचना सिद्धांत को नुकसान पहुंचाने के आधार पर संविधान में पहले संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत है।

- भारतीय संविधान का पहला संशोधन अनुच्छेद-15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन करता है। मूल संरचना सिद्धांत एक कानूनी सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि एक संप्रभु राज्य के संविधान में कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें इसकी विधायिका द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले, 1973 में इस सिद्धांत को सामने रखा; जहां एक शीर्ष अदालत के रूप में अपनी न्यायिक समीक्षा और शक्तियों का उपयोग करके किसी भी कानून को असंवैधानिक शून्य घोषित करने के साथ-साथ किसी भी तत्व को मूल संरचना के रूप में घोषित कर सकता है।

मत देने का अधिकार:

चर्चा में क्यों- सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है जिसमें कैदी के वोट देने का अधिकार मांगा गया है। याचिका में कहा गया है कि इन लोगों के वोट देने के अधिकार पर पूरी तरह से रोक असंवैधानिक है।

- **अनुच्छेद-326:** यह प्रावधान करता है कि लोक सभा और राज्यों की विधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए, यानी 18 वर्ष की आयु के नागरिक वोट देने के हकदार हैं।
- **जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 62(5):** यह आदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव में मतदान नहीं करेगा यदि वह जेल में बंद है, चाहे कारावास या परिवहन की सजा के तहत या अन्यथा, या पुलिस के हिरासत में है ।

आरपीए, 1951 के तहत अयोग्यता:

चर्चा में क्यों- उत्तर प्रदेश के विधायक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अयोग्य घोषित।

- आरपीए की धारा 8 में चुनावी राजनीति को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के उद्देश्य से प्रावधान शामिल हैं। आपराधिक मामलों की दो श्रेणियां हैं जो सजा पर अयोग्यता का प्रावधान करती हैं।
- ऐसे अपराध जिनमें किसी दोषसिद्धि पर छह साल की अवधि के लिए अयोग्यता शामिल है- अगर सजा जुर्माना है, तो छह साल की अवधि दोषसिद्धि की तारीख से चलेगी, लेकिन अगर जेल की सजा है, तो अयोग्यता की तारीख से शुरू सजा से शुरू होगी, और जेल से रिहा होने की तारीख के बाद छह साल पूरे होने तक जारी रहेगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST):

चर्चा में क्यों- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचित जनजातियों की सूची में 'पहाड़ी जातीय समूह' की सिफारिश की है।

- इसे 2004 में 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A सम्मिलित करके स्थापित किया गया था।
- अनुच्छेद-342 भारत के राष्ट्रपति को ऐसी जनजातियों को अधिसूचित करने का अधिकार देता है। हालांकि, संविधान में एसटी को परिभाषित करने के मानदंड का उल्लेख नहीं है।
- एनसीएसटी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तीन सदस्यों में से एक महिला सदस्य अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। आयोग के सभी सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है।

राज्यपाल:

चर्चा में क्यों- तमिलनाडु ने राज्यपाल को हटाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।

- संविधान के अनुच्छेद-155 और 156 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत

पद धारण करता है।

- **राज्यपाल का हटाया जाना:** यदि पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले यदि राष्ट्रपति अपनी प्लीजर वापस लेता है, तो राज्यपाल को पद छोड़ना पड़ता है। राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है।

22वां विधि आयोग:

चर्चा में क्यों- भारत के 22वें विधि आयोग का गठन न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ऋतुराज अवस्थी के नेतृत्व में किया गया है। आयोग का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

- भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है जो कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए निश्चित शर्तों के साथ भारत सरकार की एक अधिसूचना द्वारा गठित किया गया है।

डी वाई चंद्रचूड़ (50वें सीजेआई) के अहम फैसले:

- अयोध्या भूमि विवाद, निजता का अधिकार, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट (गर्भपात के लिए अविवाहित महिलाओं को शामिल करना), समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना (धारा 377), आधार योजना की वैधता, महिलाओं का सबरीमाला मंदिर में प्रवेश आदि।

अनुच्छेद-142:

चर्चा में क्यों- सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए राजीव गांधी हत्याकांड के सभी छह शेष दोषियों की जल्द रिहाई का आदेश दिया।

- अनुच्छेद-142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है क्योंकि इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में इस तरह के डिक्री पारित कर सकता है या ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी कारण या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है।

नौवीं अनुसूची:

चर्चा में क्यों- झारखंड में 77 फीसदी आरक्षण

- नौवीं अनुसूची (पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित) में केंद्रीय और राज्य कानूनों की एक सूची है, जिन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हालांकि अनुच्छेद 31बी न्यायिक समीक्षा को बाहर करता है, नौवीं अनुसूची के तहत कानून जांच के लिए खुले हैं यदि वे संविधान की मूल संरचना (आई आर कोल्हो केस (2007)) का उल्लंघन करते हैं।
- वर्तमान में, 284 ऐसे कानून न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित हैं।
- पहले सीएए ने अनुच्छेद 31ए (कानूनों के 'वर्गों' को सुरक्षा प्रदान करता है) और अनुच्छेद 31बी (यह विशिष्ट कानूनों या अधि नियमों की रक्षा करता है) भी बनाया था।
- यदि कानूनों को असंवैधानिक घोषित किए जाने के बाद नौवीं अनुसूची में डाला जाता है, तो उन्हें उनके प्रारंभ के बाद से अनुसूची में माना जाता है, और इस प्रकार मान्य है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC):

चर्चा में क्यों- हंसराज अहीर ने एनसीबीसी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया।

- 102वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2018 के बाद, एनसीबीसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338बी के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय बन गया।
- आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं।
- सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती हैं।
- आयोग के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होती है।
- आयोग समुदायों की सूची में शामिल करने और बाहर करने पर विचार करता है।
- आयोग के पास दीवानी अदालत के समान अधिकार हैं

एग्जिट पोल:

चर्चा में क्यों- गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव

- 1998 में, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने संविधान के अनुच्छेद-324 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें मीडिया को प्रतिबंधित अवधि के दौरान राय और एग्जिट पोल के परिणामों को प्रकाशित करने से रोक दिया गया।
- 1999 में, SC ने कहा कि वैधानिक मंजूरी के अभाव में, ECI ऐसे चुनावों पर रोक लगाने वाले किसी भी दिशा-निर्देश को लागू नहीं कर सकता है।
- 2010 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में धारा 126 (ए) की प्रविष्टि ने केवल एग्जिट पोल पर रोक लगा दी।
- **धारा 126-(ए):** कोई भी व्यक्ति कोई भी एग्जिट पोल आयोजित नहीं करेगा और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उसके परिणामों को प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा, ऐसी अवधि के दौरान जिसे ईसीआई इस संबंध में अधिसूचित कर सकता है।
- कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ दंडित किया जाएगा।

एससी आरक्षण:

चर्चा में क्यों- दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए एससी के लिए रिजर्वेशन पर विवाद।

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-341 के तहत, राष्ट्रपति किसी भी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में और जहां यह एक राज्य है, राज्यपाल के परामर्श के बाद, जातियों, मूलवंशों या जनजातियों या जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भीतर के भागों या समूहों को उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित कर सकता है।
- **खंड (2):** संसद कानून द्वारा जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट एससी की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है।
- केंद्र सरकार ने दलित से धर्मपरिवर्तित हुए ईसाइयों और मुसलमानों को एस.सी. लिस्ट में शामिल करने की संभावना को खारिज कर दिया और हाल ही में पूर्व सीजेआई के.जी. बालकृष्णन को उनके शामिल किए जाने को लेकर फिर से जांच करने के लिए कहा।

राष्ट्रीय दल की मान्यता:

चर्चा में क्यों- आप भारत की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है।

- राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता के लिए, पार्टी को कम से कम चार राज्यों में राज्य पार्टी की 'मान्यता प्राप्त' है; या
- अगर उसके उम्मीदवारों ने पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनावों में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में डाले गए वैध वोटों का कम से कम 6% हासिल किया हो और पिछले लोकसभा चुनावों में कम से कम चार सांसद हों; या
- अगर उसने कम से कम तीन राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम से कम 2% सीटें जीती हैं।

राज्य पार्टी की मान्यता:

- पिछले विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट शेयर और कम से कम 2 विधायक; या
- उस राज्य से पिछले लोकसभा चुनाव में 6% वोट शेयर और उस राज्य से कम से कम एक संसद सदस्य; या
- पिछले विधानसभा चुनाव में कुल सीटों की संख्या का कम से कम 3% या तीन सीटें, जो भी अधिक हो; या
- उस राज्य में हुए लोकसभा में प्रत्येक 25 सदस्यों में 1 संसद सदस्य
- राज्य से पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का कम से कम 8%

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची:

चर्चा में क्यों- लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग।

- 6वीं अनुसूची आदिवासी आबादी की रक्षा करती है, स्वायत्त जिला परिषदों (एडीसी) के निर्माण के माध्यम से समुदायों को स्वायत्तता प्रदान करती है, जो भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बना सकती है
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद-244 के अनुसार, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान शामिल हैं।
- अब तक, उपरोक्त 4 राज्यों में 10 स्वायत्त परिषदें मौजूद हैं। एडीसी के साथ, 6वीं अनुसूची भी एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान करती है।
- प्रत्येक स्वायत्त जिला और क्षेत्रीय परिषद पांच साल की अवधि के लिए और 30 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से चार को राज्यपाल द्वारा नामित और शेष को चुनाव के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।
- राज्यपाल एडीसी की सीमा को बढ़ा या घटा सकता है

शराब बंदी:

- **अनुच्छेद 47:** राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाने का हर संभव प्रयास करेगा।
- संविधान की 7वीं अनुसूची शराब को राज्य सूची में डालती है। राज्य विधायिकाओं के पास इसके संबंध में कानूनों का मसौदा तैयार करने का अधिकार और जिम्मेदारी है।
- वर्तमान में, पांच राज्य (बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, नागालैंड और मिजोरम) पूर्ण शराबबंदी के साथ और कुछ और आंशिक शराबबंदी के साथ हैं।

उत्तर पूर्वी परिषद:

चर्चा में क्यों- पीएम ने एनईसी बैठक में भाग लिया

- एनईसी की स्थापना उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम, 1971 के तहत संतुलित और समन्वित विकास हासिल करने और राज्यों के साथ समन्वय की सुविधा के लिए एक शीर्ष स्तरीय निकाय के रूप में की गई थी।
- 2002 के संशोधन के बाद, NEC को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करने और क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय योजना तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया था।
- जून 2018 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) के पदेन अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री के नामांकन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने यह भी मंजूरी दी कि डोनर मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।
- एनईसी और पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राज्यपाल और मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते है।

नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC):

केंद्र ने न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता को NDIAC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। NDIAC की स्थापना NDIAC अधिनियम 2019 के माध्यम से की गई थी और यह 7 सदस्यीय निकाय है:

- एक अध्यक्ष + दो प्रतिष्ठित व्यक्ति + तीन पदेन सदस्य (सीईओ और वित्त मंत्रालय से एक नामिती) +अंशकालिक सदस्य (व्यापार निकाय) शामिल है।
- NDIAC को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर):

- यह संसद के एक अधिनियम - बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CPCR) अधिनियम, 2005 द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है।
- आयोग केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वावधान में काम करता है और 2007 से कार्य कर रहा है।
- इसका प्रमुख कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारतीय संविधान और बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में निहित बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हों।
- आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है कि बच्चे 18 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति शामिल होंगे।

जेजे अधिनियम, 2015:

- महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किशोर अपराध अधिनियम और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में सुधारो के लिए पेश किया गया था।
- अधिनियम के मुख्य प्रावधानों में से एक यह है कि 16 और 18 वर्ष की आयु के बीच कानून का उल्लंघन करने वाले नाबालिगों

पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच अंतर्राज्यीय विवाद:

- विवाद को भारतीय संविधान के अनुच्छेद-131 के तहत न्यायिक तंत्र द्वारा हल किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी विवाद में विशेष अधिकार है -
- भारत सरकार और एक या अधिक राज्य; या
- भारत सरकार और एक तरफ कोई राज्य या राज्य और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य; या
- दो या अधिक राज्य,
- उक्त क्षेत्राधिकार इस संविधान के प्रारंभ से पहले किए गए या निष्पादित किए गए किसी भी संधि, समझौते, अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवाद तक विस्तारित नहीं होगा।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत सौहार्दपूर्ण माध्यम से अंतर-राज्य परिषद द्वारा भी राज्यों के बीच विवाद का हल प्राप्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग:

चर्चा में क्यों- राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि कोचिंग सेंटर और शैक्षणिक संस्थान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 को सख्ती से लागू करें। यह राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 द्वारा 31 जनवरी, 1992 को स्थापित भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। इसका मैंडेट है:

- महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें।
- उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना।
- शिकायत निवारण सुविधा।
- महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

महत्त्वपूर्ण अधिनियम

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005:

चर्चा में क्यों- जोशीमठ में आपदा प्रबंधन।

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 को 23 दिसंबर, 2005 से प्रभावी बनाया गया था, ताकि आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों का प्रावधान किया जा सके।
- अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की स्थापना की गयी जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते है। एनडीएमए में एक उपाध्यक्ष सहित नौ से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। एनडीएमए के सदस्यों का कार्यकाल पांच साल का होता है। एनडीएमए आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने और आपदा के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। अधिनियम की धारा 6 के तहत यह राज्य योजनाओं की तैयारी में राज्य प्राधिकरणों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए एनडीएमए जिम्मेदार है।

अधिनियम के तहत स्थापित अन्य निकाय:

- **राष्ट्रीय कार्यकारी समिति:** एनडीएमए की सहायता करना इसका प्रमुख कार्य है
- **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** धारा 14 के तहत एसडीएमए में राज्य के मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त आठ से अधिक सदस्य नहीं होते हैं। यह राज्यों में आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है
- **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण:** जिला आपदा प्रबंधन प्राधि करण (डीडीएमए) का नेतृत्व जिले के कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त करेंगे। क्षेत्र का निर्वाचित प्रतिनिधि पदेन सह-अध्यक्ष के रूप में DDMA का सदस्य होता है
- **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ):** अधिनियम की धारा 44-45 केंद्र सरकार द्वारा ष्खतरे की आपदा की स्थिति के लिए विशेषज्ञ प्रतिक्रिया के उद्देश्य से' नियुक्त किए जाने वाले एक महानिदेशक के तहत एक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान करती है।

महामारी रोग अधिनियम, 1897:

चर्चा में क्यों- नए कोरोना के वैरियंट का आना खतरनाक महामारी रोगों के प्रसार की बेहतर रोकथाम के लिए अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे उपाय कर सकती हैं जिससे किसी भी महामारी रोगों के प्रकोप को नियंत्रित किया जा सके।

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958:

चर्चा में क्यों- हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा अफास्पा के अधीन क्षेत्र को कम किया गया है

- यह अधिनियम अशांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून के उल्लंघन में करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने और वारंट के बिना किसी भी परिसर में गिरफ्तारी और तलाशी लेने और अभियोजन और कानूनी मुकदमों से सुरक्षा के लिए असीमित अधिकार देता है।
- 1972 में अधिनियम में संशोधन किया गया और किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने की शक्तियां राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी प्रदान की गई।
- वर्तमान में यह अधिनियम असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर में लागू है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008:

- भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का गठन करने के उद्देश्य से अधिनियम लाया गया। संयुक्त राष्ट्र, उसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और प्रस्तावों को लागू करने के लिए अधिनियमित अधिनियमों के तहत अपराध और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिम्मेदार है।

- 2019 के संशोधन ने केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित करने की अनुमति दी। विशेष न्यायालय के रूप में नामित करने से पहले, केंद्र सरकार को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है जिसके तहत सत्र न्यायालय कार्य कर रहा है।
- यह उन अपराधों की सूची के दायरे का विस्तार करता है जिनकी एजेंसी जांच कर सकती है, जिसमें मानव तस्करी, नकली मुद्रा, प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री, साइबर आतंकवाद और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं।
- यह भारत के बाहर एनआईए के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय संधियों और संबंधित विदेशी राष्ट्र के घरेलू कानूनों के अधीन है

लोक अधिनियम, 1951 का प्रतिनिधित्व:

चर्चा में क्यों- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह 2013 के एक फैसले पर फिर से विचार करने के लिए तीन जजों की बेंच का गठन करेगा, जिसमें कहा गया था कि एक राजनीतिक दल द्वारा किए गए चुनाव पूर्व वादों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत एक भ्रष्ट आचरण नहीं बनाया जा सकता है।

आरपी अधिनियम की धारा 123:

- आरपी अधिनियम की धारा 123 भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। प्रावधान कहता है कि यह रिश्वतखोरी है और इस प्रकार एक भ्रष्ट आचरण माना जाता है यदि किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट द्वारा मतदाताओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार, पेशकश या संतुष्टि का वादा किया जाता है।

अधिनियम के बारे में:

- जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारत की संसद का एक अधिनियम है जो संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदनों या सदनों के चुनाव के संचालन, उन सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, भ्रष्ट चुनावी अपराधो या अन्य अपराधों के संबंध में या चुनावी विवादों का निर्णय को शामिल करता है
- जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1966 जिसने चुनाव न्यायाधिकरणों को समाप्त कर दिया और चुनाव याचिकाओं को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित कर दिया जिनके आदेश सर्वोच्च न्यायालय में अपील में निहित थे। हालाँकि, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनावी विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुने जाते हैं।

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1950:

चर्चा में क्यों- जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने घोषणा की कि जो कोई भी सामान्य रूप से जम्मू-कश्मीर में रह रहा है, वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता के रूप में सूचीबद्ध होने का अवसर प्राप्त कर सकता है।

- अधिनियम निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
- यह लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है।
- मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और सीटों को भरने के तरीके को निर्धारित करता है।
- मतदाताओं की योग्यता निर्धारित करता है।
- निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के बाद ही भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के आदेशों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है।

पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा), 1996:

चर्चा में क्यों- मध्य प्रदेश ने 15 नवंबर, 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर अपने पेसा नियमों को अधिसूचित किया है

- पेसा एक कानून है जो पंचायतों के प्रावधानों को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। इस अधिनियम को पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 कहा जाता है। कुल दस राज्य पेसा के अंतर्गत आते हैं। ये राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना। पेसा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी पद जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित हैं और केवल जनजातीय समुदाय के व्यक्ति ही इन पदों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं।
- पेसा के तहत ग्राम सभा को निम्नलिखित शक्तियाँ दी गई हैं: भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श, भूमि हस्तांतरण रोकना, निषेध लागू करने की शक्ति, सभी विकासात्मक परियोजनाओं की पूर्व स्वीकृति और आदिवासी उप-योजना पर नियंत्रण, विकासात्मक व्यय के लिए उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति, चयन गरीबी उन्मूलन के लाभार्थियों और व्यक्तिगत लाभ की अन्य योजनाओं, सामाजिक क्षेत्रों के संस्थानों और पदाधिकारियों पर नियंत्रण, रीति-रिवाजों के आधार पर विवादों का सामूहिक समाधान, आदिवासी क्षेत्रों के पारंपरिक कानूनों और धार्मिक विश्वासों, जल संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण, आदिवासी समुदाय के स्वामित्व का रखरखाव सामान्य भूमि पर, लघु वनोपज, गौण खनिज आदि।

ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008:

चर्चा में क्यों- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से ग्राम न्यायालयो के बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अभी भी कुछ राज्य ऐसे है जहा ग्राम न्यायालय स्थापित नहीं किये गए है।

- अधिनियम आपराधिक, नागरिक दावों और विवादों को निपटाने के लिए पंचायत स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। GNs का नेतृत्व 'न्यायाधिकारी' (उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा) द्वारा किया जाएगा। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा (और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में प्रदान किए गए साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं है)।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006:

चर्चा में क्यों- नए वन (संरक्षण) नियम, 2022 और इन नियमों के वन अधिकार अधिनियम, 2006 के उल्लंघन की आशंका।

- यह वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक जरूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिए निर्भर थे।

उद्देश्यः

- वन में रहने वाले समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना
- वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों की भूमि काश्तकारी, आजीविका और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना
- स्थायी उपयोग, जैव विविधता के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन के रखरखाव के लिए वन अधिकार धारकों पर जिम्मेदारियों और अधिकारों को शामिल करके वनों के संरक्षण शासन को मजबूत करना।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988:

चर्चा में क्यों- परिस्थित जन्य साक्ष्य के आधार पर भी लोकसेवक को अधिनियम के तहत दोषभ साबित किया जा सकता है

- सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए संसद द्वारा अधिनियम बनाया गया है। अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार को विशेष न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार है जो भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करेगा। सीबीआई मुख्य एजेंसी है जो कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करती है।

2018 संशोधन की मुख्य विशेषताएं:

- घूस के लेन-देन और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में सुनवाई दो साल के भीतर पूरी की जानी चाहिए। इसके अलावा, देरी के कारणों के बाद भी, परीक्षण चार साल से अधिक नहीं हो सकता।
- रिश्वत लेने वाले को जुर्माना लगाने के साथ 3 से 7 साल तक कारावास का सामना करना पड़ेगा
- रिश्वत देने वालों को 7 साल तक की कैद और जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यह आपराधिक कदाचार को फिर से परिभाषित करता है और अब केवल संपत्ति के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के कब्जे को कवर करेगा।
- यह अभियोजन पक्ष से सेवानिवृत्त लोगों सहित सरकारी कर्मचारियों के लिए एक 'शील्ड' का प्रस्ताव करता है, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो जैसी जांच एजेंसियों के लिए उनके खिलाफ जांच करने से पहले एक सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
- हालांकि, इसमें कहा गया है कि ऐसे मामलों में ऐसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, जिसमें किसी व्यक्ति को अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर ही गिरफ्तार किया गया हो।
- लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में अनुचित लाभ के कारक को स्थापित करना होगा।

मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए):

चर्चा में क्यों- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पीएमएलए अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

- PMLA को 2002 में अधिनियमित किया गया था और यह 2005 में भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन सहित) की प्रतिक्रिया के रूप में लागू हुआ: मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को सफेद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया) के खतरे को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की जब्ती करने का भी प्रावधान किया गया है।
- भारत में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े किसी अन्य मुद्दे से निपटने के लिए यह कानून लाया गया था।

पीएमएलए (संशोधन) अधिनियम, 2019:

- इसने ईडी को सम्मन, गिरफ्तारी और छापे के लिए व्यापक शक्ति प्रदान की, और अभियोजन पक्ष के बजाय अभियुक्तों पर बेगुनाही के सबूत के बोझ को स्थानांतरित करते हुए जमानत प्रावधानों को कठिन बना दिया।

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट, 1985:

चर्चा में क्यों- कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भारी मात्रा में भांग ले जाने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी।

- एनडीपीएस अधिनियम 1985 नशीले पदार्थों और उनकी तस्करी से संबंधित है।
- एनडीपीएस अधिनियम कैनिबिस को एक मादक पदार्थ के रूप में परिभाषित करता है जो चरस, गांजा और कोई अन्य मिश्रण है। सिर्फ पौधे की पत्तियों से बनी भांग का एनडीपीएस एक्ट में जिक्र नहीं है।
- अधिनियम चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर, स्वापक दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपभोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- यह अधिनियम पूरे भारत में और उन विमानों और जहाजों पर भी लागू होता है जो भारत में पंजीकृत हैं।
- अधिनियम में कहा गया है कि सरकार केवल फाइबर या बीज प्राप्त करने या बागवानी उद्देश्यों के लिए औद्योगिक उद्देश्यों के लिए कानिबिस के किसी भी पौधे की खेती की अनुमति दे सकती है।

एफसीआरए अधिनियम, 2010:

चर्चा में क्यों- हाल ही में, गृह मंत्रालय ने अधिनियम के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन (आरजीएफ) और राजीव गांधी चौरिटेबल ट्रस्ट (आरजीसीटी) का विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस रद्द कर दिया है।

- विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) विदेशी दान को नियंत्रित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इस तरह के योगदान आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

- FCRA के अनुसार विदेशी दान प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है।
- भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली में विदेशी धन प्राप्त करने के लिए बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।
- इन निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है, और जैसा कि अधिनियम में निर्धारित किया गया है।
- विदेशी धन प्राप्त करने वालों को भी वार्षिक रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है, और उन्हें किसी अन्य एनजीओ को धन हस्तांतरित नहीं करना चाहिए।
- अधिनियम गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित।

पॉक्सो एक्ट:

चर्चा में क्यों- सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के नाबालिग को जघन्य अपराध के लिए एडल्ट के रूप में ट्रीट किया।

- अधिनियम बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य अपराधों से बचाने के साथ-साथ ऐसे अपराधों के परीक्षण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए बनाया गया था।
- दुर्व्यवहार करने वालों को रोकने और एक गरिमापूर्ण बचपन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट अपराधों के लिए दंड बढ़ाने के लिए 2019 में अधिनियम में संशोधन किया गया था।

अधिनियम की विशेषता:

- लिंग तटस्थ कानून।
- दुर्व्यवहार की सूचना न देना एक अपराध है।
- एफआईआर के लिए कोई समय सीमा नहीं है।
- पीड़ित की पहचान की गोपनीयता।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955:

- 1955 के ईसी अधिनियम के तहत, यदि केंद्र सरकार, किसी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को बनाए रखना या बढ़ाना या उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए यह उत्पादन, आपूर्ति, वितरण को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है।
- केंद्र के पास जनहित में आवश्यक वस्तुओं की इस सूची में से किसी भी वस्तु को जोड़ने या हटाने की शक्ति है।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 2020:

- इसका उद्देश्य निजी निवेशकों के उनके व्यवसाय संचालन में अत्यधिक विनियामक हस्तक्षेप के डर को दूर करना है।
- विधेयक केंद्र सरकार को केवल असाधारण परिस्थितियों (जैसे युद्ध और अकाल) में कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को विनियमित करने की अनुमति देता है। कृषि उपज पर स्टॉक सीमा तभी लगाई जा सकती है, जब कीमतों में भारी वृद्धि हो।

एमटीपी अधिनियम, 1971:

चर्चा में क्यों- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओ के सेफ एबॉर्शन को मान्यता दी

- महिलाओं के सुरक्षित गर्भपात के संबंध में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 ('एमटीपी एक्ट') पारित किया गया था।
- नया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (संशोधन) अधिनियम 2021 व्यापक देखभाल के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा, अनुवांशिक, मानवीय और सामाजिक आधार पर सुरक्षित और कानूनी गर्भपात सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करता है।

प्रमुख प्रावधान:

- अधिनियम के तहत, गर्भनिरोधक विधि या उपकरण की विफलता के मामले में विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह तक की गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है। यह अविवाहित महिलाओं को इस कारण से गर्भावस्था को समाप्त करने की भी अनुमति देता है।
- 20 सप्ताह की गर्भधारण अवधि तक के गर्भ को समाप्त करने के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक (आरएमपी) की राय और 20-24 सप्ताह की गर्भावस्था के समापन के लिए दो आरएमपी। भ्रूण असामान्यताओं के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय आवश्यक है।
- विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए गर्भधारण की ऊपरी सीमा को 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है, जिसमें बलात्कार पीड़िता, व्यभिचार की शिकार और अन्य कमजोर महिलाएं (दिव्यांग महिलाएं, अवयस्क, अन्य) शामिल हैं।
- उस महिला का नाम और अन्य विवरण जिसकी गर्भावस्था को समाप्त कर दिया गया है, उस समय के लिए किसी भी कानून में अधिकृत व्यक्ति को छोड़कर खुलासा नहीं किया जाएगा।

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984:

चर्चा में क्यों- पारिवारिक न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2022

- संशोधित विधेयक हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में स्थापित पारिवारिक अदालतों को वैधानिक कवर प्रदान करने का प्रावधान करता है।
- पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 को परिवार न्यायालयों की स्थापना के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि सुलह को बढ़ावा दिया जा सके और विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
- राज्य सरकार, उच्च न्यायालय की सहमति से, एक या एक से अधिक व्यक्तियों को परिवार न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त कर सकती है।

प्रस्तावना, संवैधानिक व्याख्या और संविधानवाद

- प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का अर्थ है कि भारत आंतरिक रूप से सर्वोच्च और बाह्य रूप से स्वतंत्र है। भारत की राष्ट्रमंडल या संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता उसकी संप्रभुता पर कोई बाहरी सीमा नहीं लगाती है।
- 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए।
- भारत एक 'धर्मनिरपेक्ष राज्य' है, इसका मतलब यह नहीं है कि

भारत गैर-धार्मिक या अधार्मिक, या धर्म-विरोधी है, बल्कि यह है कि राज्य अपने आप में धार्मिक नहीं है और सर्व धर्म समभाव के प्राचीन भारतीय सिद्धांत का प्रतीक है, जिसका अर्थ है कि राज्य धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा।

- प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। भारत का उद्देश्य न केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था बल्कि एक लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था भी बनाना है।
- एक प्रणाली गणतांत्रिक है जहां राज्य का कोई कार्यालय वंशानुगत आदेशात्मक अधिकारों के आधार पर नहीं होता है।

संविधानवादः

- संविधानवाद का अर्थ है सीमित सरकार या सरकार पर सीमा। संविधानवाद जाँच और संतुलन की परिकल्पना करता है और विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को कुछ नियंत्रणों में रखता है और उन्हें अनियंत्रित और मनमाना नहीं बनाता है।
- कानून का शासन (Rule of law)-सरकार में मनमानी का अभाव।
- डायसी के कानून के शासन के सिद्धांत में तीन मुख्य सिद्धांत शामिल हैं।
- मनमानी शक्ति या कानून की सर्वोच्चता का अभाव।
- कानून के समक्ष समानता।
- व्यक्तियों के अधिकारों की प्रधानता- यह सिद्धांत भारत में लागू नहीं होता है।

सिटिजनशिपः

- नागरिकता से सम्बंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 6-11 में वर्णित है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद-11 नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत करता है। अधिकार का प्रयोग करते हुए, संसद ने भारत में नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 को अधिनियमित किया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) का मतलब 'दोहरी नागरिकता' नहीं है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) संबंधित व्यक्तियों को कोई राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं करता है। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसरों के मामले में भारत के पंजीकृत प्रवासी नागरिक भारतीय नागरिकों के समान स्थिति का आनंद नहीं ले सकते हैं। भारत की संसद नागरिकता पर कानून बनाने का एकमात्र निकाय है। विधायिका नागरिकता की शर्तों को लागू करने और विनियमित करने के लिए अधिकृत है।
- लोकसभा ने लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2010 को अपनाने के साथ ही संसद ने अनिवासी भारतीयों को चुनावों में मतदान के अधिकार को मंजूरी दे दी है। हालांकि, अनिवासी भारतीय को मतदान की तारीख पर निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित होना होगा।
- भारत सरकार ने भारतीय मूल के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1999 में पीआईओ योजना शुरू की थी, जो किसी अन्य देश का नागरिक है, जिसका सम्बन्ध भारत से रहा हो, आवेदन करने के लिए पात्र होगा। पीआईओ कार्ड के लिए वर्तमान में, निर्दिष्ट देश जिनके नागरिक पीआईओ कार्ड प्रदान करने के लिए अपात्र हैं, वे हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान, चीन और नेपाल। पीआईओ कार्ड 15 साल के लिए वैध होता है।
- अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करके भारत की विदेशी नागरिकता (OCI) योजना शुरू की गई थी। यह योजना 2006 में शुरू की गई थी। भारत के एक पंजीकृत प्रवासी नागरिक को अपने पूरे जीवन के लिए भारतीय वीजा मिलता है। कृषि संपत्तियों के मामलों को छोड़कर उसे अनिवासी भारतीयों के समान दर्जा प्राप्त है। हालांकि, पीआईओ और ओसीआई का कार्ड 2015 में विलय कर दिया गया था।

मौलिक अधिकारः

भारत के संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-32) में मौलिक अधिकार निहित है। इन अधिकारों को 'मूल अधिकारों' के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे सर्वांगीण विकास के लिए सबसे आवश्यक हैं। छह मौलिक अधिकार हैं-

- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

विशेषताः

- उनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35) में किया गया है
- मौलिक अधिकार लोकतंत्र की प्रगति को दर्शाते हैं।
- वे राज्य के कठोर नियमों से नागरिकों की रक्षा करते हैं।
- वे न्याय योग्य हैं, अर्थात उन्हें अदालत लागू किया जा सकता है।
- वे पूर्ण (Absolute) नहीं हैं लेकिन योग्य (Qualified) हैं।
- ये स्थायी नहीं हैं और इनमें संशोधन किया जा सकता है।
- अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर उन्हें आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है।
- संविधान में सात मौलिक अधिकार थे लेकिन अब भारतीय संविधान में केवल छह मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बन गया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्यः

- अनुच्छेद 12 में 'राज्य' की परिभाषा एक समावेशी होने के नाते, अदालतों ने फैसला सुनाया है कि जहां व्यापक या प्रमुख सरकारी नियंत्रण या इसकी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भागीदारी है, ऐसे निकाय, संस्थाएं और संगठन राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
- अनुच्छेद-19(1)(ए) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संदर्भित करता है।

- उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद-14 और 21 में विदेश यात्रा करने और अपने देश लौटने के अधिकार की व्याख्या की है।
- अनुच्छेद-19, 21 प्राइवेट परशनके भी खिलाफ लागू हो सकते है
- निजता के अधिकार को भारतीय संविधान के जीवन के अधिकार -अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित किया गया है।

डीपीएसपी:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36-51 राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (DPSP) से संबंधित हैं। उन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हालांकि, संविधान को DPSP को विभिन्न श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इन DPSP को समझने के लिए 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

समाजवादी सिद्धांत:

- **अनुच्छेद 38:** न्याय द्वारा व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके समाज के कल्याण को बढ़ावा देना
- **अनुच्छेद 39:** आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए, सामान्य भलाई के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों की एकाग्रता को रोकना, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन, स्वास्थ्य की सुरक्षा और जबरन दुर्व्यवहार के खिलाफ श्रमिकों और बच्चों देखभाल, बच्चे के स्वस्थ विकास के अवसर
- **अनुच्छेद 39A:** समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना
- **अनुच्छेद 41:** बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता के मामलों में काम करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित करने के लिए
- **अनुच्छेद 42:** काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करें।
- **अनुच्छेद 43:** सभी श्रमिकों के लिए एक जीवित मजदूरी, एक सभ्य जीवन स्तर और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों को सुरक्षित करने के लिए
- **अनुच्छेद 43ए:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम
- **अनुच्छेद 47:** लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना

गांधीवादी सिद्धांत:

- **अनुच्छेद 40:** ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें आवश्यक अधिकार देना
- **अनुच्छेद 43:** व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
- **अनुच्छेद 43बी:** सहकारी समितियों के कामकाज को बढ़ावा देना
- **अनुच्छेद 46:** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना
- **अनुच्छेद 47:** नशीले पेय और नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना
- **अनुच्छेद 48:** गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए

उदार-बौद्धिक सिद्धांत:

- **अनुच्छेद 44:** सभी के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना
- **अनुच्छेद 45:** 6 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल प्रदान करना
- **अनुच्छेद 48:** कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना
- **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्य जीवन की रक्षा करना
- **अनुच्छेद 49:** कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना
- **अनुच्छेद 50:** कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
- **अनुच्छेद 51:** अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना

डीपीएसपी की विशेषताएं:

- DPSP गैर न्यायोचित हैं।
- उन्हें यह देखते हुए गैर-न्यायोचित बना दिया गया था कि राज्य के पास उन सभी को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन उस समय उपलब्ध नहीं थे।
- इसमें वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय पालन करना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए।
- डीपीएसपी निर्देशों और निर्देशों के संग्रह की तरह हैं, जो भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत भारत के उपनिवेशों के राज्यपालों को जारी किए गए थे।
- यह एक आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक बहुत व्यापक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशानिर्देश या सिद्धांतों और रणनीतियों का गठन करते है, जिसका उद्देश्य प्रस्तावना में वर्णित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को शामिल करना है।

डीपीएसपी के महत्त्वपूर्ण तथ्य:

- 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 38 के तहत एक नया DPSP जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है।
- 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 45 को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21ए के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। संशोधित निर्देश में राज्य को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।
- सहकारिता से संबंधित 2011 के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 43बी के तहत एक नया डीपीएसपी जोड़ा गया था। इसके

लिए राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- अनुच्छेद 37 के तहत भारत का संविधान यह स्पष्ट करता है कि डीपीएसपी देश के शासन में मौलिक हैं और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।

भारत में न्यायिक प्रणाली:

- भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है।
- पदानुक्रम में, सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, फिर उच्च न्यायालय और फिर जिला न्यायालय।
- संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया है। मुख्य रूप से, यह एक अपीलीय अदालत है जो राज्यों और क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनती है। यह गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन या अनुच्छेद 32 के तहत दायर किसी भी याचिका के मामलों में रिट याचिकाएं भी लेता है, जो एक संवैधानिक उपाय का अधिकार है।
- सुप्रीम कोर्ट के पास बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार -पृच्छा और उत्प्रेषण की प्रकृति की रिट सहित निर्देश, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 संसद को यह अधिकार भी देता है कि वह इन रिटों को जारी करने के लिए किसी अन्य न्यायालय को प्राधिकृत कर सकती है।
- सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी दीवानी या फौजदारी मामले को एक राज्य उच्च न्यायालय से दूसरे राज्य उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय से दूसरे राज्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश देने की शक्ति प्रदान की गई है।
- सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश शामिल हैं।
- भारतीय न्यायिक प्रणाली का प्रबंधन और प्रशासन अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड (2) के तहत एक कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है।
- **अनुच्छेद 222:** यह मुख्य न्यायाधीश सहित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का प्रावधान करता है। राष्ट्रपति, CJI से परामर्श के बाद, एक न्यायाधीश को एक HC से किसी अन्य HC में स्थानांतरित कर सकता है। स्थानांतरित न्यायाधीश को प्रतिपूरक भत्ता प्रदान किया जाता है।
- CJI तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति तब कर सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए कोरम की कमी हो, यह राष्ट्रपति की पिछली सिफारिश पर की जाती है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए, एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए साथ ही: कम से कम पांच वर्षों के लिए, एक उच्च न्यायालय का या दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों का लगातार न्यायाधीश, या कम से कम 10 वर्षों के लिए एक उच्च न्यायालय या दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों का एक अधिवक्ता या वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए।
- सभी अदालतें अपने-अपने दीवानी और फौजदारी क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आने वाली विभिन्न शक्तियों का प्रयोग करती हैं।
- कुछ क्षेत्राधिकार एक विशेष अदालत के लिए अनन्य हैं- उदाहरण के लिए, केवल सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 136 के तहत एसएलपी पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र और अनुच्छेद 143 के तहत क्षेत्राधिकार का उपयोग सलाहकार क्षेत्राधिकार के रूप में कर सकता है।
- कुछ प्रकार के क्षेत्राधिकार SC और HC के लिए सामान हैं, रिट क्षेत्राधिकार।
- ट्रिब्यूनल विभिन्न संवैधानिक और वैधानिक प्रावधानों के तहत न्यायालय के जाल में स्थापित अर्ध-न्यायिक निकाय हैं, लेकिन अनुच्छेद 226 और 227 के तहत ये एचसी क्षेत्राधिकार को कम नहीं कर सकते हैं।
- अन्य न्यायिक निकाय हैं जो न्यायिक प्रणाली में शामिल हैं जैसे कि लोक अदालत और न्याय पंचायत।
- स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की अदालत की शक्ति संप्रभु शक्ति का हिस्सा है और केवल एक संप्रभु में निहित हो सकती है। अनुच्छेद 129 और 215 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ऐसी शक्ति के अस्तित्व को मान्यता देते हैं क्योंकि वे अन्य बातों के साथ-साथ संप्रभु न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा कोई अन्य अदालत अदालत की अवमानना के लिए दंड नहीं दे सकती है। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के संबंध में उसी अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग करता है।
- सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य मूल क्षेत्राधिकार भारत सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों या किसी भी राज्य के राज्यों के बीच किसी भी विवाद तक फैला हुआ है, यदि और जहां तक विवाद में कोई प्रश्न (कानून या तथ्य का) शामिल है, जिस पर एक कानूनी अधिकारों का अस्तित्व पर निर्भर करता है।
- राजस्व मामलों में उच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र (अनुच्छेद 225) साथ ही साथ एडमिरल्टी, विवाह, प्रोबेट, अदालत की अवमानना और चुनाव याचिकाओं से संबंधित भी उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र है।
- दीवानी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि संबंधित उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करता है: (ए)

कि मामले में सामान्य महत्व के कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, और (बी) कि, उच्च न्यायालय की राय में, उक्त प्रश्न को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए जाने की आवश्यकता है।

- आपराधिक मामलों में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि उच्च न्यायालय ने (ए) अपील पर एक अभियुक्त व्यक्ति को बरी करने के आदेश को उलट दिया है और उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से कम की अवधि की सजा सुनाई है; कारावास की सजा दी।, या (बी) ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत किसी भी अदालत से किसी भी मामले को वापस ले लिया है और आरोपी को इस तरह के मुकदमे में दोषी ठहराया है और उसे मौत की सजा या आजीवन कारावास या 10 साल से कम की कैद की सजा सुनाई है, या (सी) प्रमाणित किया जाता है कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य है।
- संसद सर्वोच्च न्यायालय को किसी आपराधिक मामले में किसी भी निर्णय, अंतिम आदेश या सजा पर विचार करने और अपील सुनने के लिए अन्य शक्तियां प्रदान करने के लिए अधिकृत है
- सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा न्यायाधीश जांच अधि नियम, 1968 द्वारा विनियमित किया जाता है।
- साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन में एक अभिभाषण के बाद पारित राष्ट्रपति के आदेश के अलावा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से समर्थित और उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्य के बहुमत से हटाया जा सकता है।

संसदीय प्रणाली:

- भारतीय संविधान के पांचवें भाग में अनुच्छेद 79 से 122 संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित हैं।
- द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 से भारत की राष्ट्रपति हैं
- 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं
- हरिवंश नारायण सिंह 14 सितंबर 2020 से राज्यसभा के उपसभापति हैं
- पीयूष गोयल 14 जुलाई 2021 से राज्यसभा में सदन के नेता हैं
- मल्लिकार्जुन खड़गे 1 अक्टूबर 2022 से राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं।
- ओम बिड़ला 19 जून 2019 से लोकसभा के अध्यक्ष हैं।
- लोकसभा का उपाध्यक्ष 23 मई 2019 से रिक्त है।
- 26 मई 2014 से लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी हैं।
- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष 26 मई 2014 से रिक्त है क्योंकि भाजपा के अलावा किसी भी दल के पास 10% से अधिक सीटें नहीं हैं।
- श्रीएम. अनंतशयनम अयंगर लोक सभा के प्रथम उपाध्यक्ष (30 मई 1952-7 मार्च 1956) थे।
- संविधान के अनुच्छेद 100(3) के तहत सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का दसवां हिस्सा है।
- राज्य सभा से सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश-31, महाराष्ट्र-19, तमिलनाडु-18, पश्चिम बंगाल-16 हैं।
- श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल (1952-56 और 1956-62) राज्य सभा की पहली मनोनीत सदस्य हैं।
- राज्य सभा विशेष शक्ति- अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण (अनुच्छेद 312) और उद्घोषणाओं को मंजूरी देकर राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बनाने के लिए (अनुच्छेद 249)
- अध्यक्ष नयी लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक पद पर बना रहता है, जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ था, यदि वह अनुच्छेद 94, 101 और 102 में निर्दिष्ट किसी भी कारण सदस्यता त्यागी न हो।
- जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का कार्यालय रिक्त हो जाता है, तो अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन लोकसभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्त कर सकते हैं। नियुक्त व्यक्ति को अध्यक्ष प्रो टेम के रूप में जाना जाता है।
- अध्यक्ष सदस्यों में से अधिक से अधिक दस अध्यक्षों का एक पैनल नामित करेगा, जिनमें से कोई भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कर सकता है।
- लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, एक व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, जिसकी आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत निर्धारित की जा सकती हैं [अनुच्छेद 84]
- धन विधेयक केवल लोक सभा में पेश किया जा सकता है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
- स्थगन- सदन की बैठक या कार्यवाही का एक समय से दूसरे समय तक स्थगन है जो सदन के फिर से समवेत होने के लिए निर्दिष्ट है
- 'सत्रवसान' का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 85(2)(ए) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश द्वारा सदन के सत्र की समाप्ति है
- सदन के विघटन का अर्थ है लोकसभा का संविधान के अनुच्छेद 85 (2) (बी) के तहत राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश से नियुक्ति की तारीख से पांच साल की अवधि की समाप्ति पर या इससे पहले विघटन होता है।
- 'लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम' के नियम 32 में प्रावधान है कि जब तक अध्यक्ष अन्यथा निर्देश न दें, सदन की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए

उपलब्ध होगा और इसे प्रश्नकाल कहा जाएगा।

- प्रश्नों की ग्राह्यता लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य-संचालन के नियमों, अध्यक्ष के निर्देशों और साथ ही पिछले उदाहरणों द्वारा नियंत्रित होती है
- **तारांकित प्रश्न:** एक सदस्य जो अपने प्रश्न का मौखिक उत्तर चाहता है, जिसका मौखिक उत्तर देना होता है उसे तारांकित प्रश्न कहत्ते है। तारांकित प्रश्नों को तालिकाबद्ध करने के लिए न्यूनतम 15 स्पष्ट दिनों की सूचना आवश्यक है।
- **अतारांकित प्रश्न:** इनमें तारांकित चिह्न नहीं होता है और ये लिखित उत्तर प्राप्त करने के लिए होते हैं। अतारांकित प्रश्नों को पटल पर रखने के लिए न्यूनतम 15 स्पष्ट दिनों की सूचना आवश्यक है।
- **अल्प सूचना प्रश्न:** अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले पर दस स्पष्ट दिनों से कम समय के नोटिस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
- **ध्यानाकर्षण-** इस प्रक्रियात्मक उपाय के तहत, कोई सदस्य, अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से, अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता है और मंत्री उस पर एक संक्षिप्त वक्तव्य दे सकता है। ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से केवल उन्हीं मामलों को उठाया जा सकता है जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार की चिंता का विषय हैं। ध्यानाकर्षण प्रक्रिया एक भारतीय नवप्रवर्तन है जो पूरक प्रश्नों के साथ एक प्रश्न पूछने और संक्षिप्त टिप्पणी करने को जोड़ती है। ध्यानाकर्षण मामला सदन के मतदान के अधीन नहीं है।
- संसदीय बोलचाल में प्रस्ताव का अर्थ सदन का निर्णय जानने के उद्देश्य से किसी सदस्य द्वारा सदन को दिया गया कोई औपचारिक प्रस्ताव है।
- प्रस्तावों को तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् मूल प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और सहायक प्रस्ताव।
- मूल प्रस्ताव एक स्व-निहित, स्वतंत्र प्रस्ताव है जो किसी विषय के संदर्भ में किया जाता है जिसे प्रस्तावक आगे लाना चाहता है। सभी संकल्प, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के प्रस्ताव, और राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, आदि मूल प्रस्तावों के उदाहरण हैं।
- एक स्थानापन्न प्रस्ताव, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, किसी नीति या स्थिति या वक्तव्य या किसी अन्य मामले पर विचार करने के लिए मूल प्रस्ताव के स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। स्थानापन्न प्रस्तावों में संशोधन की अनुमति नहीं है।
- सहायक प्रस्ताव अन्य प्रस्तावों पर निर्भर करते हैं या उनसे संबंधित होते हैं या सदन में कुछ कार्यवाही पर अनुवर्ती कार्यवाही करते हैं।
- स्थगन प्रस्ताव अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा करने के उद्देश्य से सदन के कार्य को स्थगित करने की प्रक्रिया है, जिसे अध्यक्ष की सहमति से पेश किया जा सकता है। इसे अपनाने को सरकार की निंदा के रूप में माना जाता है।
- लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के नियम 198 में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया निर्धारित है। अविश्वास के प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई आधार बताए जिस पर वह आधारित हो।
- यदि अध्यक्ष किसी प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार करता है और उस पर चर्चा के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं है, तो इसे नो डे येट नेम्ड मोशन कहा जाता है
- **लघु अवधि की चर्चा-** इस नियम के तहत, सदस्य बिना किसी औपचारिक प्रस्ताव या मतदान के छोटी अवधि के लिए चर्चा उठा सकते हैं।
- पॉइंट ऑफ आर्डर सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों या सम्मेलन या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों की व्याख्या या प्रवर्तन से संबंधित है जो सदन के कार्य को विनियमित करते हैं यह तब लाया जाता है जब सदन की कारवाई सुचारू रूप से न चल रही हो।
- संसदीय विशेषाधिकारश संसद के प्रत्येक सदन और प्रत्येक सदन की समितियों द्वारा सामूहिक रूप से और प्रत्येक सदन के सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त कुछ अधिकारों और उन्मुक्तियों को संदर्भित करता है, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते-अनुच्छेद 105।
- प्रत्येक सदन, उसके सदस्यों और उसकी समितियों को उपलब्ध शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिभाषित करने के लिए संसद (और राज्य विधानसभाओं) द्वारा अब तक कोई कानून नहीं बनाया गया है।
- तीन बार संसद के दोनों सदनों ने अपने बीच विधेयकों पर गतिरोध को हल करने के लिए एक संयुक्त बैठक की, लास्ट बैठक 26 मार्च 2002 को आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 पर जब संयुक्त बैठक हुई थी।
- स्थायी समितियां स्थायी समितियाँ होती हैं जिनके सदस्य या तो सदन द्वारा चुने जाते हैं या सभापति द्वारा प्रत्येक वर्ष या समय-समय पर मनोनीत किए जाते हैं।
- संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत करने के लिए उन्हें सौंपे गए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कामकाज की जांच करने के लिए 1993 में विभागों से संबंधित स्थायी समिति का गठन किया गया था। चौबीस DRSCs का गठन किया गया है, जिसमें इकतीस से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, जिनमें से इक्कीस सदस्यों को अध्यक्ष, लोकसभा द्वारा और दस सदस्यों को राज्य सभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है।

प्रारम्भिक परीक्षा आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ई-कुबेर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ई-कुबेर आरबीआई का कोर बैंकिंग समाधान है जो वाणिज्यिक बैंकों को, आरबीआई के साथ उनके चालू खाते में उच्च स्तर की पहुंच प्रदान करता है।
2. ई-कुबेर का उपयोग सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी जैसे कार्य करने के लिए किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. बेरोजगारी दर, श्रम बल में उन लोगों का प्रतिशत है जिन्होंने काम की मांग की लेकिन उन्हें काम नहीं मिला।
2. श्रम बल में वे लोग शामिल होते हैं जो कार्यरत हैं और वे लोग जो काम की तलाश में हैं लेकिन इसे पाने में असमर्थ हैं।
3. बेरोजगारी दर में गिरावट तभी होती है जब अधिक रोजगार सृजित होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

3. सरकार ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) में भारतीय जीवन बीमा निगम में अपनी लगभग 3.5% हिस्सेदारी बेची है। एलआईसी के लिए शेयरों की लिस्टिंग का मतलब है:
1. निवेशक स्टॉक एक्सचेंजों पर इसके शेयरों में सक्रिय रूप से व्यापार करने में सक्षम होंगे।
2. इसका अर्थ है, एलआईसी की ओर से अधिक पारदर्शिता जो अब तक केवल सरकार के प्रति जवाबदेह थी।
3. एलआईसी के लिए निवेशकों और एक्सचेंजों को सभी कीमतों के बारे में जानकारी देना अनिवार्य नहीं है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. पूंजी निवेश करने के लिए, राज्य 50 साल तक की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण उधार ले सकते हैं।
2. सब्जियों की कीमतों में वृद्धि, केवल खुदरा मुद्रास्फीति (सीपीआई) को प्रभावित करती है न कि थोक मुद्रास्फीति (डब्ल्यूपीआई) को।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

5. नाइट्रस ऑक्साइड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. अल्पकालिक ग्रीनहाउस गैस होने के कारण, यह ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
2. जब यह समताप मंडल में पहुंचती है तो यह ओजोन के साथ प्रतिक्रिया करती है और इसे क्षरित करती है, जिसका प्रभाव सीएफसी के प्रभाव के बराबर होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

6. मियावाकी तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मियावाकी तकनीक, भूमि के छोटे भाग पर देशी पेड़ों से युक्त घने जंगलों को उगाने की अनुमति देती है।
2. मियावाकी तकनीक में वृक्षों की वृद्धि, पारंपरिक वनीकरण पद्धति की तुलना में धीमी होती है।
3. वे शहरी ऊष्मा द्वीपों में कम तापमान करने में मदद करते हैं तथा वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

7. हाल ही में खबरों में रहा कवल टाइगर रिजर्व स्थित है:
(a) केरल में (b) तेलंगाना में
(c) कर्नाटक में (d) तमिलनाडु में

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वनों की स्थिति रिपोर्ट, 2021 के अनुसार, उत्तराखंड में, सभी राज्यों में सबसे अधिक वनों में आग लगने की घटनाएँ हुई।
2. वनों की स्थिति रिपोर्ट, 2021 ने जलवायु परिवर्तन और जंगल की आग के बीच संबंध को स्वीकार किया।
3. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, 'केंद्र प्रायोजित जंगल की आग रोकथाम तथा प्रबंधन योजना' के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके जंगल की आग को रोकने और नियंत्रित करने में राज्य सरकारों के प्रयासों का समर्थन करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

9. हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन एएएचटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह मानव तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है।

2. ऑपरेशन एएएचटी के हिस्से के रूप में, लंबी दूरी की सभी ट्रेनों/मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा।
3. इसे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

10. गृह मंत्रालय (एमएचए) निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत व्यक्तियों को 'आतंकवादी' के रूप में नामित कर सकता है?

(a) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002
(b) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980
(c) गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2019
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

11. बाजरा उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) द्वारा निभाई गई भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एपीडा ने निर्यातकों, उत्पादक संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच बातचीत की सुविधा के लिए अपना खुद का वर्चुअल ट्रेड फेयर (वीटीएफ) एप्लिकेशन विकसित किया है।
2. भारत के दूतावासों, आयातकों, निर्यातकों और उत्पाद संघों के साथ वर्चुअल क्रेता-विक्रेता मीट (बीएसएम) की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।
3. एपीडा ने पोषक अनाजों की आपूर्ति श्रृंखला में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए 'पोषक अनाज निर्यात संवर्धन फोरम' बनाया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

12. परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निम्नलिखित युग्मों और उनकी अवस्थिति पर विचार करें:

1.	जैतापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र	:	गुजरात
2.	कैगा जनरेटिंग स्टेशन	:	कर्नाटक
3.	नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र	:	उत्तर प्रदेश
4.	काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र	:	महाराष्ट्र

उपरोक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

(a) 1, 2 और 3 (b) 2 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

13. स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह हैदराबाद में स्थित, 8वीं शताब्दी के भक्ति संत शंकराचार्य की मूर्ति है।
2. यह दुनिया की सबसे ऊंची, बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति है।
3. यह मूर्ति 'पंचलोहा' से बनी है, जो पांच धातुओं: सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) केवल 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

14. देश निम्नलिखित में से किस/किन तरीके/तरीकों से युद्ध अपराधों की जांच और निर्धारण कर सकते हैं:

1. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के माध्यम से।
2. इच्छुक या संबंधित राज्यों के समूह द्वारा एक न्यायाधिकरण या अदालत बनाना।
3. युद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए अपने स्वयं के कानूनों के माध्यम से।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति में आरक्षण का मौलिक अधिकार के रूप में दावा किया जा सकता है।
2. राज्य नियुक्तियों और पदोन्नतियों में आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

16. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो संविधान केंद्र सरकार को कानून बनाने की अनुमति देता है।
2. एक अध्यादेश को कितनी भी बार फिर से प्रख्यापित किया जा सकता है।
3. किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही अध्यादेश जारी कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 3
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

17. निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है?

1. तेलंगाना
2. तमिलनाडु
3. महाराष्ट्र
4. पंजाब
5. आंध्र प्रदेश

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2, 3 और 4 (b) 1, 3, 4 और 5
(c) 1, 3 और 5 (d) 2, 3, 4 और 5

18. स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल

टेलीकम्युनिकेशंस) मैसेजिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह एक मैसेजिंग नेटवर्क है जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय संस्थान, कोड की एक मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से सूचना और निर्देशों को सुरक्षित रूप से प्रसारित करने के लिए करते हैं।
2. स्विफ्ट फंड ट्रांसफर की सुविधा देता है और भुगतान आदेश भेजता है।
3. स्विफ्ट इंडिया, सभी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक संघ है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

19. राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च (एनसीसीआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) का एक संलग्न कार्यालय, भारत में तटरेखा क्षरण की निगरानी करता है।
2. रिमोट सेंसिंग डेटा और जीआईएस मैपिंग तकनीकों का उपयोग करके तटरेखा क्षरण की निगरानी की जाती है।
3. एनसीसीआर ने भारत के सम्पूर्ण समुद्र तट के लिए तटीय सुभेद्यता सूचकांक (सीवीआई) मानचित्रों का एक एटलस तैयार और प्रकाशित किया है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. UNFCCC ने पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता को स्थिर करने के लिए कार्रवाई करने के लिए एक रूपरेखा की स्थापना की है।
2. संयुक्त राष्ट्र के लगभग सभी सदस्य देशों ने इस सम्मेलन की पुष्टि की है।
3. यह फ्रेमवर्क अलग-अलग देशों के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर बाध्यकारी सीमा निर्धारित करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

21. पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पार्टिसिपेटरी नोट्स ऐसे उपकरण हैं जो पंजीकृत एफआईआई द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किए जाते हैं जो भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं
2. उन्हें अपतटीय व्युत्पन्न उपकरण (offshore derivative instruments) के रूप में भी जाना जाता है।
3. पी-नोट धारक को, पी-नोट्स के माध्यम से निवेश किए गए शेयरों के संबंध में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 3 (b) 2 और 3
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

22. निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'ब्लैक गोल्ड' शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है?

(a) कोयला और उसके डेरिवेटिव
(b) प्लेसर जमा/भण्डार से निकाला गया सोना
(c) पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव
(d) अवशेष, जो सोने की निकासी के बाद बचा रहता है

23. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की भूमिकाओं और कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया है तथा मानक निर्धारित किए हैं।
2. FATF अपनी सिफारिशों को लागू करने में देशों की प्रगति की निगरानी में शामिल नहीं होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

24. एवियन इन्फ्लूएंजा या बर्ड फ्लू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एवियन इन्फ्लूएंजा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है।
2. यह उड़ते समय उनकी बूंदों के माध्यम से फैल सकता है।
3. यह पोल्ट्री पक्षियों में अंडे के उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

25. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. किसी देश को काली सूची में डालने के बाद, FATF सभी सदस्य देशों से काली सूची में डाले गए देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का आग्रह करता है।
2. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की पूर्ण सदस्य है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

ध्येयIAS most trusted since 2003 परफेक्ट 7

26. जनगणना और सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना एक वैधानिक प्रक्रिया है।
2. जनगणना के तहत एकत्रित सभी सूचनाओं को सार्वजनिक जांच के लिए स्थानीय क्षेत्रों में प्रकाशित किया जाता है।
3. सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी, सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ देने और/या प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग करने के लिए खुली है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

27. भारतीय अर्थव्यवस्था पर बाहरी सहायता के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह विदेशी मुद्रा को लाता है जो भुगतान संतुलन (बीओपी) घाटे को पाटने के लिए उपयोगी है।
2. यह घरेलू बाजार में 'भीड़-भाड़ वाले प्रभाव (crowding out effect)' का कारण बनता है, जो घरेलू उधारकर्ताओं के लिए अनुकूल नहीं होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

28. ट्रांस-वसा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ट्रांस-वसा औद्योगिक रूप से उत्पादित होते हैं और स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं होते हैं।
2. उच्च तापमान पर तेल के बार-बार उपयोग से ट्रांस-फैट की मात्रा बढ़ सकती है।
3. यदि ट्रांस-फैट को स्वस्थ विकल्प से बदलना है, तो हमें भोजन के स्वाद और लागत से समझौता करना होगा।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 2 और 3 (d) 1 और 3

29. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वातावरण को धारण करता है।
2. पृथ्वी का वायुमंडल, मंगल ग्रह के वायुमण्डल के घनत्व की तुलना में केवल 1/100वां है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

30. लिथोस्फेरिक प्लेटें बहुत धीमी गति से घूमती हैं- हर साल बस कुछ मिलीमीटर। इस गति के पीछे क्या कारण है?

(a) पृथ्वी का घूमना
(b) पृथ्वी के अंदर मैग्मा की गति
(c) महासागरीय धाराएं
(d) पृथ्वी की क्रस्ट पर वलनों का निर्माण

31. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. टॉरनेडो और चक्रवात सह-अस्तित्व में नहीं होते हैं।
2. एक हरिकेन/चक्रवात के घूर्णन की दिशा पृथ्वी के घूर्णन की दिशा से तय होती है, जो टॉरनेडो के मामले में नहीं होता है।
3. हरिकेन की तुलना में टॉरनेडो बहुत छोटे पैमाने पर होते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) केवल 3 (d) 2 और 3

32. महासागर के अम्लीकरण का लाभकारी प्रभाव हो सकता है:

1. प्रकाश संश्लेषक शैवाल पर
2. समुद्री घास पर
3. गहरे समुद्र में मूंगो पर

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 2 (b) 1 और 2
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

33. अफ्रीका के पूर्वी तट पर दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर आने वाले देशों का सही क्रम क्या है?

1. मोजाम्बिक
2. तंजानिया
3. केन्या
4. सोमालिया

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 3-2-1-4 (b) 1-2-3-4
(c) 2-1-4-3 (d) 2-3-1-4

34. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भूमध्य रेखा लगभग अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरती है।
2. अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है।
3. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

35. 'सहायक संधि' की शर्तों के अनुसार, भारतीय शासकों को:

1. अपने स्वतंत्र सशस्त्र बलों को रखने की अनुमति नहीं थी।
2. रियासत में ब्रिटिश प्रतिनिधियों की रक्षा करनी पड़ती थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही कथन है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

36. महालवारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. वारेन हेस्टिंग्स इस प्रणाली की अवधारणा से जुड़े थे।
2. इस व्यवस्था के तहत, रैयतों ने जमींदारों को एक परिवर्तनीय राशि का भुगतान किया जिन्होंने बाद में अंग्रेजों को भुगतान किया।
3. इस प्रणाली के तहत गांव की भूमि, वन भूमि और चारागाह भूमि शामिल की गयी थी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2
(b) केवल 3
(c) 1 और 3
(d) 2 और 3

37. ब्रिटिश भारत में वेल्बी आयोग का गठन संबंधित है:

(a) भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षिक सुधारों से
(b) जलियांवाला बाग हत्याकांड के अत्याचारों से
(c) रॉयल इंडियन नेवी (RIN) गदर से
(d) धन की निकासी के मुद्दे से

38. 19वीं शताब्दी की शुरुआत में पोलीगार विद्रोह की जड़ें विद्यमान थीं:

(a) विदेशी शासन के प्रति सामान्य असंतोष में
(b) दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली में
(c) ब्रिटिश शासन द्वारा आदिवासी जंगलों और नदी धाराओं पर नियंत्रण करने में
(d) आदिवासियों की गैर-आदिवासियों से दुश्मनी में

39. निम्नलिखित में से किस/किन कारक/कारकों ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास को प्रभावित किया?

1. फ्रांसीसी क्रांति।
2. भारतीय पुनर्जागरण।
3. भारत में अंग्रेजों द्वारा आधुनिकीकरण की शुरुआत करना
4. भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के प्रति कड़ी प्रतिक्रिया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1, 2 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

40. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादाभाई नौरोजी ने भारतीयों और लंदन में सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारियों के सहयोग से की थी।
2. यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उत्तराधिकारी संगठन था।
3. इसने ब्रिटिश जनता के सामने भारत के बारे में सही जानकारी पेश करने और ब्रिटिश प्रेस में भारतीय शिकायतों की आवाज उठाने की दिशा में काम किया।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1 और 2 (b) 1 और 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

41. निम्नलिखित में से किसने 'प्रतिज्ञा आंदोलन' का आयोजन किया?

(a) मद्रास महाजन सभा
(b) ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन
(c) भारतीय सामाजिक सम्मेलन (Indian Social Conference)
(d) भारतीय समाज के सेवक (Servants of India society)

42. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता एस.एन. बनर्जी ने की थी।
2. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक खुले सत्र को संबोधित करने वाली पहली महिला कादम्बिनी गांगुली थीं, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक भी थीं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

43. सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य था:

(a) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) को आकार देना और उसकी स्थापना करना
(b) विधायी कार्रवाई के माध्यम से संवैधानिक सुधारों की वकालत करना
(c) शिक्षित मध्यम वर्ग के विचारों का प्रतिनिधित्व करना और भारतीय समुदाय को एकजुट कार्यवाही का मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना
(d) ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए देशद्रोही आंदोलनों का आयोजन करना

44. नरमपंथी कई मोर्चों पर सफल हुए। इसमें शामिल हैं:

1. लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और प्रतिनिधि संस्थाओं के विचारों को लोकप्रिय बनाना
2. भारतीय अर्थव्यवस्था के ब्रिटिश शोषण की व्याख्या करना
3. भारतीय लाभ के लिए विधान परिषदों का विस्तार करना

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1 और 2 (b) 2 और 3
(c) 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

45. आधुनिक भारत के सन्दर्भ में युगान्तर एवं भारतमाता संघ थे:

(a) कांग्रेस-पूर्व सामाजिक संगठन
(b) उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रकाशन
(c) क्रांतिकारी समूह

(d) सुधारवादी हिंदू संगठन

46. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. बर्रा डकैती कांड ढाका अनुशीलन द्वारा पुलिन दास के नेतृत्व में किया गया था।
2. प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने वायसराय इरविन पर बम से हमला किया।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन **असत्य** है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

47. 1885–1905 के बीच की अवधि को नरमपंथियों के युग के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नरमपंथियों की मुख्य मांगें थीं?

1. न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।
2. भू-राजस्व में कमी और अन्यायी जमींदारों से किसानों की सुरक्षा।
3. नमक कर और चीनी शुल्क का उन्मूलन।
4. वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) 1, 2 और 3 (b) 1 और 3
(c) 2, 3 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4

48. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अमृत बाजार पत्रिका, भारत के सबसे पुराने समाचार पत्रों में से एक, बंगाली में शुरू की गई थी।
2. महरत्ता को बी.जी. तिलक द्वारा मराठी में शुरू किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

48. भारत रक्षा अधिनियम 1915 का राष्ट्रवादियों ने विरोध क्यों किया?

1. इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था।
2. इसने यूरोपीय और भारतीय विषयों के बीच एक तीव्र अंतर स्थापित किया।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

50. 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था:

(a) भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी से बढ़ते धार्मिक स्वरों के कारण
(b) भारत के राज्य के नेतृत्व वाले विकास की आर्थिक विचारधारा के कारण
(c) अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की पद्धति के कारण
(d) अखिल भारतीय मुस्लिम लीग को रियायतें देने के कारण

उत्तर

1.	(c)	11.	(d)	21.	(c)	31.	(c)	41.	(c)
2.	(b)	12.	(b)	22.	(c)	32.	(b)	42.	(b)
3.	(b)	13.	(b)	23.	(b)	33.	(b)	43.	(c)
4.	(a)	14.	(d)	24.	(b)	34.	(d)	44.	(d)
5.	(b)	15.	(c)	25.	(b)	35.	(a)	45.	(c)
6.	(c)	16.	(a)	26.	(b)	36.	(b)	46.	(b)
7.	(b)	17.	(a)	27.	(a)	37.	(d)	47.	(d)
8.	(c)	18.	(a)	28.	(d)	38.	(b)	48.	(a)
9.	(b)	19.	(a)	29.	(a)	39.	(d)	49.	(a)
10.	(c)	20.	(b)	30.	(b)	40.	(b)	50.	(c)

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस (IRRA) प्लेटफॉर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
   1. इसे सेबी द्वारा विकसित किया गया है।
   2. सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों से 1 अक्टूबर, 2023 तक IRRA प्लेटफॉर्म को शुरू करने को कहा है।

   सही विकल्प चुनें-
   A. कथन 1 सही है।
   B. कथन 2 सही है।
   C. दोनों कथन सही हैं।
   D. कोई भी कथन सही नहीं है।

उत्तर- B

2. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद परिसीमन अधिनियम बना सकती है?
   A. अनुच्छेद 82
   B. अनुच्छेद 324
   C. अनुच्छेद 182
   D. अनुच्छेद 170

उत्तर- A

3. उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को कैसे बढ़ाता है?
   A. एक मध्यवर्ती परिसर बनाकर
   B. संतुलन स्थिरांक को बदलकर
   C. सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर
   D. सक्रियण ऊर्जा को कम करके

उत्तर- D

4. 3C रणनीति शब्द का संबंध है-
   A. आकांक्षी जिला कार्यक्रम
   B. अटल इनोवेशन मिशन
   C. एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम
   D. इंडिया इनोवेशन मिशन

उत्तर- A

5. भारत में पहली समकालिक जनगणना आयोजित की गई थी-
   A. 1872 B. 1881
   C. 1891 D. 1861

उत्तर- B

6. उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
   1. खाद्य मूल्य सूचकांक एफएओ का प्रमुख प्रकाशन है।
   2. एफएओ की स्थापना 1945 में हुई थी।
   3. रूस-यूक्रेन युद्ध ने वस्तुओं की वैश्विक कीमत को प्रभावित किया है।

   सही विकल्प चुनें-
   A. 1 और 2
   B. 2 और 3
   C. केवल 1
   D. 1, 2 और 3

उत्तर- D

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
   1 भारत शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का गैर-हस्ताक्षरकर्ता है।
   2 भारत में बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को विदेशी अधिनियम के तहत डील किया जाता है।

   सही विकल्प चुनें-
   A. केवल 1
   B. केवल 2
   C. 1 और 2 दोनों
   D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

8. हाल ही में खोजी गई एक प्रजाति, जिसका नाम Tropidophs canungoae है, किससे संबंधित है-
   A. साँप
   B. पक्षी
   C. मगरमच्छ
   D. छिपकली

उत्तर- A

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
   1. भारतीय मानक ब्यूरो वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।
   2. भारत ने हाल ही में 2022 में अपना पहला राष्ट्रीय विद्युत कोड तैयार किया है।
   3. स्नैप 2022-27 राष्ट्रीय मानकीकरण के लिए एक प्रस्तावित योजना है।

   उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं?
   A. 1 और 2
   B. 2 और 3
   C. केवल 3
   D. उपरोक्त सभी

उत्तर- C

10. भारत-अमेरिका संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. भारत का 2020-21 में अमेरिका के साथ व्यापार घाटा है।
2. शीर्ष व्यापार वाले सामानों में मोती और कीमती पत्थर और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
3. 13वां व्यापार नीति फोरम 2021 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।
उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
A. केवल 2
B. 2 और 3
C. 1 और 3
D. 1 और 2

उत्तर- A

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. ILO की स्थापना वर्साय की संधि के द्वारा की गई थी।
2. न्यूनतम आयु सम्मेलन ILO के तहत एक सम्मेलन है।
गलत कथनों का चयन कीजिए।
A. केवल 1
B. 2 केवल
C. 1 और 2 दोनों
D. कोई नहीं

उत्तर- D

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. न्यू अम्ब्रेला एंटिटी (NUE) देश में खुदरा भुगतान के लिए RBI द्वारा परिकल्पित नई अवधारणा है।
2. एनयूई एनपीसीआई की जगह लेगा।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. कोई नहीं

उत्तर- A

13. साइलेंट वैली पक्षी सर्वेक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. साइलेंट वैली पक्षी सर्वेक्षण के दौरान कुल 200 प्रजातियों की पहचान की गई।
2. साइलेंट वैली की पहली बार खोज 1847 में वनस्पतिशास्त्री रॉबर्ट वाइट द्वारा की गई थी।
3. इस सर्वेक्षण के दौरान 17 नई प्रजातियां दर्ज की गईं।
4. 1914 में साइलेंट वैली क्षेत्र के जंगल को आरक्षित वन घोषित किया गया था।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
A. 1, 2 और 3
B. 2, 3 और 4
C. 1 और 4
D. केवल 1

उत्तर- B

14. प्रदूषकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. आयन एक्सचेंज पानी में कुल घुलित ठोस (टीडीएस) को कम करने की तकनीकों में से एक है।
2. टाइफाइड, हैजा और डायरिया जल जनित रोग हैं।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर-C

15. निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति झींगा (मछली) उत्पादन से संबंधित है?
A. पीली क्रांति
B. नीली क्रांति
C. लाल क्रांति
D. गोल क्रांति

उत्तर- B

16. एशियाई हाथी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
1. एशियाई हाथी को 1986 से IUCN रेड लिस्ट में 'लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
2. एशियाई हाथी की पांच उप-प्रजातियां हैं।
3. हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि एशियाई हाथी का अधिकांश निवास स्थान मानव हस्तक्षेप के कारण खत्म हो गया है।
4. 1992 में भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना शुरू की गई थी।
नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
A. 1, 2 और 3
B. 2 और 4
C. 1, 3 और 4
D. केवल 2

उत्तर- C

व्यक्तित्व

नेता जी सुभाष चंद्र बोस

सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को उड़ीसा के कटक के एक संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ का नाम प्रभावती था। कटक के प्रोटेस्टेण्ट यूरोपियन स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनशा कॉलेजियेट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिन्सिपल बेनीमाधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। बाद में, कुछ दिक्कतों के चलते इस कॉलेज को छोड़कर उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रवेश ले लिया और फोर्ट विलियम सेनालय में रँगरूट के रूप में प्रवेश पा गये। 15 सितम्बर, 1919 को वे इंग्लैण्ड चले गये। वहां पर उन्हें किट्स विलियम हाल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राइपास (ऑनर्स) की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु प्रवेश मिल गया। 1920 में उन्होंने आईसीएस परीक्षा की वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया। नेताजी के दिलो-दिमाग पर स्वामी विवेकानन्द और महर्षि अरविन्द घोष के आदर्शों ने गहरा प्रभाव डाला था, ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर पाए और 22 अप्रैल, 1921 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

भारत वापस आने के बाद रवींद्रनाथ ठाकुर की सलाह पर वे सबसे पहले मुम्बई गये और महात्मा गांधी से मिले। वहाँ 20 जुलाई 1921 को गाँधी जी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। नेताजी की पॉलिटिक्स और विचारधारा के दो खास दौर थे। 1920-30 के दौरान कांग्रेस का समाजवाद की तरफ झुकाव होने लगा जिसमें नेताजी की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन 1938 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कई बड़े बदलाव हुए। इसी दौरान द्वितीय विश्वयुद्ध का आगाज हुआ और भारत के सामने प्राथमिकता का धर्मसंकट हो गया कि राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में किसे प्राथमिकता दिया जाए। इन परिस्थितियों में स्वतन्त्रता आंदोलन में तीन प्रकार के सोच उभरकर सामने आए। कम्युनिस्ट फासीवाद की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नरमी बरतना चाहते थे, जबकि सुभाष चाहते थे कि विश्वयुद्ध का फायदा उठाया जाए और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई और तेज कर दी जानी चाहिए। इसी को लेकर गांधी जी से उनके मतभेद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि भगत सिंह की फाँसी माफ कराने के लिये सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गाँधीजी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें और भगत सिंह की माफी के लिए कोशिश करें, लेकिन गांधीजी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फाँसी दे दी गयी। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष गाँधी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गये थे।

वे दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और फिर साल 1942 से उन्होंने अपने मुताबिक स्वाधीनता की लड़ाई शुरू की। परिस्थितिगत वैचारिक अंतराल होने के बावजूद गांधीजी एवं सुभाष दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। दोनों ही महापुरुषों का लक्ष्य एक था, लेकिन रास्ते अलग-अलग थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिये, उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिन्द फौज का गठन किया था। नेता जी ने 1943 को सिंगापुर के टाउन हाल के सामने 'सुप्रीम कमाण्डर' के रूप में सेना को सम्बोधित करते हुए "दिल्ली चलो!" का नारा दिया। "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूँगा" का नारा भी उनका था जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। अक्टूबर 1943 में सुभाष चन्द्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनायी जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मान्चुको और आयरलैंड सहित 11 देशो की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस अस्थायी सरकार को दे दिये। सुभाष उन द्वीपों में गये और उनका नया नामकरण भी किया। आजाद हिन्द फौज को छोड़कर विश्व-इतिहास में ऐसा कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता जहाँ तीस-पैंतीस हजार युद्धबन्दियों ने संगठित होकर अपने देश की आजादी के लिए ऐसा प्रबल संघर्ष छेड़ा हो।

अंगेजों की गुलामी की बेड़ियों मे जकड़ी भारत मां के एक सच्चे और वीर सपूत के तौर पर नेताजी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने घोषणा की है कि इस दिन को अब हर वर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा और नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित की गई है।

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

BEST SELLERS FOR CIVIL SERVICES

ISBN : 978-93-93412-56-0
Coming Soon

ISBN : 978-93-93412-88-1
MRP: 250/-

ISBN : 978-93-93412-72-0
Coming Soon

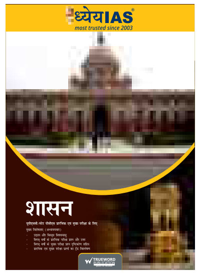

ISBN : 978-93-93412-89-8
Coming Soon

ISBN : 978-93-93412-73-7
Coming Soon

ISBN : 978-93-93412-70-6
MRP: 450/-

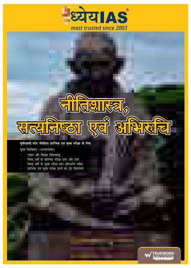

ISBN : 978-93-93412-64-5
MRP: 450/-

ISBN : 978-93-93412-86-7
MRP: 210/-

ISBN : 978-93-93412-65-2
Coming Soon

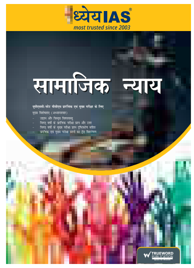

ISBN : 978-93-93412-87-4
Coming Soon

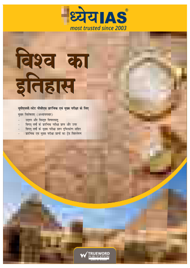

ISBN : 978-93-93412-94-2
MRP: 195/-

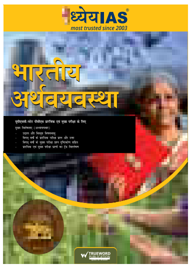

ISBN : 978-93-93412-57-7
MRP: 400/-

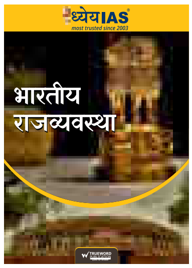

ISBN : 978-93-93412-47-8
MRP: 799/-

ISBN : 978-93-93412-78-2
MRP: 295/-

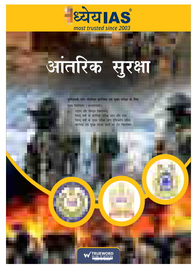

ISBN : 978-93-93412-71-3
MRP: 165/-

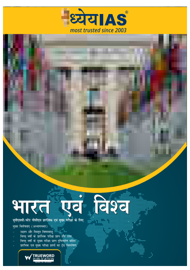

ISBN : 978-93-93412-55-3
MRP: 240/-

ISBN : 978-93-93412-62-1
MRP: 250/-

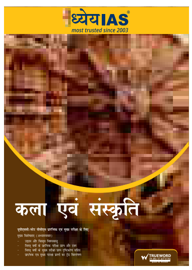

ISBN : 978-93-93412-20-1
Coming Soon

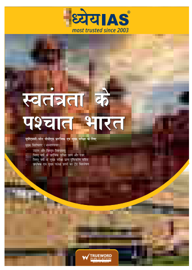

ISBN : 978-93-93412-54-6
MRP: 125/-

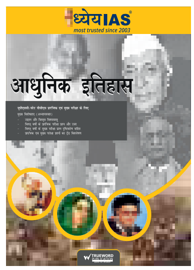

ISBN : 978-93-93412-49-2
MRP: 570/-

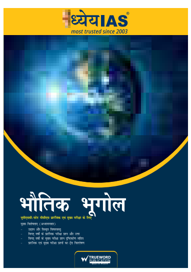

ISBN : 978-93-93412-97-3
MRP: 510/-

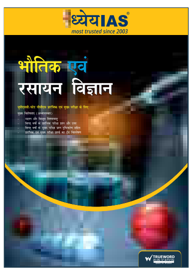

ISBN : 978-93-93412-79-9
Coming Soon

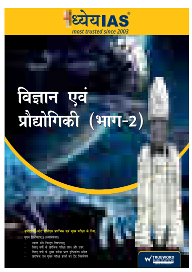

ISBN : 978-93-93412-63-8
Coming Soon

TRUEWORD PUBLICATION
Quest for Wisdom

ध्येय IAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹55

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & lll Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744